



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग) की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 747

दिनांक 10.06.2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हजरीती पुजी विकास लिमिटेड जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री गौरव पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय इन्स्टीट्यूट लिमिटेड कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज्

अथवा
पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021
जरिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. commercial CP-1 क्षेत्रफल 395.43 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509
योजना बैंचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. 110297
2. _____

11
नया पंजीकृत, कोटा (राजस्थान)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(व्यवसायिक)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पुष्पांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक से निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज शक्ति जमा करा दी है। (नोट: उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।)
- पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज शक्ति _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज शक्ति 15 वर्ष के अवकाश और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रस्तावित प्रत्येक विनियम से सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञा होगा। परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को तप-पट्टे (रक-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर होता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निम्न में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शक्ति देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सकार/जीवन बीमा नियम/अन्यदायी संस्थाओं के पास रकम (मोर्गेंट) रखा जा सकेगा। जिसके लिए स्थायी निवास के अनिवार्य प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रस्तावित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात निम्न निम्नित तथा उक्त सुफाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है जो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गुरु दिग्दर्शक समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
- पट्टा विलेख जिल अधिनियमों, नियमों, शर्तों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रयोजन व शर्त लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल शक्ति।

भूखण्ड के पडोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 75 स (P-1) पश्चिम 205
उत्तर 205 दक्षिण 75 स (P-3)

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

अंगुष्ठ निशान

2. _____

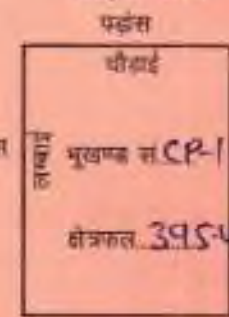
अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]
नाम राजीव गौरव
पता कोटवा, कोटा

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्याय, कोटा

- प्रमाणित/पुष्टीकृत संतान है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

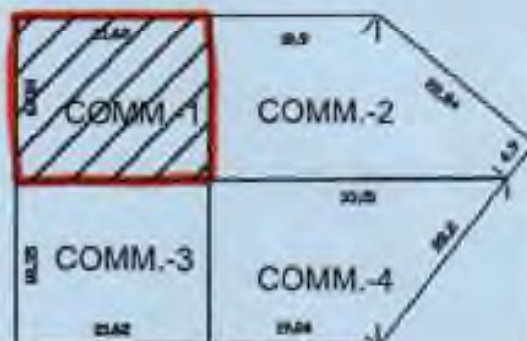
TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

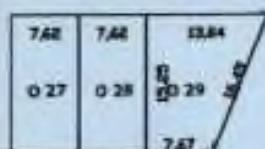
**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

9.18	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1
9.18	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
0.19	0.16	0.17	0.18	0.15	0.28	0.31	0.23	0.23	0.23

ROAD 40 FEET WIDE



ROAD 40 FEET WIDE



KHASRA NO.	509
PLOT NO.	COMM.-1
SIZE	18.29 x 21.63
Area (In SQ.M)	395.43
Area (In SQ.FT)	4256
Area (In SQ.SAT)	472.888

अनुमोदित है-आरट फाउंडेशन प्रमाणित
दिनांक 24.5.2024 को जारी किया गया

हस्ताक्षर: म. जयदेव शर्मा, चतुर्विध प्रमाणित का सचिव

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग) की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 748

दिनांक 10/06/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीवी प्रोजेक्ट विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021
जसिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. commercial CP-2 क्षेत्रफल 534 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम जयखेडा खसरा सं. 509
योजना वैद्यमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पत्ति किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Niraj
2.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः, सकत मुखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के परभाव और मुखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा मुखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मुखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- पट्टा धारक उक्त मुखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मुखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त मुखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रोता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई भी शर्त लागू नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/जगदाजी संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय का अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- मुखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मुखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य होना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव नियम विरुद्ध तथा उक्त मुद्दाकार पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो सकत मुखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले बाय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना पूरी करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित मुखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मुखण्ड के प्रडोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व अन्य आवासीय परिधि गु.स. CP-1
उत्तर रोड दक्षिण गु.स. CP-4

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nazam

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Nazam

नाम Haji Nakamand

पता Barkhuda, Kotla

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान



सहक की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर
(उपस्थिति)
नगर विकास ब्यास कोट

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL



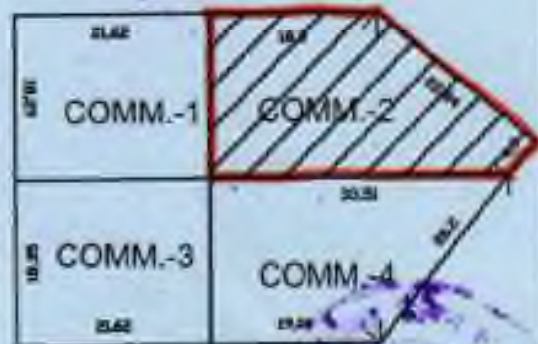
TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

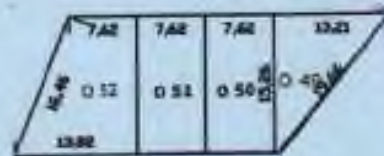
**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

9.38	9.34	9.34	9.34	9.34	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24
0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34

ROAD 40 FEET WIDE



ROAD 40 FEET WIDE



अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार संख्या CP-2
सेक्टर 534 व.सी में निरी प्रस्तावित
(Signature)
प्रमाणित, दृ-अनुमोदित, प्रमाणित, प्रमाणित, प्रमाणित, प्रमाणित, प्रमाणित, प्रमाणित, प्रमाणित, प्रमाणित

(Signature)

SIGNATURE OF OWNER

KHASRA NO.	508
PLOT NO.	COMM.-2
SIZE	ODD
Area (In SQ.M)	534.00
Area (In SQ.FT)	5746
Area (In SQ.GAJ)	638.444



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड)

व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवेदन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 753

दिनांक 10/06/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाजीती पूजा विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय सल्टीनेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्वुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021
जसिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. commercial CP-3 क्षेत्रफल 395.43 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं.
योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. 10/2022
2.

जय पंचोली, कोटा (पदम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपराज्य)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

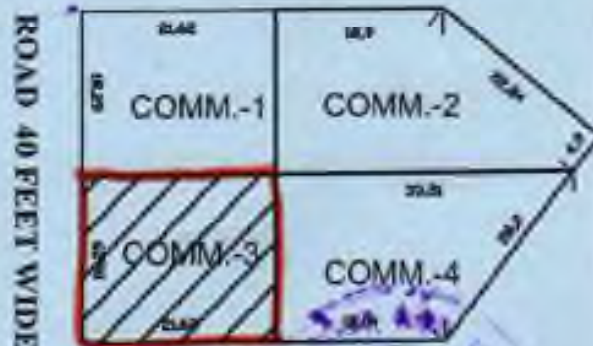


TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34
0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34
0.15	0.18	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22



ROAD 40 FEET WIDE

7.62	7.62	13.84
0.27	0.28	0.29
7.62	7.62	13.84

9.15	9.15	11.29
0.40	0.41	0.42
9.15	9.15	11.29

7.62	7.62	7.62	13.84
0.32	0.31	0.30	0.43
7.62	7.62	7.62	13.84

अनुमोदित है-आवट प्लान के दृष्टान्त संख्या CP-3
दिनांक 29.5.18 वर्ष की तारीख पर

प्रमाणित, म. जयदेव मेहता, जिला अधिकारी, जिला न्यायाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट

KHASRA NO.	509
PLOT NO.	COMM.-3
SIZE	18.29 x 21.62
Area (In SQ.M)	395.43
Area (In SQ.FT)	4256
Area (In SQ.GAJ)	472.888

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् आनन्द गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग) की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 752

दिनांक 10.06.2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाकीती पूजा विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पुत्र / पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीपेटल्स लि० कंपरा-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. commercial CP-4 क्षेत्रफल 470 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. *NH 752*

2. _____

34 पञ्चायक, कोटा (पञ्चायत)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - हस्त पोस्ट फूट पर अंकित है।

- पंजीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्ता लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
- पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार निश्चित की गई लीज राशि 15 वर्ष के अवधि और भूखण्ड के प्रत्येक विभाग/इस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्धारित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयोजित भवन विनियम ने सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमति होने, परन्तु प्रायिक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विभाग अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विभाग/इस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय ने निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा नियम/अग्निशक्ती संरक्षणों के साथ सम्मेलन (लिगेज) तथा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अपापरित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करनी होगी।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विनियमों तथा लॉड बुककर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहायी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके तहत प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पडोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व अमरा-आराणी पश्चिम 78 स 18-3
उत्तर 78 स 18-2 दक्षिण 208

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

अंगुल निशान

2. _____

अंगुल निशान

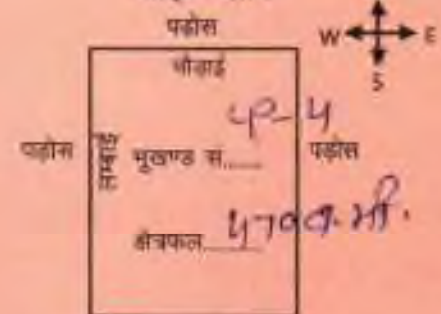
साक्षी :-

[Signature]

नाम Raj Mahawand
पता Barkhadu, Kot

अंगुल निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

[Signature]
प्रमाणित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थित)
नगर विकास न्याय कोष

- पंजीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

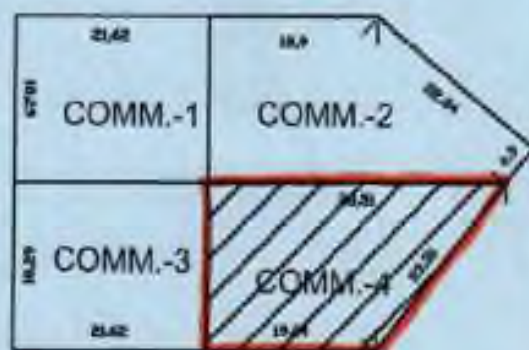
TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

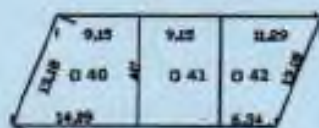
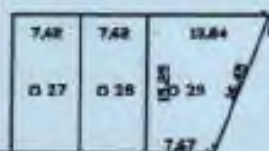
**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34
0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1
0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23
9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34

ROAD 40 FEET WIDE



ROAD 40 FEET WIDE



KHASRA NO.	509
PLOT NO.	COMM.-4
SIZE	ODD
Area (In SQ.M)	470
Area (In SQ.FT)	5057
Area (In SQ.GAJ)	561.888

अनुमोदित ले-आउट प्लान को प्रमाणित किया गया CP-4

ले-आउट 470 वर्ग मी के लिए प्रमाणित

प्रमाणित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/751

दिनांक 10.06.2021

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाडीती पुंजी विकास लि० जस्थि अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय बल्लभमेटल लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कोल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021
जरिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. commercial CP-5 क्षेत्रफल 300.14 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507
योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Niraj
2. _____

अ. पंजीकृत, कोटा (राज०)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	COMM.-S
SIZE	14.55 x 20.08
Area (In SQ.Ft)	300.15
Area (In SQ.M)	3230
Area (In SQ.GAJ)	355.90

अनुमोदित ले-आउट प्लान के मूख्यमद संख्या **CP-5**
क्षेत्रफल **300.15** वर्ग मी के ज़िने अनुमोदित

कंसुआ न्यू-अपग्रेड प्रोडिक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्राविक्त अड्डासरा एन सीआ

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महन्त
मुख्याधी, राजस्व विभाग



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग) की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 634

दिनांक 21/6/2022

मैसर्स हाडौली पूंजी विकास लिमिटेड जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्लोसिल सिव्ही कॉम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

मुखण्ड सं shop no. IC-1 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं 507

योजना ब्रैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2. _____

जप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/वृद्धांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज शर्तें जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।

अथवा

1. पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज शर्तें _____ और वर्ष आवंटन रूप से जमा करनी होगी। एक बार दिखत की गई लीज शर्तें 15 वर्ष के बराबर और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्धारित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमति होगा, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
3. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-बाँटे (सब-डिवीज) कर भी दे सकेगा।
4. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर कंसा के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क अधिदान के साथ प्रतीकृत विज्ञापन एवं यदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्त देव नहीं होगी।
5. पट्टा विलेख का सारवा/जीवन बीमा नियम/अन्यकारी संस्थाओं के पास अधक (पॉलीस) जमा जा सकेगा, जिसके लिए स्वामीय निकाय क अनारति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
6. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार तहत करना होगा।
7. पट्टा कर्ता (स्वामीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/परिवर्तन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख के विस्थापन के पश्चात् निम्न विकल्प तथा अन्य सुझाव पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/पूरा निर्माण-सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
11. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

12. अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 75.24 IC-2 पश्चिम 205

उत्तर 75.24 0-100 दक्षिण 10' 15" 205

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

अमृत निशान

2. _____

अमृत निशान

साक्षी :-

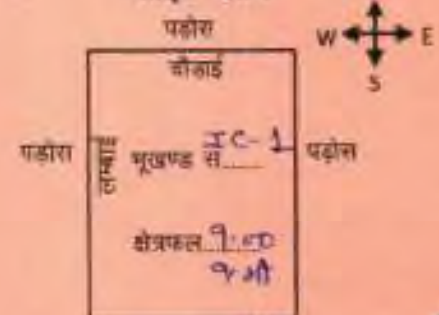
हस्ताक्षर

नाम हरी मोहन

पता मोहनपुरा, कोटा

अमृत निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

(उपस्थित)

नगर विकास न्यास, कोटा

- प्रतीकृत/पूराकरण संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA-324003**

ROAD 40 FT.

O 100

KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I-G - 001
SIZE	5 x 3
Area (In Sq.M)	9.80
Area (In Sq.Ft)	95.84
Area (In Sq.M)	10.70

COMM-5

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान अशोक राहुनोट
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक /

दिनांक

मेसर्स हाबोती पूजा विकास लिमिटेड जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय इन्स्टीट्यूट्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्कुआ रोड कोटा राज.

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स कार्यालय पता 2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

मूखण्ड सं. shop no. IC-2 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक को पक्ष में उक्त मूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2. _____

प्राधिकृत अधिकारी
(उपस्थिति)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

अव पंचायक, कोटा (प्रथम)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित विधियों के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा कर्त दी है। जहां उक्त मुखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।

अथवा

- पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। एक बार निश्चित की गई लीज राशि 15 वर्ष के पर्याप्त और मुखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तांतरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा मुखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मुखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित शर्तों/शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- पट्टा धारक उक्त मुखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मुखण्ड को लघु-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त मुखण्ड के विक्रय/हस्तांतरण पर जहां के प्लान में नाम परिवर्तन के लिए विक्रय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय वर आदि प्रस्तुत किये जावेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई रशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुवासी संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- मुखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा धारक (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मुखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि बिलान किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया हो तो उक्त मुखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण अधिकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
- पट्टा विलेख जिन अतिनियमों, नियमों, शर्तों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

नोट :- निर्मित मुखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

नूतन इगुटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मुखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व जु.स. 20-3 पश्चिम जु.स. 20-1
उत्तर जु.स. 0-100 दक्षिण 10 फीट अगुटी से

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

साक्षी :-

हस्ताक्षर

नाम राजी मोहम्मद

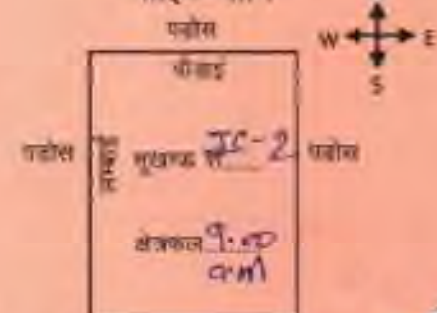
पता वैराग्री, कानपुर

अनुरोध

अनुरोध

अनुरोध

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

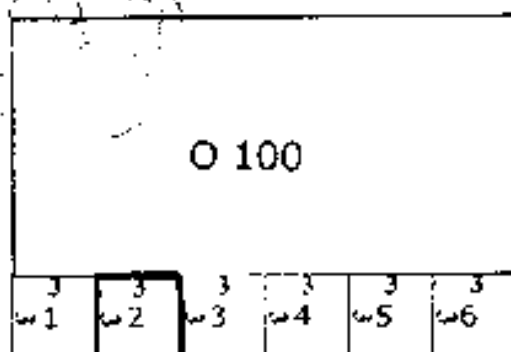
प्रमाणित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(प्रमाणित)
मुख्य अधिकारी, नगरपालिका

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7, LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



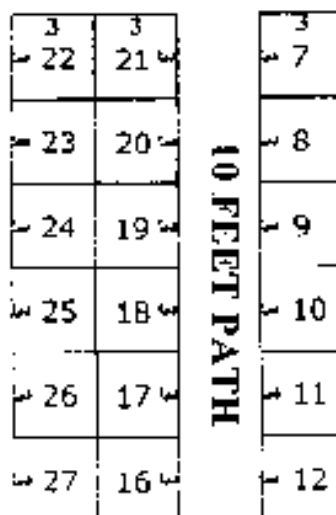
KHASRA NO	507
PLOT NO.	I.C - 002
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GA)	10.76



10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**



10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

सुनिश्चित है कि यह प्लान 10 फीट का पार्किंग
आकार में है और यह 10 फीट का पार्किंग
है।

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक मदनराव
मुख्याधिकारी, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 630

दिनांक

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाथीपती पुत्री विकास लि. जयपुर अधीकृत इस्तेमालकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमाने पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्लोमेटल्स लि. कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुआ रोड कोटा राज.0

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जयपुर

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

मूखण्ड सं.

shop no. 1C-3

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व शान

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैंचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

जयपुर, कोटा (पुनः)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज रशि जमा करा दी है। अतः उका भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज रशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार निमत की गई लीज रशि 15 वर्ष के समान और भूखण्ड के प्रत्येक विषय/हस्तांतरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमति होगी, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- पट्टा धारक उका भूखण्ड को विद्युत अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेंगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेंगा।
- उका भूखण्ड के विकास/हस्तांतरण पर जेता के 10% में नान परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत निकाय पर जमा करवाया जाएगा, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई रशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख पर सरकार/जोड़न बीना नियम/खण्डाधी संस्थाओं के पास अधिक (नॉनच) रखा जा सकेंगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरोधित प्रमाण पत्र (P.M.C.) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर नवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुर्णिकन व नु उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेंगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्कासन के पश्चात् निम्न विस्तार तथा अन्य सुधार पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उका भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी व्यवधान व शर्तें लागू होंगी जिसकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
- अन्य _____

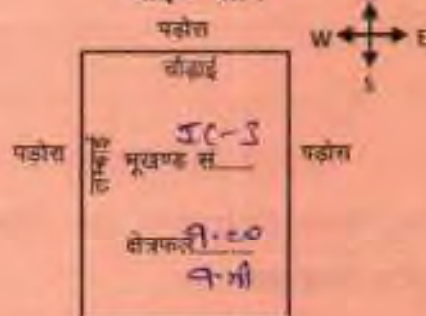
नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प द्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल रशि।

भूखण्ड के पडोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु.स. IC-4 पश्चिम गु.स. IC-2
उत्तर गु.स. IC-1 दक्षिण 10 मीटर चौड़ी रोड

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

अनुमोदित

2. _____

अनुमोदित

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम हरीश कोठार
पता हरीश कोठार

अनुमोदित

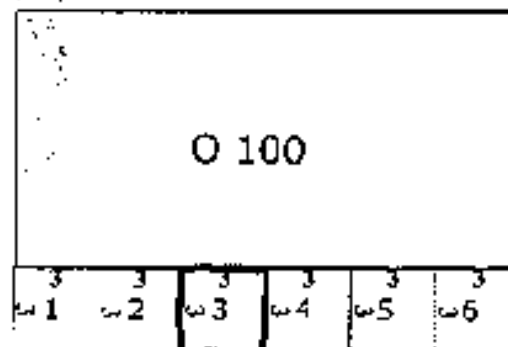
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थिति)
नगर विकास खास कोठ

- पंजीकृत/पुष्टांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	1.C - 001
SIZE	3 x 3
Area (In SQ. M)	9.00
Area (In SQ. FT)	96.88
Area (In SQ. GAZ)	10.74

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

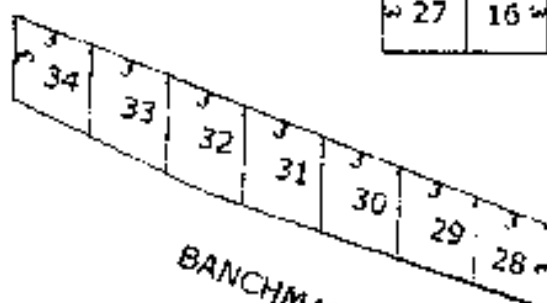
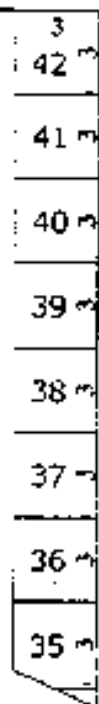


10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

अनुमोदित है-आयतन धारण के सुझाव का
केवल आधिकारिक के लिए मात्र
श्री. सुनील कुमार, एडवा. इंजीनियर

COMM.-5



BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER

H/297



भीमराव अम्बेडकर महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड)

व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 629

दिनांक 7/6/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाडीती पुंजी विकास लि० जयिथे अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय नुल्टीमेटल्स लि० कंप्यूट-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जयिथे

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

shop no. IC-4

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैंचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

NH-97

2.

अर पुंजीकृत, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट - इसी पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- संजीकृत/वृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज शर्त जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज शर्त _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज शर्त 15 वर्ष के परचात और भूखण्ड के प्रत्येक विभाग/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर इस्तित भवन विनियम ने सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमति होगी, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर जीता की 1% में गान परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ फर्जीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के पत्तारपिकारी के मामले में कोई शर्त देग नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सत्कार/जीवन बीमा प्रिम/कृषिधारी सत्वकों के पास कंपक (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रस्तावित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा धारता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात निम्न विकल्प तथा साथ धुनाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकसकता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फत शर्त।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व पु. 21 IC-5 पश्चिम पु. 21 IC-3
उत्तर पु. 21 D-100 दक्षिण 10 मी 21 सी रोड

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

Nehar

अगुआ निकाय

2. _____

अगुआ निकाय

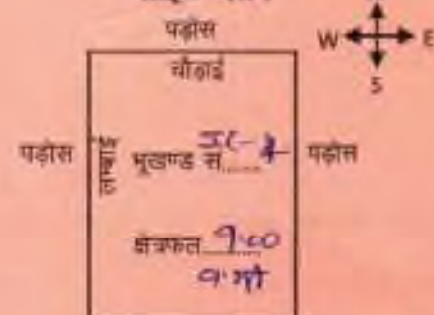
साक्षी :-

हस्ताक्षर

नाम राजी मोरमंड
पता कोरवाड़ा मो. 1

अगुआ निकाय

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

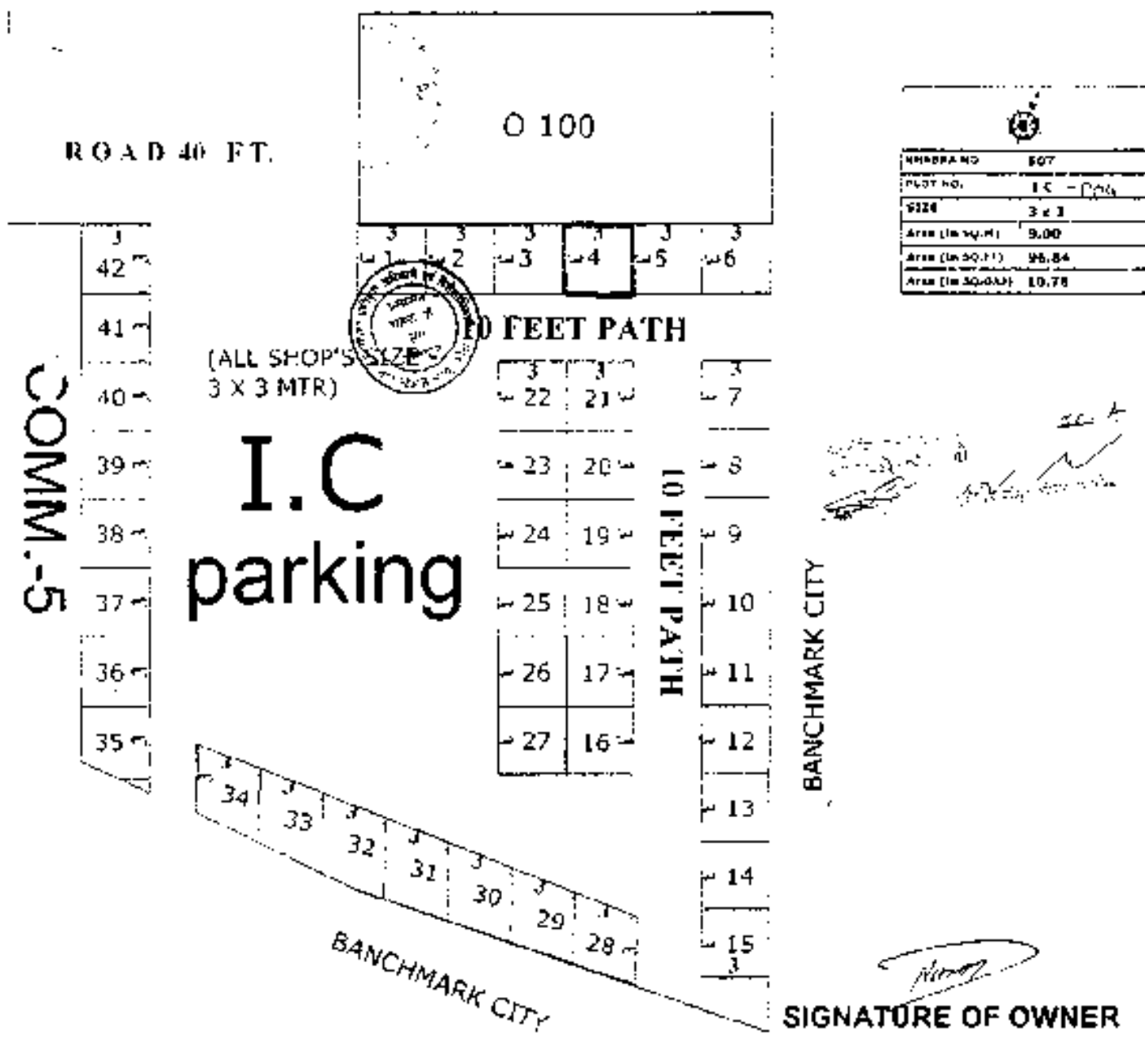
प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास नांस, अंत

- पंजीकृत/पूरांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**





श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 628

दिनांक 7/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडोती पूंजी विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मुन्टीमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर ★ कार्यालय पता 2021
जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

मुखण्ड सं. shop no. 1C-5 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nu297
2. _____

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

उप पंजीयक, कोटा (पश्चिम)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निर्दिष्ट नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है। जहां उक्त भूखण्ड 95 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार बिना की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित ढांचे का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयोजित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमति होने, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्तता सुनिश्चित की जाए।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड की विक्रय/हस्तान्तरण पर जहां के पक्ष में मान परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ संबंधित विक्रय पर जारी प्रस्तुत किया जाएगा, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकार/लीज बीमा निगम/अपवसी सम्थाओं के पास बंधक (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए सहायीय विक्रय के अग्रणीय प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत बनना होगा।
- पट्टा काल (व्यापारिक निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/परिवर्तन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात नियत विक्रय/हस्तान्तरण भूखण्ड पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आंतरिक विक्रय पर होने वाले कार्य विक्रयकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा बहन किया जाएगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनकी सभी प्रावधान व शर्त लागू होगी जिसकी पूर्तता नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

12. अन्य

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व जु. स. 5C-6 पश्चिम जु. स. 5C-4
उत्तर जु. स. 0-100 दक्षिण 10 कि. मी. सी. रोड

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

अंगुठा निशान

2. _____

अंगुठा निशान

साक्षी :-

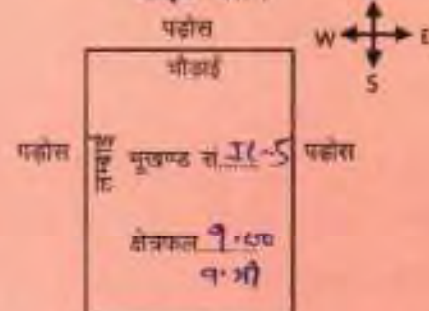
हस्ताक्षर [Signature]

नाम हरीश चंद्र

पता कमलापुरा, 00110

अंगुठा निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

अधिकृत अधिकारी

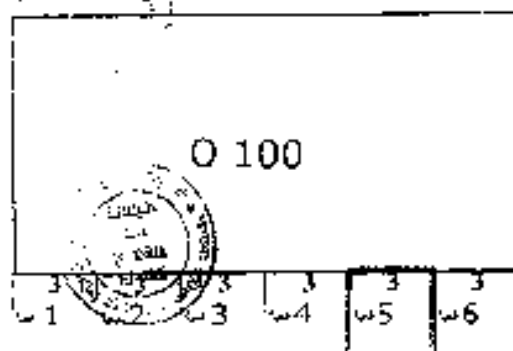
अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर [Signature]
नगर विकास ग्रास, कोटा

- फंजीकृत/नृपयंकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	T.C. 005
SIZE	3 x 3
Area (in SQ.M)	9.00
Area (in SQ.FT)	96.84
Area (in SQ.YD)	10.76

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

COMM.-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

7
8
9
10
11
12
13
14
15
3

BANCHMARK CITY

34	33	32	31	30	29	28
----	----	----	----	----	----	----

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 627

दिनांक 22/6/2021

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाइड्रो प्लांट विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मालीपेट्स लि० कंपाउंड-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर ★ कार्यालय पता 2021 ★
जरिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी
मुखण्ड सं. shop no. IC-6 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507
योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2. _____

प्राधिकृत अधिकारी

(उपनिर्देशक)
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उप पंजीकृत, कोटा (रजिस्ट्रार)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा करा दी है। उक्त उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज ले चुका है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तांतरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चिता की जाए।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तांतरण पर कंटा के पक्ष में काम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित मुक्त आवंटन के साथ परीकृत विक्रय एवं अधि प्रस्तुत किये जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक के जलनविकारों के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकारी/जीवन बीमा नियम/अन्यदायी संस्थाओं के पास रजिस्ट्रार (भौतिक) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरोधित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का अवविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास का होने वाले व्यवसायिकता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा रहन किया जाएगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, शर्तों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी व्यवधान व शर्त लागू होगी जिसकी पालना नहीं काले पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व अन्य आशुजी पश्चिम जु. स 30-5
उत्तर जु. स 0-100 दक्षिण 10 फीट गली गेट

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. NK 197

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Harsh

नाम राजी मोहन

पता आर. 101, मो. 1

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नगर विकास अधिकारी

- पंजीकृत/पूष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



O 100

KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I-C 006
SIZE	3 x 3
Area (In SQ M)	9.00
Area (In SQ M)	98.84
Area (In SQ GA)	18.78

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

3	3	3
22	21	7
23	20	8
24	19	9
25	18	10
26	17	11
27	16	12

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

100% PLANT AND TREE WORK
COMPLETED AT THE SITE
DATE 10/10/2017

(Signature)

SIGNATURE OF OWNER

BANCHMARK CITY

COMM.-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

34
33
32
31
30
29
28



डॉ. एन. आर. राव
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 626

दिनांक 24/12/2021

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीती पुजी विकास लि. जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री गौरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मस्तीपेटल लि. कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इन्फर्नियटिफर एरिया कन्सुमा रोड कोटा राज.

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

मुखण्ड नं.

shop no. IC-7

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

मोजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पास में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. *Niraj*

अ. एंकीयक, कोटा (राज.)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(प्रतिष्ठापित)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - रातें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पूष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज शक्ति जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज में मुक्त है।
अतः पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार निशत की गई लीज राशि 15 वर्ष के परचा और भूखण्ड के प्रत्येक विभाग/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की इन्फि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निमित्त क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर अनधिकृत भवन विनिर्माण में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु धारक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विकल्प जमा कर प्रकाश से हस्तान्तरित कर सकेंगे तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेंगे।
- उक्त भूखण्ड के विकल्प/हस्तान्तरण पर जमा के पक्ष में नए परिवर्तन के लिए विकास में निर्धारित मुक्त आवंटन के साथ परीक्षा निम्न एवं अति प्रयुक्त किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी को सम्पत्ति वे कोई राशि देना नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का संचालन/जीवन बीमा नियम/अन्यदायी दस्तावेजों के साथ कोट (पैगमेंट) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय विकास के अनुमति प्रमाण पत्र (MUC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनिर्माण मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय विकास) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्विभाजन या भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अति विकास किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख रद्द किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् निम्न निर्माण तथा अन्य सुधार पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की शर्तों में जनसंख्या विकास पर होने वाले अन्य विकासकर्ता/भूद निर्माण सहकारी समिति द्वारा सहन किया जाएगा।
- पट्टा विलेख में अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी काल्पनिक नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निमित्त भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति कल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व आम आशानी पश्चिम 10 कि.मी. 24वीं रोड

उत्तर 10 कि.मी. 24वीं रोड दक्षिण अ.स. 10-8

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. M. S. J. C.

अनुमति निशान

2. _____

अनुमति निशान

साक्षी :-

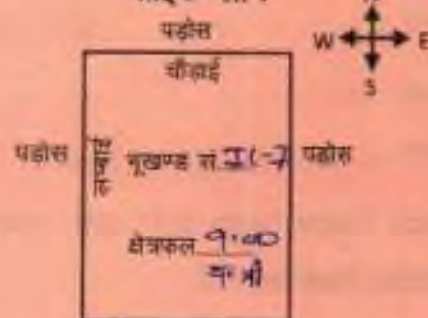
हस्ताक्षर M. S. J. C.

नाम रानी ओ.डी.डी.

पता अ.स. 10-8

अनुमति निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
मय विकास न्याय, जिला

- पंजीकृत/पुष्पकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.

O 100

KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. 003
SIZE	3 x 3
Area (in SQ.M)	9.00
Area (in SQ.FT)	96.84
Area (in SQ.GAL)	10.76

COMM.-5

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

10 FEET PATH

**I.C
parking**

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड)
व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 632

दिनांक 7/6/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाइवेटी पुंजी विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेडियम लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं

shop no. IC-8

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं

507

गोपना

बैंचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को
प्रदाित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

अप पंजीकृत, कोटा (राज०)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त मुखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार निमत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पक्काज और मुखण्ड के प्रत्येक विभाग/हस्तांतरण पर 26 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा मुखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मुखण्ड पर अर्पित कानून विनियम में सम्बंधित अनुसूची में वर्तनीकृत उपयोग अनुज्ञा होगी, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाए।
- पट्टा धारक उक्त मुखण्ड को विकसित अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मुखण्ड को पक्का-पट्टे (लिज-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त मुखण्ड की विकसित/हस्तांतरण पर जीता की पद्धति में नाम परिवर्तन के लिए विकसित में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विकसित पर अर्पित प्रस्तुत किया जाएगा, परन्तु पट्टाधारक के उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत कोई भी राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकारी/जीवन बीमा नियम/अपराधी संस्थाओं के पास कंसा (मोर्गज) रखा जा सकेगा जिसके लिए स्थानीय विकास के अन्तर्गत प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- मुखण्ड पर सधन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के अन्तर्गत तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय विकास) की बिना स्वीकृति के मुखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विलोपित किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पक्काज दिवस विरुद्ध तथा उक्त चुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मुखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले अन्य विकासकर्ता/भूत निर्माण सहकारी समिति द्वारा चदन किया जाएगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, निर्देशों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिसकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित मुखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मुखण्ड के पट्टे की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व दायाँ आशीर्ष पश्चिम 10 फीट आशीर्ष
उत्तर 25 मीटर IC-7 दक्षिण 25 मीटर IC-9

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Narain

अग्रज निवास

2. _____

अग्रज निवास

साक्षी :-

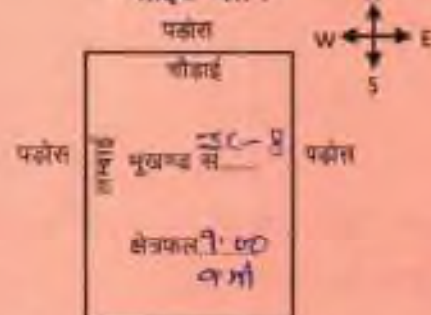
हस्ताक्षर H. Mohan

नाम राजी मोहन

पता बेल्वा मोहा

अग्रज निवास

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नय मोहन
नगर विकास कार्यालय

- पंजीकृत/पुष्टिकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.

O 100

KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. 058
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GA)	10.78

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड)

व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 625

दिनांक 25/12/2021

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाइली पुंजी विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय नन्दीमेटल्स लि० कंपरा-री ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्नुआ रोड कोटा तहसी

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स शहर कार्यालय पता 2021
जरिये पुत्र/पुत्री
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी शहर
भूखण्ड सं. shop no. IC-9 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्व चाम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना वैद्यमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 25/12/2021 को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nu207
2.

उप पंचायक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 25 वर्षों के लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवधिक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विकल्प/हस्तांतरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित ढाँचा का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विकल्प अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विकल्प/हस्तांतरण पर जेठा के जा में कम परिवर्तन के लिए विकल्प में निर्धारित मूल्य आवेदन के साथ पंजीकृत विकल्प एवं अति प्रयुक्त किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक को उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सत्कार/जीवन बीमा विकल्प/अन्यद्वि संस्थाओं के पास केचक (मोर्गेंज) रख जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय विकास क आवापति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रवर्तित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दन में अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथा भूधरक पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रवधानों व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- विहित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व अज्ञात पश्चिम 10 कि. मी. वाली रोड
उत्तर गु. अ. 10-8 दक्षिण गु. अ. 10-10

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

NH-97

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम सिद्धी मोहन

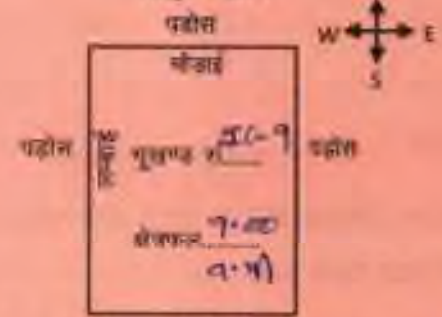
पता मोहनपुरा, मोहा

अंगुल निशान

अंगुल निशान

अंगुल निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

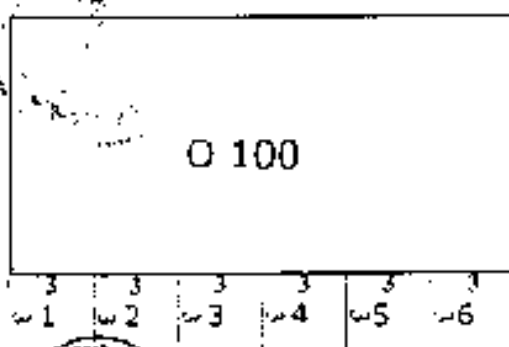
मय मोहर

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO	507
PLOT NO.	1 C 009
SIZE	3 x 2
Area (In SQ.M)	6.00
Area (In SQ.FT)	65.84
Area (In SQ.GA)	10.76

COMM.-5

1
42
41
40
39
38
37
36
35

(ALL SHOP'S
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**



10 FEET PATH

22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

7
8
9
10
11
12
13
14
15

BANCHMARK CITY

34	33	32	31	30	29	28
----	----	----	----	----	----	----

BANCHMARK CITY

Handwritten signature and notes.

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड)

व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग) की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 623

दिनांक 16/12/22

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाजीती पूजा विकास लिमिटेड जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत आर्वालय नगरीय पट्टा लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 जार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

कार्यालय पता 2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

shop no. 1C-10

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व राश

नयाखंडा

खसरा सं.

507

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नगर विकास न्यास कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज सशि जमा करा दी है। उक्त मुक्त लीज 99 वर्षों की अवधि के लिए है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज सशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। एक बार निष्ठा की गई लीज सशि 15 वर्ष के पश्चात और मुखण्ड के प्रत्येक विकस/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा मुखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मुखण्ड पर प्रस्तावित भवन विनिर्माण में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लिखित उपयोग अनुमति होगी, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानक/शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- पट्टा धारक उक्त मुखण्ड को विकस/क्षेत्र अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मुखण्ड को गैर-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त मुखण्ड के विकस/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विकस पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई सशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/जनदात्री संस्थानों के पास बंधक (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय का अनुरोध प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- मुखण्ड पर भवन निर्माण प्रवर्तित भवन विनियमों के नामदर्शकों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मुखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात नियम विच्छेद तथा लघु सूचाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मुखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पूर्ति नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित मुखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प दायीं हेतु पट्टे की प्रति फल सशि।

मुखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व अम आशाना पश्चिम 10 फीट जवाही रोड
उत्तर गु.स. 10-9 दक्षिण गु.स. 10-11

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Munir

अंगुला निशान

2. _____

अंगुला निशान

साक्षी :-

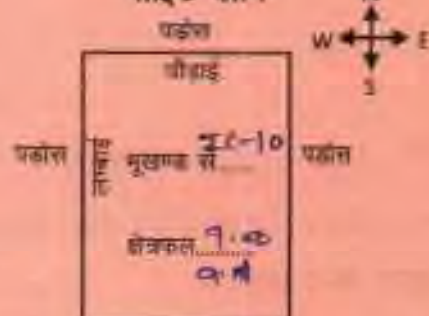
हस्ताक्षर Farid

नाम राजी मोहम्मद

पता अलफा मोटा

अंगुला निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मंत्र मीहर

(साक्षी)

अथवा विकास न्यास कोट

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.

O 100

KHASRA NO	507
PLOT NO.	I.C. 010
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GAZ)	10.76

COMM.-5

(ALL SHOP'S SIZE
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER

Not 17



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड)

व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 622

दिनांक: 7/6/22

पट्टा धारक का नाम _____ पुर/पुरी _____
पत्नी _____ पति _____
निवासी _____ पंजीकृत कार्यालय मल्टीपेटल लिड कंभस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर _____ कार्यालय पता 2021 ★
जरिये _____
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री _____ पुर/पुरी _____

निवासी _____

भूखण्ड सं. _____ shop no. IC-11 क्षेत्रफल _____ 9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम _____ नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना _____ ईचमार्क एक्सटेंशन _____ में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक _____ को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

उप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने विहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा करा ली है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
- पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विकस/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित होश का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रॉस के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई रशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकार/लीज बीमा नियम/आणदारी संस्थाओं के पास बचक (थीरेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरोधित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विलुप्त किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य सुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नैटि, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्तें न लागू नहीं होंगी।

स्टाम्प बढ़ाई हेतु पट्टे की प्रति फेज राशि।

भूखण्ड के पट्टे की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 20 मी आसपास दक्षिण 10 मिटर 20 मी रोड

उत्तर 21.21 मी 30-10 दक्षिण 31.21 मी 30-12

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. NH-97

अंगुल निशान

2. _____

अंगुल निशान

साक्षी :-

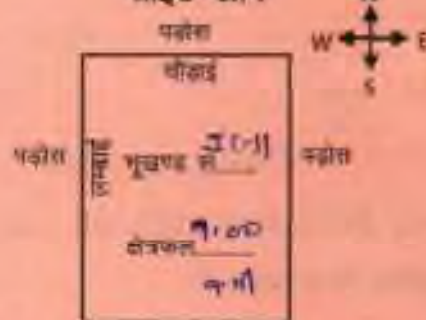
हस्ताक्षर Harsh

नाम हार्श मोहन

पता बोरवडा नोटा

अंगुल निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी

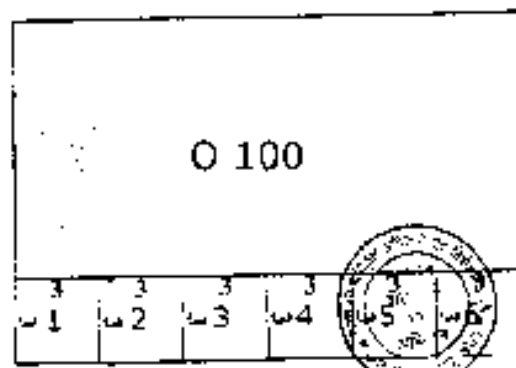
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
मय मोहर
मय मोहर

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. 011
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GA)	10.76

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

22	21	7
23	20	8
24	19	9
25	18	10
26	17	11
27	16	12

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

34	33	32	31	30	29	28
----	----	----	----	----	----	----

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 621

दिनांक 7/1/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाडोती पूजा विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय नवलीमेंट्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021
जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. shop no. 1C-12 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Niraj
2. _____

39 पंचोली, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
(नगरपालिका)
नगर विकास अधिकारी मय मोहर

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.

O 100

KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. 0.2
SIZE	3 x 3
Area (1 = SQ.M)	9.00
Area (1 = SQ.FT)	80.84
Area (1 = SQ.GA)	10.76

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER

COMM.-5

42
41
40
39
38
37
36
35

22 21
23 20
24 19
25 18
26 17
27 16

7
8
9
10
11
12
13
14
15

34 33 32 31 30 29 28



भीमराव अम्बेडकर राहुलगाँव
मुख्यालय, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 620

दिनांक 7/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हजारीत पंजी विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मस्जिददारा लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

मुखण्ड सं.

shop no. IC-13

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैंचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

NH247

2.

अ. पंचोलीक, कोटा (पुष्प)

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक भूतः लीज राशि जमा करा दी है। उक्त प्लॉट भूखण्ड 00 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार निशुल्क की गई राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्राथमिक विकास/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की बुद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर उपस्थित सभी विनियम में सम्मिलित अनुमति ने उल्लेखित उपयोग अनुमति होगी, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति सुनिश्चित की जाये।
- पट्टा धारक प्लॉट भूखण्ड को विकास तथा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विकास/हस्तान्तरण पर जैसा कि प्लॉट में नाम परिवर्तन के लिए विकास में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, परन्तु पट्टाधारक के हस्तान्तरण के मामले में कोई राशि देव नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सारकार/जीएम बीमा नियम/अन्यदात्री संस्थाओं के पास बचक (पॉर्नल) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय विकास के अन्तर्गत प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रस्तावित भवन शिथिलों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा फार्म (स्थानीय विकास) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व नू उपयोग इतिहास नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निश्चित उक्त से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरोध तथा लब्ध सुझाव पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना ने आन्तरिक विकास पर होने वाले लब्ध विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा गठन किया जाएगा।
- पट्टा विलेख विन अविविधता, नियमों, नोटों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनमें कोई प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिनकी पूर्ति नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व - 240 आवासीय पश्चिम 10 कि.मी. सी. रोड
उत्तर गु.स. जे.सी. 12 दक्षिण गु.स. जे.सी. 14

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nuc-82

अंगूठा निशान

2. _____

अंगूठा निशान

साक्षी :-

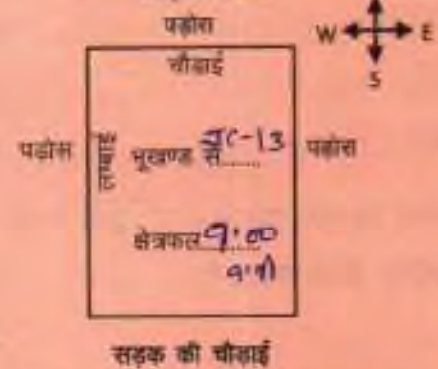
हस्ताक्षर _____

नाम एली मोहम्मद

पता अजमेरा रोड

अंगूठा निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी (को-ऑर्डिनेटर मय मोहर नगर विकास एक्स कोटा)

- एंजीकृत/पुष्टीकरण संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.

O 100

KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. 513
SIZE	3 X 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In ACRES)	10.76

COMM.-5

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड)

व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 613

दिनांक 2/6/2021

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाडौती पूंजी विकास लिमिटेड जसिये अधीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पुत्र/पुत्री
पति पत्नी
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्लोपट्टा लिमिटेड कंपाउंड रोड नं. 6-7 लार्ज स्कैल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज.

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021
जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. shop no. IC-14 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा नं. 507

योजना बैंचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. NCC 777

2.

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

उप पंजीकृत, कोटा (जसिये)

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज शर्तें जमा करा दी हैं। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज शर्तें _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार निष्ठा की गई लीज शर्तें 15 वर्ष के वर्षात और भूखण्ड के प्रत्येक विकस्य/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित ढाँचा का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयोजित अन्य विनियमों से सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमति नहीं होगा, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु नियमित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विकस्य/हस्तान्तरण पर केला के पत्र में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पर आवेद प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी को सम्मले में कोई शर्त देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सार्वजनिक/जीवन बीमा नियम/अपघाती संस्थाओं के पास कवच (सीगल) रखा जा सकेगा, जिसके लिए कानूनीय निकाय के अनापति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत कानूनी होगा।
- पट्टा कर्ता (स्वाधीन निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्काशन के पश्चात् नियम विकस्य तथा भूधारक पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले खर्च विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधानों व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

12. अन्य _____

नोट - निर्मित भूखण्ड में शर्तें नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति कल शर्तें।

भूखण्ड के पट्टों की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व अज्ञात सीमा पश्चिम 10 मीटर
उत्तर 21.21.20-13 दक्षिण 21.21.20-15

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Neha

अनुमोदित

2. _____

अनुमोदित

साक्षी :-

हस्ताक्षर मोहम्मद

नाम हाजी मोहम्मद

पता कौस्तुभ नगर

अनुमोदित

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान जलम से भी संलग्न कर सकते हैं।

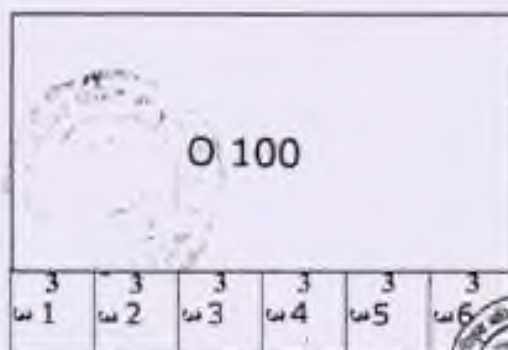
प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षर) मय मोहर
नगर निगम नगर, कोटा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
K.P. ASRA NO. 507, 508, 509, 511, 514, 522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	LC 014
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GAJ)	10.76

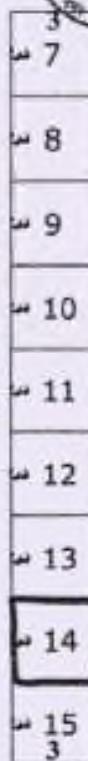
10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**



10 FEET PATH



BANCHMARK CITY

BANCHMARK CITY

समस्त अधिकारों के अन्तर्गत यह प्लान 28-17
के अन्तर्गत है। इसके अन्तर्गत यह प्लान
के अन्तर्गत है। इसके अन्तर्गत यह प्लान

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अलोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 618

दिनांक 2/6/2021

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीती पूजी शिवाजी सिंह जयि अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नौरज पंधोसी पुत्र श्री हनुमान पंधोसी पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय प्रत्येकित सिंह कम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज.

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जयि

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

shop no. 1C-15

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैंचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. *Nauraj Pandhosi*

2. _____

अधीकृत, कोटा (प्रमुख)

प्राधिकृत अधिकारी (उपस्थित)
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज शर्त जमा करा दी है। उक्त उक्त मूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।

अथवा

- पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पर्यंत और मूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 26 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा मूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियमन में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
- पट्टा धारक उक्त मूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त मूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर जेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाह में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के वास्तविकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सत्कार/जीवन बीमा निगम/अगुवाजी संस्थाओं के पास रोक (मोर्ग) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय का अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- मूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मूखण्ड का उपयोग/पूरा/अंश या भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निषादन के पर्यंत निर्माण विक्रय तथा अन्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहायक समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अथ

नोट :- निर्मित मूखण्ड में शर्त नं. 1 लागू नहीं होगी।

साम्य झूट्टी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मूखण्ड के पट्टे की सीमाओं का विवरण:-

पट्टे की सीमाएं: उत्तर अल दागरी पश्चिम 10 फीट 30
उत्तर 75.21 30-14 दक्षिण 1

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nic 997

अंगूठा निशान

2. _____

अंगूठा निशान

सहो :-

हस्ताक्षर हसी गोहर

नाम हसी गोहर

पता अरविका, कोटा

अंगूठा निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी

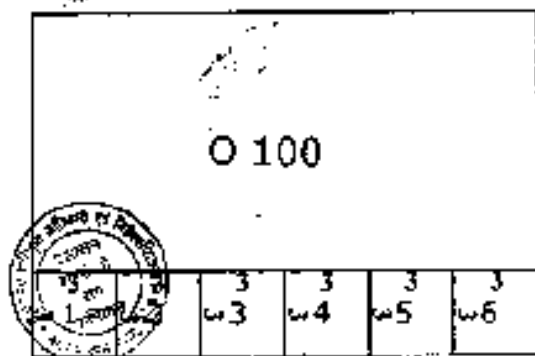
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नय मोहर
नगर विकास ब्यूरो, कोटा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	LC 015
SIZE	3 X 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GAT)	10.78

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

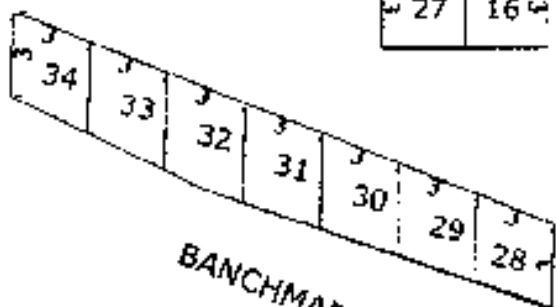
**I.C
parking**

3	3	3
22	21	7
23	20	8
24	19	9
25	18	10
26	17	11
27	16	12

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

सुनिश्चित किया गया है कि इसका नाम 20-05
(अथवा 20-05) नहीं हो सकेगा
कोटा जिले के जिला अधिकारी कोटा जिले के जिला



BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् आनन्द महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 633

दिनांक 21/11/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीती पूजा विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुमा रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पत्ता

2021

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

मुखण्ड सं.

shop no. 1C-16

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

योजना

बैंचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी

(लिपसचिव)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

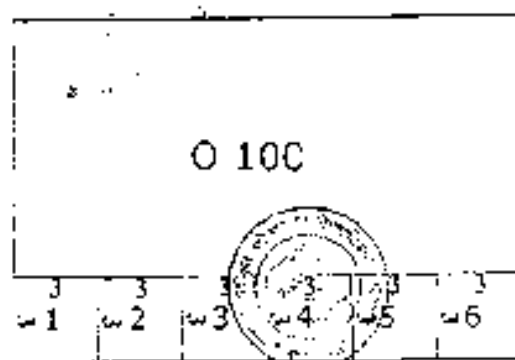
नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पूछाकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	IC C16
SIZE	3 x 3
Area (In SQ. M)	9.00
Area (In SQ. FT)	96.84
Area (In SQ. GA.)	10.76

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

12-14

COMM-5

42
41
40
39
38
37
36
35

34
33
32
31
30
29
28

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER

11/07



श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक /

757

दिनांक

10/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाइड्रो पंजी विकास लिमिटेड जयि अर्धकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नोरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत संपत्ति मालिक लिमिटेड फ्लैट-सी ब्लॉक-6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्व्हा रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

कार्यालय पता

जयि

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

मुखण्ड सं.

shop no. 1C-17

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैद्यनाथ एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नगर विकास न्यास कोटा
(उपसचिव)

नोट - शी पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पुष्टांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज शर्त जमा करा दी है। उक्त उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अर्थात्
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज शर्त _____ प्रति वर्ष आवंटन कर से जमा करानी होगी। एक बार निशत को यह लीज शर्त 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विकस/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित ढांच का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयोजित भवन विनियम से सम्बंधित अनुशूची में उल्लेखित उपयोग अनुमोदित होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विकस अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड की जग-बट्टे (खस-खीर) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विकस/हस्तान्तरण पर जेठा के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए किसान में निर्धारित मुक्त आवंटन के साथ पर्याप्त विकस पत्र यदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्त देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का कारकन/जीवन बीमा निरम/अपराधी संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुमोदित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता रही होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा करों (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से करधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के विभाजन के पश्चात् नियम विकस तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/पूरा निर्माण तकवारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, विधियों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी पक्षपालन के शर्त लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

रुक्मिणी देवी हेतु पट्टे की प्रति फल शर्त।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 100 फीट गली रोड परियम 75.21 IC-26

उत्तर 75.21 IC-18 दक्षिण 75.21 IC-16

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

अंगुठा निशान

2. _____

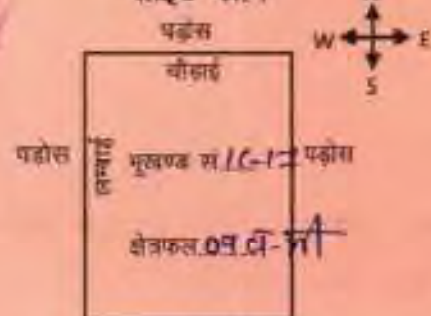
अंगुठा निशान

साक्षी :-

इलाक़ा
नाम Haji Mahomed
पता Raylinda, Rata

अंगुठा निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

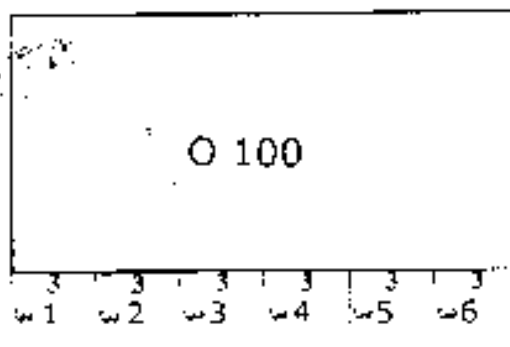
प्राधिकृत अधिकारी
निर्देशिका
नगर विकास न्याय, कोटा

- पंजीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO	507
PLOT NO.	I.C. 012
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.YD)	10.76

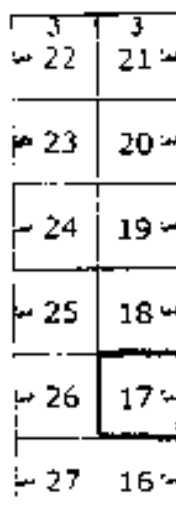
COMM.-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH



10 FEET PATH

7
8
9
10
11
12
13
14
15

BANCHMARK CITY

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



भीमराव अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक /

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाडौती पूंजी विकास लि० जयिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मूल्सिमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कानूना रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 जयिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड स shop no. IC-18 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा स 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. NRI
2. _____

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(चिपसचिव)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज शर्तें जमा कर दी हैं। उक्त उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अर्थात्
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिसे उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में तत्पश्चात् अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर कंटा के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए विक्रय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक को उक्त अधिकारिता के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सफल/जीवन बीमा निगम/अपराधी संस्थाओं के पास कवच (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पत्ति के पश्चात् नियम विरुद्ध कृषि कार्य सुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विवाद पर होने वाले, अथवा विकासकर्ता/गृह निर्माण सहायक समिति द्वारा बहस किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी कालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

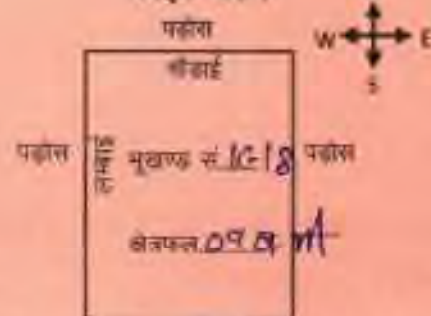
नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प खंडों हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 10 मीटर गली रोड पश्चिम 95 मीटर IC-25
उत्तर 95 मीटर IC-19 दक्षिण 95 मीटर IC-17

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Hajj Muhammad

अपूरा स्थान

2. _____

अपूरा स्थान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Hajj Muhammad
नाम Hajj Muhammad
पता Barkhuda, Kola

अपूरा स्थान

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थिति)
नगर विकास न्यास, जेठा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1,607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7, LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.

O 100

KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. 013
SIZE	3 x 3
Area (in SQ.M)	9.00
Area (in SQ.FT)	96.84
Area (in SQ.GAJ)	10.76

COMM.-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

7
8
9
10
11
12
13
14
15

BANCHMARK CITY

34	33	32	31	30	29	28
----	----	----	----	----	----	----

BANCHMARK CITY

हस्ताक्षर के बिना इस योजना को प्रमाणित नहीं किया जा सकता।
15-09-2018
[Signature]

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् जगतोक्त गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 764

दिनांक 10.06.2022

पट्टा धारक का नाम मेतर्स हाइली पुत्री विकास सिंह जन्म अर्धकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय गहलोत नगर कोटा रोड नं० 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेतर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

मुखण्ड सं.

shop no. 1C-19

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैंचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. *Niraj*

2. _____

अप संबीयक, धारा (प्रमाण)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नगर विकास न्यास, कोटा

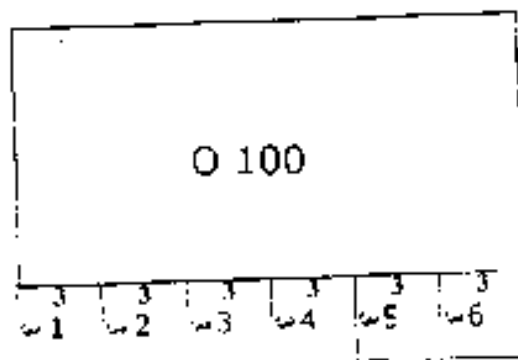
नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOPI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	16/19
SIZE	3 x 3
AREA (IN SQ. FT.)	2,00
AREA (IN SQ. YD.)	96.84
AREA (IN SQ. GAZ.)	10.76

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

COMM.-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

3 3
22 21
23 20
24 19
25 18
26 17
27 16

10 FEET PATH

3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3

BENCHMARK CITY



34 33 32 31 30 29 28

BANCHMARK CITY

16/19
Signature of Owner
M/297

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महतो
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 763

दिनांक 10-06-2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीती पुजी विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय नूतनसिटी लि० कंपस-सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्कॉल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुजा रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता 2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. shop no. 1C-20 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना वैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. N4297

2.

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(पिस्तौल)
नगर विकास न्यास, कोटा

उप पंजीकृत, कोटा (प्रथम)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने विहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज शर्ति जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार निशुल्क की गई लीज शर्ति 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विकस/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/विहित ईज का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञा है, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति सुनिश्चित की जाये।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर कंसा के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्रयोजित विक्रय पर अदि प्रस्तुत किया जायेगा, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्ति देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सत्कार/जीवन बीमा निगम/रूपदात्री संस्थाओं के पास बचक (नॉर्गेबल) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के जगपति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा धारता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य रूपान्तर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिन्हीं का पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट - निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल शर्ति।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण-

पूर्व 10 कि.मी. गली रोड उत्तरिम 75.5 30-23
पश्चिम 75.5 30-21 दक्षिण 75.5 30-19

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. 111297

2. _____

अनुमोदित

अनुमोदित

साक्षी :-

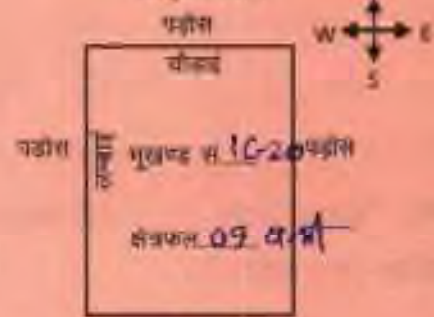
हस्ताक्षर 111297

नाम Mr. Muhammad

पता Buckhuda, Katta

अनुमोदित

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

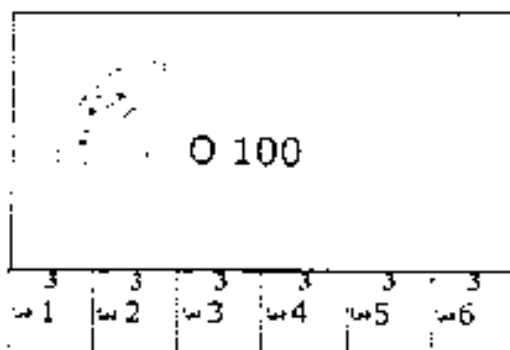
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
नगर विकास न्यास, कोटा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. 020
SIZE	2 X 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GA)	10.76

COMM.-5

3
42 m
41 m
40 m
39 m
38 m
37 m
36 m
35 m

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

3	3	3
22	21	7
23	20	8
24	19	9
25	18	10
26	17	11
27	16	12

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY

34 33 32 31 30 29 28

BANCHMARK CITY



16-24
18-24

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान आशीष गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/762

दिनांक 10/06/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स छावनी पूर्वी विकास लि० जसिं अर्धीरुत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंधोरी पुत्र श्री हनुमान पंधोरी पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय हाइटेक लि० कंपास सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्वुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जसिं

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

shop no. IC-21

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

से लिया है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

Niraj

1.

2.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

सिपायिका

नगर विकास न्यास, कोटा

34 पंजीकृत, कोटा (प्रथम)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पुष्टांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है। उक्त उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार निष्ठा की गई लीज राशि 15 वर्ष के परभाव और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित होटल का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुशुची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होने परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर जेता के पक्ष में नान परिसीमन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ संजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सत्कार/लीज बीमा नियम/अपराधी सम्बंधों के साथ बंधक (सीमेंट) तथा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्त (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्विक्रय व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथा भूदाता पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहायी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, शर्तों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिसकी पूर्ति नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अथवा _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पडोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 16 कि.मी. 205 पश्चिम 90.24 3C-22

उत्तर 10 कि.मी. 205 दक्षिण 90.24 3C-20

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

[Signature]

अपूरा निशान

2.

अपूरा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर *[Signature]*

नाम _____

पता _____

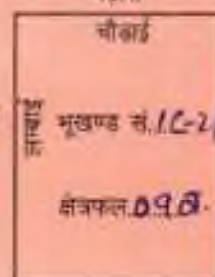
अपूरा निशान

साइट प्लान

पडोस

चौड़ाई

पडोस



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

(सहसचिव)

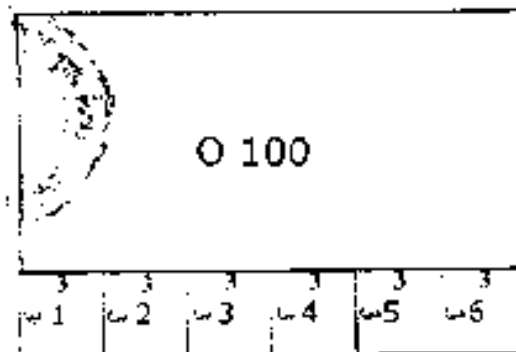
नगर विकास ब्यूरो, कोटा

- संजीकृत/पूछांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	16 02
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GA)	10.76

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

22	21	7
23	20	8
24	19	9
25	18	10
26	17	11
27	16	12

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY



I hereby declare that the above is a true and correct copy of the original plan as submitted to the Survey of India, Jaipur.

SIGNATURE OF OWNER

COMM.-5

34	33	32	31	30	29	28
----	----	----	----	----	----	----

BANCHMARK CITY



श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्याधी, राजस्व विभाग



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड)
व्यवसायिक



राजस्व नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोग के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 769

दिनांक 10.06.2022

मैसर्स हाडोती पूजा विकास लि० जसिने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पवीली पुत्र श्री हनुमान पवीली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय न्यूटेमेटल्स लि० बॉम्बे-सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्कूल इम्प्रुविटियर एरिया, कन्सुजा रोड कोटा नज्द

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जसिने

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

shop no. 1C-22

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2. _____

जप पंजीकृत, कोटा (गुप्त)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(प्रस्तावित)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक
पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)
(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज सति जमा करा दी है। जब तक भूखण्ड 29 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अर्थात्
पट्टा धारक को 29 वर्ष लीज सति प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा कराना होगा। एक बार नियत की गई लीज सति 15 वर्ष के बराबर और भूखण्ड के प्रत्येक विकल्प/हस्तांतरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विकल्प आधारा अन्ध प्रकार से हस्तान्तरित कर सकता तथा भूखण्ड को सप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकता।
4. उक्त भूखण्ड के विकल्प/हस्तांतरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ संजीकृत विकल्प पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई सति देन नहीं होगी।
5. पट्टा विलेख का अन्तर्गत/जीवन बीमा विपणन/कनवाजी संस्थाओं के पास संयक (मार्ग) रख जा सकता, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
6. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत चलना होगा।
7. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
8. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से कच्ची विस्तार किया जा सकता अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख के निष्पादन के बराबर नियम विरुद्ध तथा उच्च सुपाकर भूखण्ड विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकता।
10. पट्टा विलेख की योजना में आंतरिक विवाद हो जाने वाले अथवा विवाद/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा कहन किया जायेगा।
11. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, सति विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्त लागू होगी जिनकी चालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकता।
12. अन्य

नोट - निर्मित भूखण्ड में शर्त 2 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल सति।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व ख.स. 2C-21 पश्चिम 2C-4A/ख.स. 2C-25
उत्तर 16 कि.मी. 205 दक्षिण ख.स. 2C-23



साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

अमृत निशान

2. _____

अमृत निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम Haji Muhammad
पता Bahadur, Katta

अमृत निशान

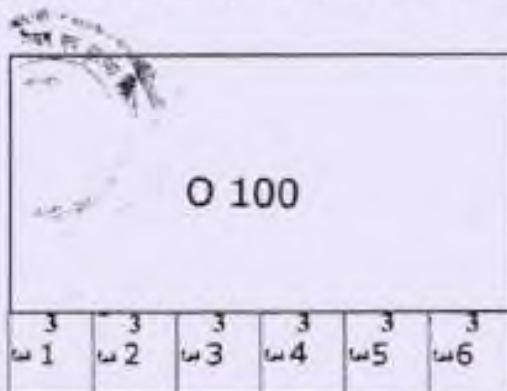
प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास आन, ओटा

- पंजीकृत/पुष्टांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	L.C. 022
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GAJ)	10.76

COMM.-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

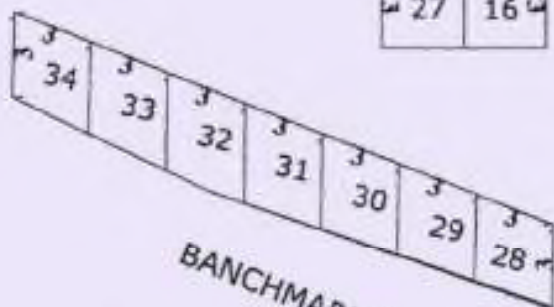
10 FEET PATH

22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

7
8
9
10
11
12
13
14
15
3

BANCHMARK CITY



BANCHMARK CITY

अनुमति ले-आवक काल से पहले बचत I.C.L.
लेखक 09.03.2011 निम्न से तैयार प्रमाणित
होने के बाद ही, प्रमाणित, प्रमाणित, प्रमाणित का प्रमाण

(Signature)

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक /

737

दिनांक 10/6/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाडोली पूंजी विकास लि० जलिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय, कलौषटाल सि० कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लाई स्क्वैर इन्फेस्टिगन्स, एरिया कन्सुमर रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जलिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं

shop no. IC-23

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं

507

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

मे स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

NH 297

2.

उप पंचायक, कोटा (प्रभु)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर भय मोहर

(प्रेसिंग)

नगर विकास न्यास, कोटा

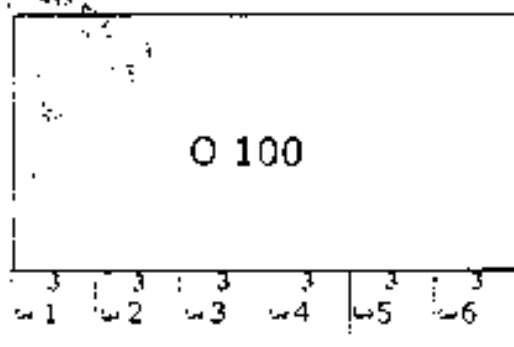
नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



Plot No.	507
Plot Area	1.00 Ha.
Size	3 x 3
Area (In Sq.M)	9.00
Area (In Sq.Ft)	96.84
Area (In Sq.M)	10.76

COMM.-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

22	21	7
23	20	8
24	19	9
25	18	10
26	17	11
27	16	12

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY



34	33	32	31	30	29	28
----	----	----	----	----	----	----

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् जगत क महापात्र
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

कमांक/768

दिनांक 06/06/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाडोती पूजा विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री गौरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय सल्लीमदस्त लि० कंपस सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021
जसिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

मुखण्ड सं shop no. 1C-24 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैंचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nu297
2. _____

उप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थित)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तों की छे पुष्प पर अंकित है।

- पंजीकृत/पूछाकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निर्दिष्ट नियमों के तहत एक मुक्त लीज शक्ति जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज शक्ति _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार दिनांक की गई लीज शक्ति 15 वर्ष की अवधि और भूखण्ड के प्रत्येक विकस/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्दिष्ट क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर इजाजत भवन विनियम में सम्मिलित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की भांति सुनिश्चित की जाये।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विकस/अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड की उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेंगा।
- उक्त भूखण्ड के विकस/हस्तान्तरण पर कंटा के पक्ष में गान परिकल्पना के लिए निषेध में निर्धारित मुक्त आवेदन की संख्या/प्रयोजन विकस पर कोई प्रस्तुत किया जावेगा, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शक्ति देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का साक्षर/जीवन बीमा निरन्/अल्पदायी संस्थाओं के पास रखा जा सकेगा, जिसके लिए वित्तीय निकाय के अनुरोधित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण इजाजत भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व मू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अन्तिम विलेख किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् निम्न विवरण तथा तथ्य धारक पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आंतरिक विकास पर होने वाले व्यय विकसकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
- पट्टा विलेख तिन अधिनियमों, नियमों, शक्ति विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अथवा

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प छुट्टी हेतु पट्टे की प्रति फल शक्ति।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. अ. IC-19 पश्चिम IC 41/191 203

उत्तर गु. अ. IC-23 दक्षिण गु. अ. IC-25

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Narinder

अंगुठा निशान

2. _____

अंगुठा निशान

साक्षी :-

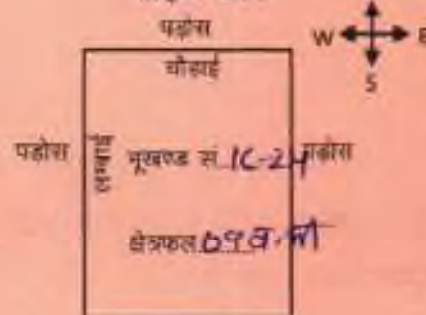
उत्तराधिकार Haji Ashanmad

नाम Haji Ashanmad

पता Buchheda, Pat

अंगुठा निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

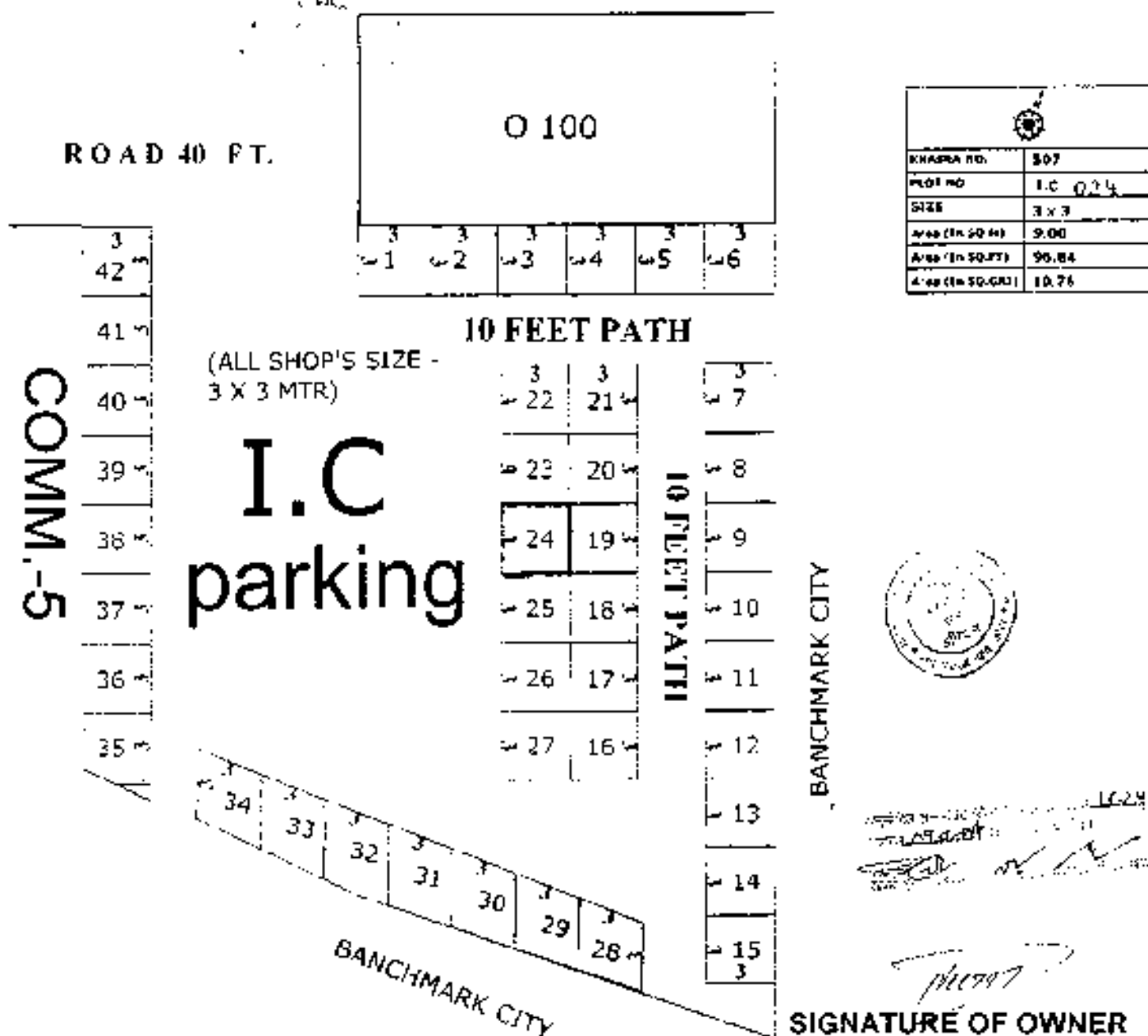
साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(सिगराविक)
नगर विकास स्थल, कोय

- पंजीकृत/पुष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**





श्रीमान् अशोक शहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 760

दिनांक 18.06.2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हजारी प्रजो विकास लि० जस्यि अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय इन्डियन स्टेट्स लि० केम्पस सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुज रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

shop no. IC-25

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैंचमार्क एक्सटेंशन

मे स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

(सिख)
नगर विकास न्यास, कोटा

उप पंजीकृत, कोटा (पुनः)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुस्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक डिब्बे/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित ढींग का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयोजित भवन विनियम में सम्मिलित अनुसूची में उल्लिखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
3. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
4. उक्त भूखण्ड की विक्रय/हस्तान्तरण पर कंटा के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए पिकअप में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
5. पट्टा विलेख का सफल/जीवन बीमा नियम/कर्मदात्री संस्थाओं के पास कंथाक (मेमोरैंड) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय का अनुरोध प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
6. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
7. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अगति रोकता किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् निम्न विकल्प तथा साथ धुपाकर पट्टा विलेख अस्त-विस्तार किया जा सकेगा।
1. उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकसक/गृह निर्माण कार्यालय समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
11. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधानों व शर्तें लागू होंगी जिसकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
12. अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पट्टों की सीमाओं का विवरण-

पूर्व भू. अ. 21-18 पश्चिम भू. अ. 21-23
उत्तर भू. अ. 21-24 दक्षिण भू. अ. 21-26

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Necard

2. _____

साक्षी :-

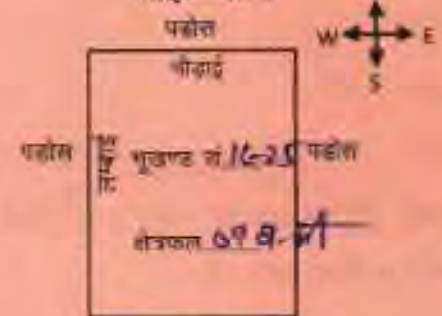
हस्ताक्षर Hameed
नाम Haji Mohammad
पता Barkheda, Kala

अंगुल निशान

अंगुल निशान

अंगुल निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

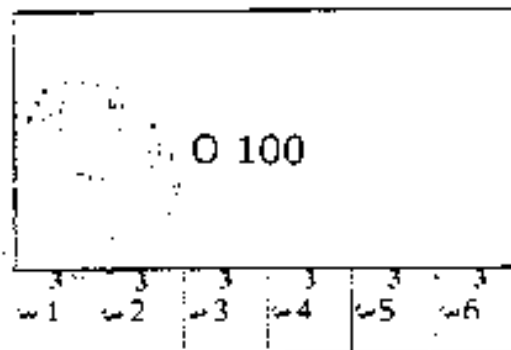
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
गर विकास न्याय कोट

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. 025
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.Ft)	96.84
Area (In SQ.GAJ)	10.76

COMM.-5

42
41
40
39
38
37
36
35

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 NTR)

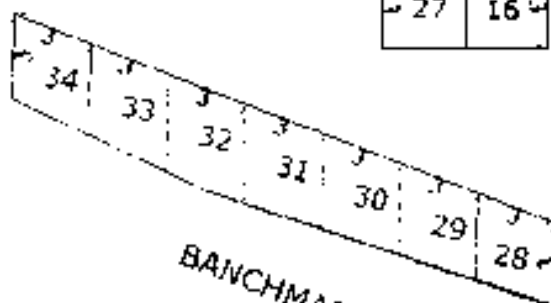
**I.C
parking**

10 FEET PATH



10 FEET PATH

BANCHMARK CITY



BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् आशीष गजराज
पुलवन्दी, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड)

व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 767



पट्टा धारक का नाम मेसरस हाइली प्रोपर्टी विकास लिमिटेड जस्य अर्धीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज

अथवा

पट्टा धारक मेसरस

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. shop no. IC-26 क्षेत्रफल 9 वगामीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बेंचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. N11247

2.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपराधिव)
नगर विकास न्यास, कोटा

ज. प्रदीपक, कोटा (प्रमुख)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पूरांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज शर्तें जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।

अथवा

पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज शर्तें _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज शर्तें 15 वर्ष के पश्चात और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित होल का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे परन्तु इन्सेक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
3. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड की उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
4. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निष्काश में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ परीकृत विक्रय एवं आवेदि प्रस्तुत किए जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक के पञ्चाधिकारी के मामले में कोई शर्त देय नहीं होगी।
5. पट्टा विलेख का सरकार/जीएन सीमा नियम/अनुदान/सहायकों के पास बचत (भेरीज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निवास के अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
6. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करता होगा।
7. पट्टा कर्ता (स्थानीय निवास) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात नियम विरुद्ध तथा अन्य कुराखी पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. पट्टा विलेख की योजना आंतरिक विकास पर होने वाले प्लानिंग/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
11. पट्टा विलेख जिन अनुसूची, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
12. अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

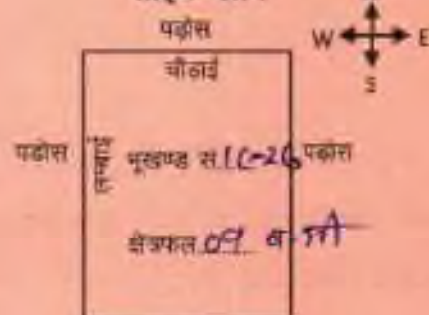
स्टाम्प खूटी हेतु पट्टे की प्रति फल शर्तें।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व प्लान नं. 20-17 पश्चिम प्लान नं. 20-18

उत्तर प्लान नं. 20-25 दक्षिण प्लान नं. 20-27

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nu 201

अंगुठा निशान

2. _____

अंगुठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Nu 201

नाम _____

पता _____

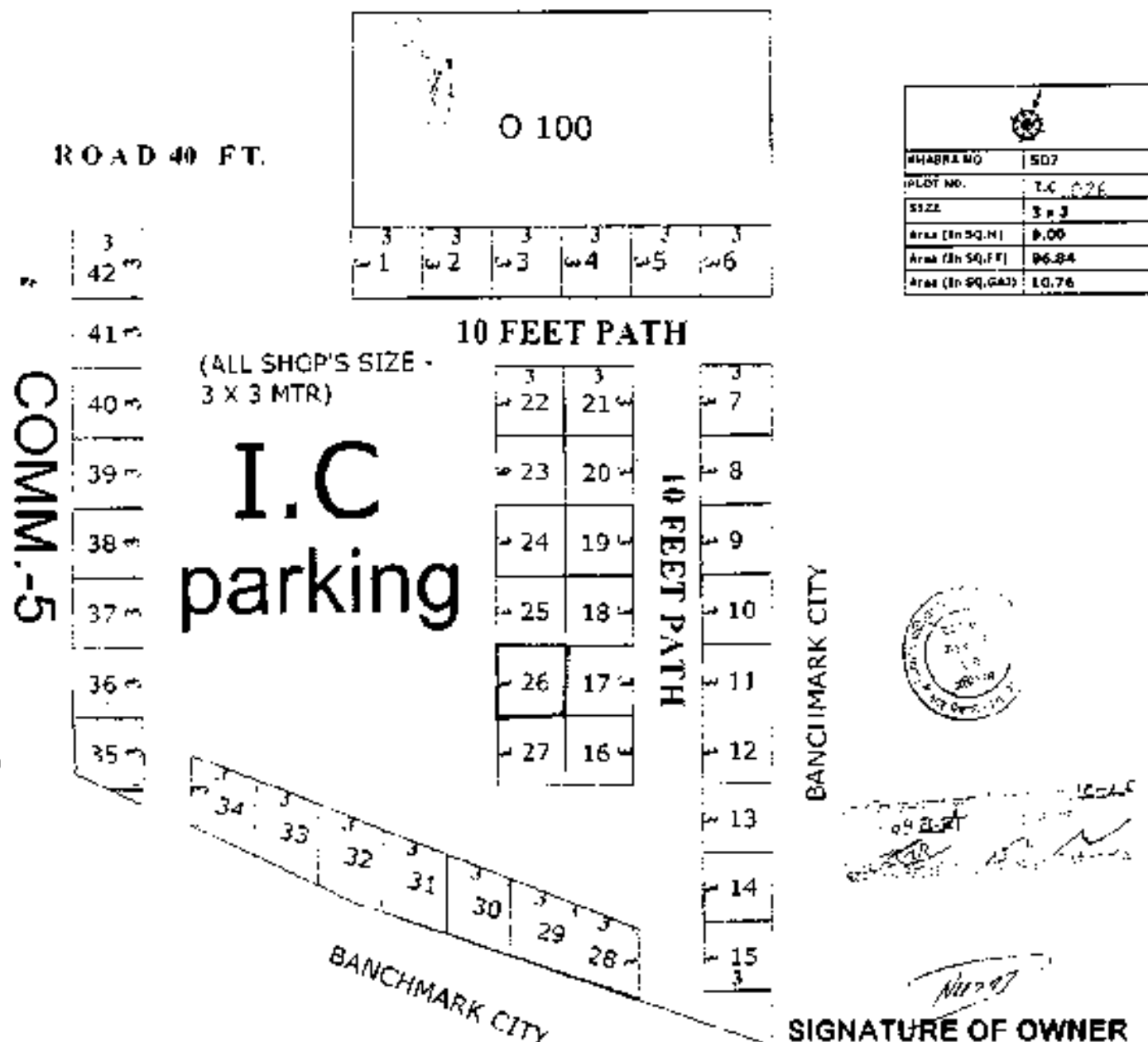
अंगुठा निशान

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(सिम्बल)
नगर विकास नर्स ऑफ

- परीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**





श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/701

दिनांक 10-06-2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडौती पूंजी विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय माट्टीपेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. shop no. 1C-27 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 567

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2. _____

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(निष्पादित)
नगर विकास न्यास कोटा

उप पंचायक, कोटा (प्रथम)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक ने विहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज शर्ति जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज में मुक्त है।

अथवा

पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज शर्ति _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज शर्ति 15 वर्ष के पश्चात और भूखण्ड के प्रत्येक डिविज/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/विहित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विज्ञप्त उद्योग अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
4. उक्त भूखण्ड के डिविज/हस्तान्तरण पर जेला के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निम्न में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी को मानने में कोई शर्ति देय नहीं होगी।
5. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा नियम/जनदायी संस्थाओं के पास रकम (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनामत प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
6. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के तहत करना होगा।
7. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा सभी सुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
11. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, शर्तों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
12. अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल शर्ति।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व भू. सं. 3C-16 पश्चिम 3C पार्सी रोड
उत्तर भू. सं. 3C-26 दक्षिण 3C पार्सी रोड

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nic297

अंगुठा निशान

2. _____

अंगुठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Maj. Mohammad
नाम Maj. Mohammad
पता Barkheda, Kats

अंगुठा निशान

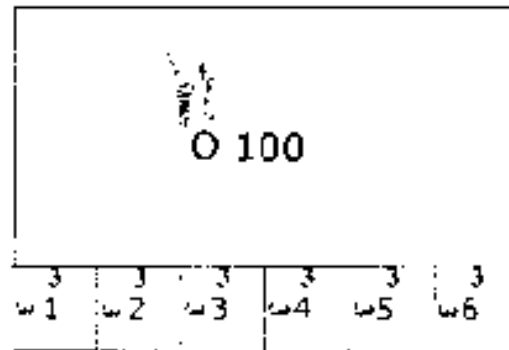
प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(संप्रसंगिक)
नगर विकास कार्य कोट

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO	24, 022
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.88
Area (In SQ.YARD)	10.76

COMM.-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

7
8
9
10
11
12
13
14
15

BANCHMARK CITY

24	33	32	31	30	29	28
----	----	----	----	----	----	----

BANCHMARK CITY



24.02.2017

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् आनंद महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 766

दिनांक 10.06.2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाथी पंजी विकास लिमिटेड जयपुर अधीकृत हस्तप्रकरण श्री नाराज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लिमिटेड सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज.

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जयपुर

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

shop no. 1C-28

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैंचमार्क एक्सटेंशन

मे स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

Nuzar

2.

अप पंजीकृत, हाथ (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
प्राधिकृत अधिकारी
(उपस्थित)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड) (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने विहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज शर्तें जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज शर्तें _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार निगत की गई लीज शर्तें 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेंता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विक्रय एवं अधि प्राप्त किया जायेगा, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्त देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/आणवडी संस्थाओं के पास बचक (गेरैज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थायी निकाय के अनुरूपित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थायी निकाय) की किंवा स्वीकृति के भूखण्ड का जर्जिजेशन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम शिक्का तथा अन्य शुल्क पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले कार्य विकास अधिकारी/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा करवा दिया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्तें नं. 8 लागू नहीं होगी।

कठाम द्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल शर्त।

भूखण्ड के पडोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 10 कि. मी. रोड पश्चिम 95 मी. ई. 29
उत्तर 1.5 मी. रोड दक्षिण 20 मी. रोड

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Niraj

अंगुठा निशान

2. _____

अंगुठा निशान

साक्षी :-

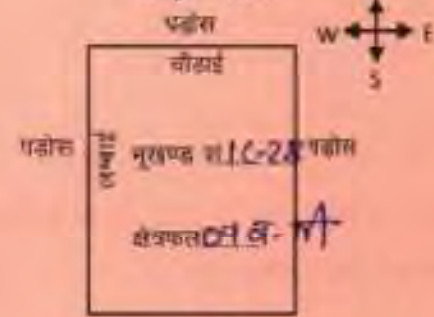
हस्ताक्षर Haji

नाम Haji Mohammad

पता Bawunda, Kota

अंगुठा निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

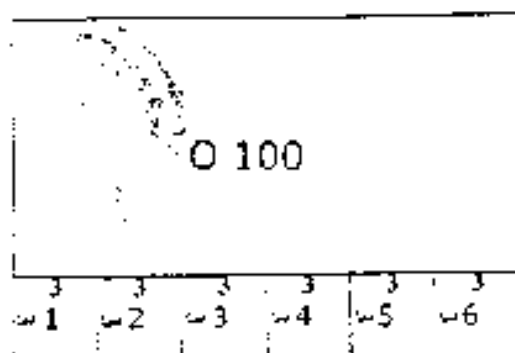
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
नगर विकास ब्यास, कोटा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO	507
PLOT NO	I.C. 028
SIZE	7 x 5
Area (In SQ.M)	9.08
Area (In SQ.FT)	94.84
Area (In SQ.GA)	18.76

COMM.-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

27	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

7
8
9
10
11
12
13
14
15

BENCHMARK CITY



Digitized by eGangotri
Date 09.05.2017
Page No. 1/1

Niraj

SIGNATURE OF OWNER

BENCHMARK CITY



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 756

दिनांक 10/06/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाडीली पूजी विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्लोसेटलस लि० कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

मूखण्ड स.

shop no. 1C-29

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा स.

507

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(सचिव)
नगर विकास न्यास, कोटा

उप पंचायक, कोटा (प्रमुख)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज शर्त जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज शर्त _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। एक बार निषत की गई लीज शर्त 15 वर्ष के पश्चात और भूखण्ड के प्रत्येक विकस्य/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्धारित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित नगर विनियम में सम्बन्धित अनुशूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना अनिवार्य की जावे।
3. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विकस्य अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
4. उक्त भूखण्ड के विकस्य/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाप परिवर्तन के लिए विकास में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विकस्य पत्र अर्थात् प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्त देय नहीं होगी।
5. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा नियम/जगदानी सरकारों के पास कोक (मॉर्च) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरोधित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
6. भूखण्ड पर नगर निर्माण प्रचलित नगर विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
7. पट्टा फलों (स्थानीय निवास) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा डिग्रेड निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख के निष्पादन के परमाणु नियम विरुद्ध तथा तथा भुक्तकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले नगर विकासकृत/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा ग्रहण किया जायेगा।
11. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
12. अन्य _____

नोट :- निर्धारित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल शर्त :-

भूखण्ड के पट्टे की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. अ. 30-28 पश्चिम गु. अ. 30-30
उत्तर 30 फीसदी रोड दक्षिण रा. ब. बा. 100

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nuraj

अंगुठा निशान

2. _____

अंगुठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर मोहम्मद

नाम राजी मोहम्मद

पता शेरवारा, कोटा

अंगुठा निशान

साइट प्लान



सहक की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

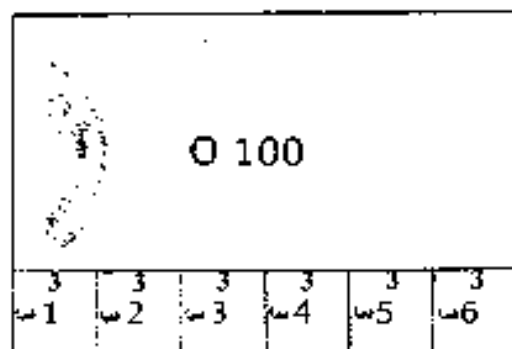
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थिति)
नगर विकास ब्याच, कोटा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C 029
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GAJ)	19.76

COMM.-5

3
42 m
41 m
40 m
39 m
38 m
37 m
36 m
35 m

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

7
8
9
10
11
12
13
14
15
3

BANCHMARK CITY

34 33 32 31 30 29 28

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/

765

दिनांक 10/6/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाथौली पूंजी विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय नल्लेमेटर्स लि० कंपस रोड ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

मूखण्ड सं.

shop no. 1C-30

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1

Niraj

2

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

(उपसचिव)

नगर विकास न्यास, कोटा

उप-पंजीयक, हाथ (पुष्प)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज शर्तें जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज शर्तें _____ प्रति वर्ष आवधिक रूप से जमा करनी होगी। एक बार निष्ठा की गई लीज शर्तें 10 वर्षों के पश्चात और भूखण्ड को कृषिक विभाग/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड या प्रयोजित काल विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमति होने, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित अनुमति की शर्तों का पालन सुनिश्चित की जाए।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेंगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेंगा।
- उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर लेना के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए विक्रय में निर्धारित मुक्त आवंटन के साथ पर्यवेक्षित विभाग पर जारी प्रस्तुत किया जाएगा, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्त देना नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/अन्यदायी संस्थाओं के पास कब्जा (स्कोपेज) रखा जा सकेंगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर नवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के अनुमति तहत करना होगा।
- पट्टा धारक (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व नु उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विलोपित किया जा सकेंगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकेंगा।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात नियम विरुद्ध तथा तथा धुपाने पट्टा विलेख द्वारा किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विवाद, पर होने वाले अन्य विवादकार्य/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा रद्द किया जाएगा।
- पट्टा विलेख रद्द अवधिनिर्माण, विधायक, नीति, निर्माण के तहत जारी किया गया है। इनकी सभी प्राप्ति व करने जायु होगी जिसकी पालना नहीं करे पर पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
- अन्य _____

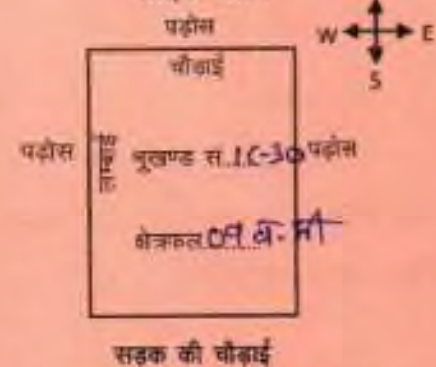
नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्तें नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल शर्तें।

भूखण्ड के पट्टे की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 95.25 ई. 31 पश्चिम 95.25 ई. 31
उत्तर 22 पाई 20 दक्षिण 22 पाई 20

साइट प्लान



साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nurpur

अंगूठा निशान

2. _____

अंगूठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम _____

पता _____

अंगूठा निशान

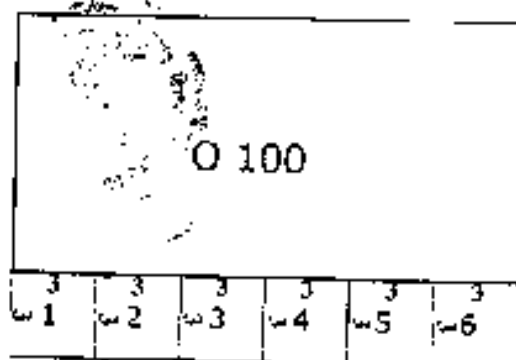
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(सहसचिव)
नगर विकास न्याय, कोटा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. 030
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.F)	96.84
Area (In SQ.GA)	10.76

COMM.-5

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

10 FEET PATH

BANCHMARK CITY



अनुमति दे-प्राप्त करी है, 1000 SQ. FT. 10-30
1000 SQ. FT. 1000 SQ. FT. के लिए अनुमति
1000 SQ. FT. 1000 SQ. FT. के लिए अनुमति

11/11/2017

SIGNATURE OF OWNER

BANCHMARK CITY



श्रीमान् अशोक महलोन
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक /

744

दिनांक 10/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीती पूंजी विकास लिमिटेड जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पुत्र/पुत्री
पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय सल्टीमेटल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कोर इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

shop no. IC-31

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

NH1797

उप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

2.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

(उपसचिव)

नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा ली है। उक्त उक्त मुखण्ड 36 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के परचात और मुखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा मुखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मुखण्ड पर प्रचलित न्यून विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञा होगा, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पाठना सुनिश्चित की जाएगी।
- पट्टा धारक उक्त मुखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मुखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त मुखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर केता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत निकाय पत्र जारी प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक को उत्तराधिकारी को मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऊणवासी संस्थाओं के पास कोक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के जनपदीय प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- मुखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित न्यून विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मुखण्ड का उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के संबंधित नियम विरुद्ध तथा तथ्य धुकाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मुखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पाठना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित मुखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

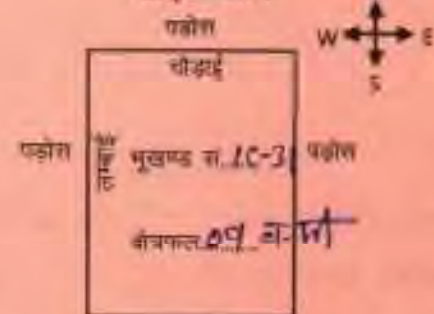
स्टाम्प द्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मुखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 25.21 AC-30 पश्चिम 25.21 AC-32

उत्तर 3.2 पाकिंग रोड दक्षिण अक्ष आशानी

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

अंगूठा निशान

2. _____

अंगूठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर

नाम Mojib Mohammad

पता Banohada, Kota

अंगूठा निशान

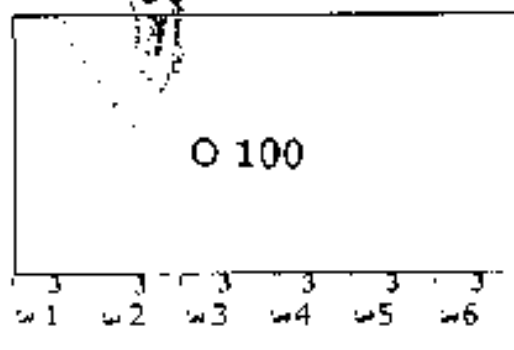
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थिति)
कार विकास न्याया, कोटा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO	10 031
SIZE	3 x 3
Area (In Sq. Ft.)	9.00
Area (In Sq. Mtr.)	96.84
Area (In Sq. Yds.)	10.76

COMM.-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

(All SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

3	3
22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3



BANCHMARK CITY

3	3	3	3	3	3	3	3
34	33	32	31	30	29	28	

BANCHMARK CITY

Approved by the District Survey Officer, Kota-324003
Date: 09.08.2017

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलवाल
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड)
व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक /

755

दिनांक

10/6/2022

पट्टा धारक का नाम श्रीमान् हाडौती पूंजी विकास लिमिटेड जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र / पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुआ रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जसिये

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री

पुत्र / पुत्री -

निवासी

भूखण्ड सं

shop no. IC-32

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैंचमार्क एक्सटेंशन

मे स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

M/207

2.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

प्राधिकृत अधिकारी

(व्यवसायिक)

नगर विकास न्यास, कोटा

24 पंजीकृत, कोटा (प्रमुख)

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा कर दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षों के लीज से मुक्त है।
अर्थात्
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विकस्य/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्धारित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होगा, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्तता सुनिश्चित की जाएगी।
3. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विकस्य अथवा अन्य प्रकार के हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
4. उक्त भूखण्ड को विकस्य/हस्तान्तरण पर लेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए विकस्य में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विकस्य पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
5. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/कन्यादात्री संस्थाओं के पास बंका (सीज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निषाध के अनाश्रित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
6. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
7. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य जुगाफत पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर उक्त जगह विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
11. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पूर्तता नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

12. अन्य

नोट - निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

सीमा द्यूली हेतु पट्टे की शर्तें कल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व प्लॉट नं. 21-31 पश्चिम प्लॉट नं. 21-33
उत्तर उ. 2 पार्किंग रोड दक्षिण आम बाग़ीचा

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Mohd

अंगुल निशान

2. _____

अंगुल निशान

साक्षी :-

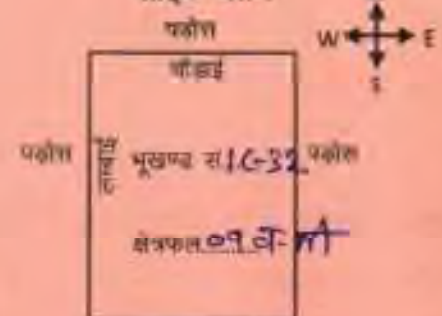
हस्ताक्षर Mohd

नाम Haji Mohammad

पता Barkheda, Kotla

अंगुल निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मेय मोहर

(अधिकारी)
नगर विकास न्यास कोटा

- पंजीकृत/पूछांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

O 100					
3 ω 1	3 ω 2	3 ω 3	3 ω 4	3 ω 5	3 ω 6

	
NHASRA NO.	507
PLOT NO.	1-C - 032
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GA)	10.76

- COMM.-5

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

I.C
parking

10 FEET PATH

10 FEET PATH

BENCHMARK CITY

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यायुक्त, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 754

दिनांक 10/06/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाडोती पूंजी विकास लिमिटेड जयिमे अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्वुआ रोड कोटा राज.

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स शहर कार्यालय पता 2021
जयिमे
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं shop no. IC-33 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्थान ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.
2.

प्रामाणिक अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थित)
नगर विकास न्यास, कोटा

उप पंचायक, कोटा (प्रथम)

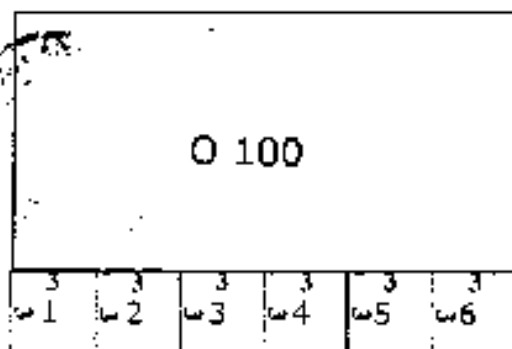
नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO	LC 033
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GA)	10.76

COMM-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

7
8
9
10
11
12
13
14
15
3

BANCHMARK CITY



Signature of Owner
Date: 10-11-2017
Place: Kota, Rajasthan

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अमर्क गहलौत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 745-

दिनांक

10/6/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाजीती पूजी विकास लि० जयिमे अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नौरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पुत्र/पुत्री
पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय भूटोसटला लि० कम्पस-सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुजा रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021
जयिमे

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. shop no. IC-34 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्व साम. नयाखेडा खसरा सं. 567

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nooraj

2. _____

अ पंचोली, कोटा (प्रमुख)

प्राधिकृत अधिकारी
(उपस्थित)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज शर्त जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
जयरा
- पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज शर्त _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार निदा की गई लीज शर्त 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तांतरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निमित्त क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्तता सुनिश्चित की जावे।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को जग-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तांतरण पर जेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्रेषित किया जावे।
- पट्टा धारक को उक्त भूखण्ड के उपयोग/विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं करनी होगी।
- पट्टा विलेख का सरकार/स्थानीय निकाय/अन्य प्राधिकारियों के पास रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अधीन प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के तहत करना होगा।
- पट्टा धारक (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित रूप से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्काशन के पश्चात् निम्न विकल्प तथा अन्य सुधार पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
- पट्टा विलेख निम्न अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनमें कभी आवश्यकता पड़े तो लागू होगी जिसकी पूर्तता करनी पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

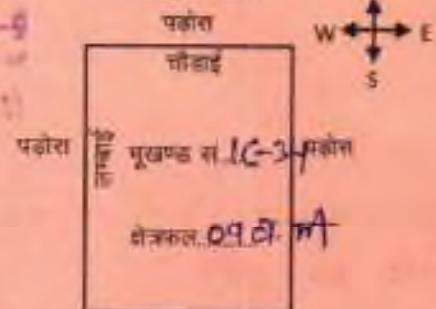
स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल शर्त।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. रा. 25-33 पश्चिम 205

उत्तर 25-44 दक्षिण 205

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम Mr. Mohammad

पता Kaithuda, P.O.

अंगुष्ठ निशान

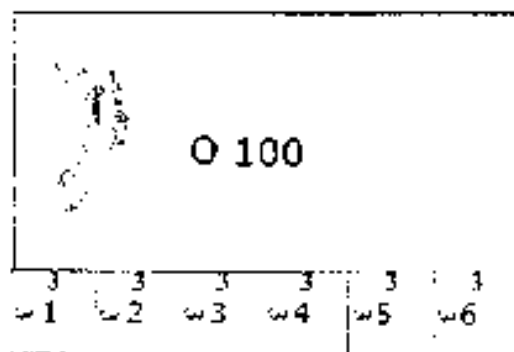
प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नय मोहर
(पंजीकृत)
नगर विकास न्याय, कोटा

- पंजीकृत/पंजीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. 034
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ FT)	96.84
Area (In SQ GAZ)	10.76

COMM-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

3	3
22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3



BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER

BANCHMARK CITY

Handwritten signature and date: 16/12/24



श्रीमान् अजींक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 738

दिनांक 10.06.2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाडीटी पूंजी विकास लि० जयपुर अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नरेश पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय गल्लेमटलस लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021
जयपुर
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. shop no. IC-35 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 501
योजना बैचनार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nuzat
2.

उप पंचायक, हाडीटी प्रथम

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड) (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा कर ली है। जब तक भूखण्ड 99 वर्षों के लीज के मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विकस्य/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्मिलित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञा है, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विकस्य अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकता तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकता।
- उक्त भूखण्ड के विकस्य/हस्तान्तरण पर जेला के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निवास में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विकस्य पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक को उत्तरदायी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुदायी संस्थाओं के पास बंक (मोर्गज) रखा जा सकता, जिसके लिए स्थानीय निवास के अनुरोधित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्त (स्थानीय निवास) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकता अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के विध्यादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा उक्त पृष्ठांक पट्टा विलेख बना किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकता।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण साहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अविनियमों, विधियों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनकी सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकता।
- अन्य

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

पट्टा धारक हेतु पट्टे की प्रति फल रही।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व उत्तर पार्श्व सीमा पश्चिम गु. स. 18-5
उत्तर गु. स. 18-36 दक्षिण अज्ञात

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. NK 207

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर Hemish

नाम हजी मोहम्मद

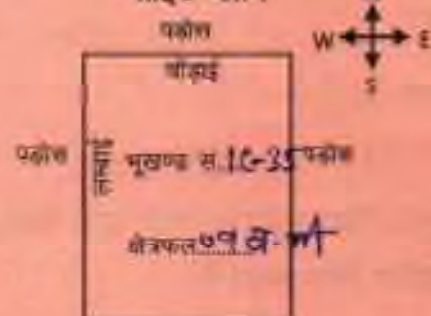
पता बेसिंग, मोटा

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

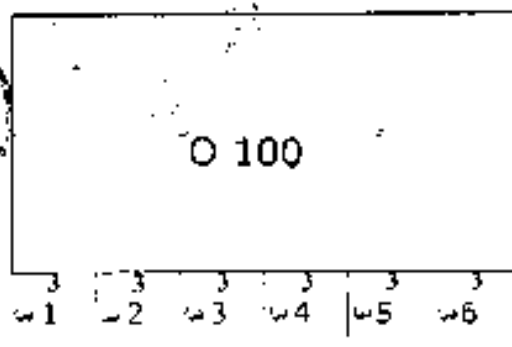
साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर
(जस्ताबंद)
नगर विकास ब्यूरो, मोटा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KINABRANG.	SB7
PLOT NO.	T.C 015
SIZE	2 x 3
Area (1m SQ.M)	9.00
Area (1m SQ.FT)	96.84
Area (1m SQ.GA)	10.76

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

I.C
parking

10 FEET PATI

BANCHMARK CITY

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
एकलव्य, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 739

दिनांक 10/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीली पुंजी विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय इन्डियन लि० कंपस-सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्कूल इन्डियन लि० जसिये कानूनी रोड कोटा जयपुर

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. shop no. IC-36 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

2. [Signature]

38 पंचोली, कोटा (पुनः)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थित)
नगर विकास न्यास, कोटा

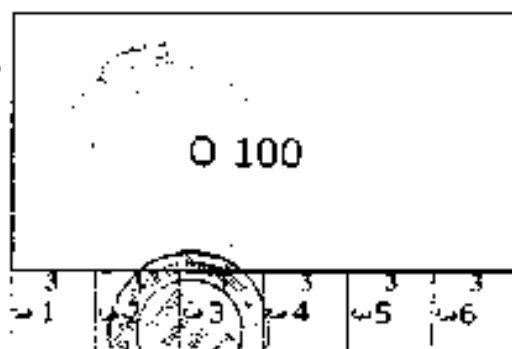
नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO	IC 036
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GAJ)	10.76

3
42
41
40
39
38
37
36
35

COMM-5

(ALL SHOPS SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

7
8
9
10
11
12
13
14
15

BENCHMARK CITY

34	33	32	31	30	29	28
----	----	----	----	----	----	----

BENCHMARK CITY

10-36
10-36
10-36

100297

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 740

दिनांक 10.06.2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडोती पूजा विकास लिमिटेड जारिय अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय इण्डोस्ट्रियल लिमिटेड कोटा-सी जॉक 6-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कान्हा रोड कोटा राजको

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जारिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

shop no. IC-37

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नवाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

अप पंचायक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पुष्ताकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा कर दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज के मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को इच्छित वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवधिक रूप से जमा करानी होगी। एक बार निवृत्त की गई लीज राशि उस वर्ष के पट्टा और भूखण्ड के प्रत्येक विकस्य/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्धारित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियमन में सम्मिलित अनुशुची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्तता सुनिश्चित की जावे।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विकस्य अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर नहीं करेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विकस्य/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परीक्षण के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विकस्य पर आवृत्ति अनुशुची लागू होगी, परन्तु पट्टाधारक को उत्तरदायित्व के रूप में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का कारकार/जोवन रीय नियम/अनुदायी संस्थाओं के पास भेजकर (फीडिंग) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय का अस्वीकृत प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना परीक्षा के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नु उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् निम्न विकस्य तथा लब्ध भूखण्ड पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले खर्च भवन विकासकर्ता/गृह निर्माण सहायक समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, शर्तों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रवधान व शर्तें लागू होंगी जिसकी पूर्तता नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व IC पाकिस्तान रोड पश्चिम गु. 21 IC-5
उत्तर गु. 21 IC-38 दक्षिण गु. 21 IC-36

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nasir

अनुदा नियम

2. _____

अनुदा नियम

साथी :-

हस्ताक्षर Mohammed

नाम Majid Mohammed

पता Bankhuda, Kota

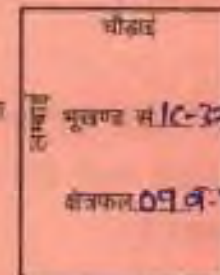
अनुदा नियम

साइट प्लान

पड़ोस

घोड़ाई

पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

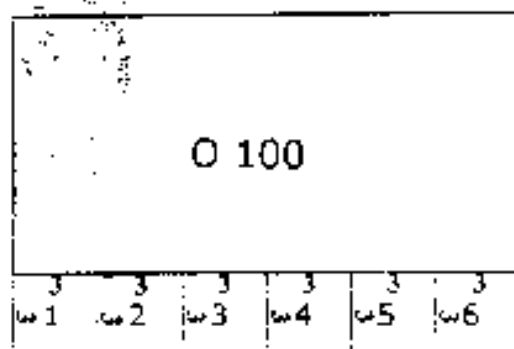
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थिति)
नगर विकास खास, कोटा

- पंजीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. 037
SIZE	3 x 3
Area (IN SQ.M)	9.00
Area (IN SQ.FT)	96.84
Area (IN SQ.GAR)	10.76

COMM.-5

42 m
41 m
40 m
39 m
38 m
37 m
36 m
35 m

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

7
8
9
10
11
12
13
14
15

BANCHMARK CITY

34	33	32	31	30	29	28
----	----	----	----	----	----	----

BANCHMARK CITY



SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 741

दिनांक 10/6/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाडौती पूंजी विकास लिमिटेड जस्य अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्जुआ रोड कोटा राज0

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर अथवा कार्यालय पता 2021
जस्य जस्य
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी पुत्र/पुत्री

भूखण्ड सं. shop no. IC-38 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507
गोचना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. 11/07/22
2.

उप-पंजीयक, कोटा (राजस्थान)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(अससिव)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S MADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.

O 100

KHASRA NO.	507
PLOT NO.	LG 038
SIZE	3 x 3
Area (In SQ. M)	9.00
Area (In SQ. FT)	95.84
Area (In SQ. GAZ)	18.75

3
42

3 3 3 3 3 3
1 2 3 4 5 6

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

3	3	3
22	21	7
23	20	8
24	19	9
25	18	10
26	17	11
27	16	12

10 FEET PATH



BANCHMARK CITY

COMM.-5

41
40
39
38
37
36
35

34 33 32 31 30 29 28

BANCHMARK CITY

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महलान्त
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

ड्राफ्ट / 770

दिनांक 10-06-2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडोती पुजी विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्लमदलस लि० कैम्पस सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुआ रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

shop no. 1C-39

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैचनार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(सहसिध)

अव. पंजीयक, कोटा (प्रथम)

नगर विकास न्यास कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।

and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक ने निर्मित निम्नो के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा करना है। अतः उक्त मूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार निशान की गई लीज राशि 15 वर्ष के परवान और मूखण्ड को प्रत्येक विकल्प/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की कटौति होगी।
2. पट्टा धारक द्वारा मूखण्ड/निर्धारित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिन उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्मिलित अनुमति से उल्लेखित उपयोग अनुमति होने पर प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
3. पट्टा धारक उक्त मूखण्ड को विकृत अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
4. उक्त मूखण्ड को विकृत/हस्तान्तरण पर काल के पक्ष में नगर परिषद के लिए निशान में निर्धारित मुक्त आवंटन के साथ पंजीकृत विकल्प पर आवंटित प्रत्युत किया जाएगा, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देव नहीं होगी।
5. पट्टा विलेख का सकार/जीवन बीमा निगम/आगदात्री संस्थाओं के पास कराव (फॉर्गेज) तथा जा सकने वाला जिसके लिए स्थानीय निवास के अनिवार्य प्रमाण पत्र (NRC) की आवश्यकता नहीं होगी।
6. मूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
7. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना हस्तक्षेप के मूखण्ड का उपयोग/पुनर्वसन हेतु उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख के विस्थापन के पश्चात् निम्न विकल्प तथा अन्य धुंधला पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकल्प पर होने वाले अन्य विकासकर्ता/नगर निर्माण सड़ककारी समिति द्वारा करने किया जाएगा।
11. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिसकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

12. अन्य _____

नोट :- निर्मित मूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प दायीं हेतु पट्टे की प्रति कल राशि।

मूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व उ.स. 40/10/20 पश्चिम उ.स. 41 (P-5)
उत्तर उ.स. 42-40 दक्षिण उ.स. 43-38



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nuraz

अंगुला निशान

2. _____

अंगुला निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Haji Mohammad

नाम Haji Mohammad
पता Buckhuda, Kotla

अंगुला निशान

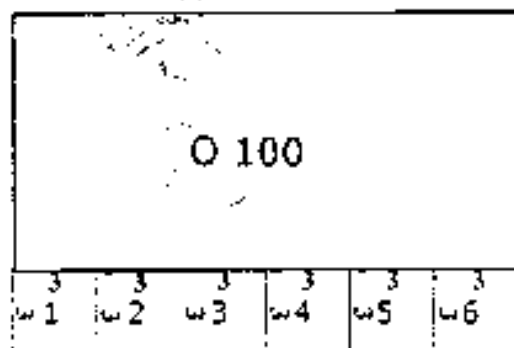
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
प्राधिकृत अधिकारी
(उपस्थिति)
नगर विकास न्याय, अटल

- पंजीकृत/पुष्टीकरण संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER : M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. 019
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.YD)	10.76

COMM-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

3 3
22 21
23 20
24 19
25 18
26 17
27 16

10 FEET PATH

3
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BANCHMARK CITY



महोदय के सम्मुख में यह प्लान नम्बर IC-39
क़ानून के अनुसार तैयार किया गया है।
महोदय के सम्मुख में यह प्लान नम्बर IC-39
क़ानून के अनुसार तैयार किया गया है।

Handwritten signature

SIGNATURE OF OWNER

BANCHMARK CITY



श्रीमान अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आपटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 742

दिनांक 06.08.22

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडोती पूजा विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री कल्याण पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्लोदटला लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अधिका

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

shop no. IC-40

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैंचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थित)
नगर विकास न्यास कोटा

उप. पंचायत, कोटा (प्रमुख)

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

पंजीकृत/पुष्टांकन संलग्न है।

Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड) (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त मुखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष अवशेषक रूप से जमा करानी होगी। एक बार विलेख की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और मुखण्ड के प्रत्येक विकस/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा मुखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मुखण्ड पर प्रवर्तित कानून विनियम में तन्वीकृत अनुबन्धों में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञा होगी परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्तता सुनिश्चित की जाए।
- पट्टा धारक उक्त मुखण्ड को विकस/अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मुखण्ड को उप-पट्टे (अन्ड-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त मुखण्ड के विकस/हस्तान्तरण पर उक्ता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ परीकृत विकस/अथवा अन्य प्रकार के विकस/हस्तान्तरण के उल्लेखिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकार/जोवन सेवा नियम/कानूनी संस्थाओं के पास भंडार (डिपोजिट) रखा जा सकेगा जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- मुखण्ड पर भवन निर्माण प्रवर्तित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा धारता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मुखण्ड का उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने के दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्काशन के पश्चात् नियम विकस/अथवा अन्य प्रकार पर पट्टा विलेख प्रणत किया गया है तो उक्त मुखण्ड का पट्टा विलेख किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले अन्य विकासकार्य/गृह निर्माण शक्तकारी समिति द्वारा करान किया जाएगा।
- पट्टा विलेख जिन अविनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिसकी पूर्तता नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य _____

नोट :- निर्मित मुखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मुखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व IC 44/10/10/20 पश्चिम IC 28 CP-5
उत्तर IC 28 IC-41 दक्षिण IC 28 IC-39

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Narinder

अनुमोदित

2. _____

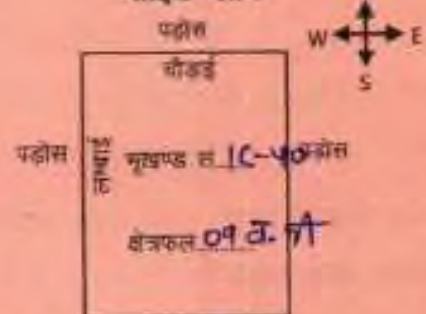
अनुमोदित

साक्षी :-

हस्ताक्षर Mohammed
नाम Mohammed
पता Bawlauda, Kotla

अनुमोदित

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

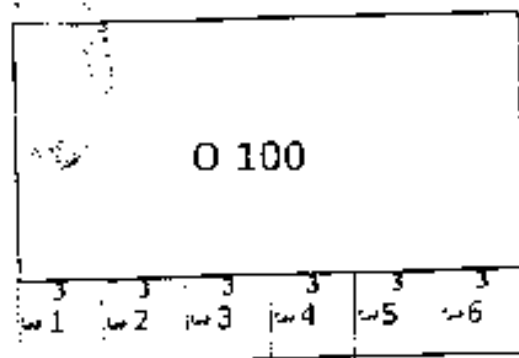
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
प्राधिकृत अधिकारी
(उपस्थित)
नगर विकास न्याय, कोट

- पंजीकृत/पूरांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.

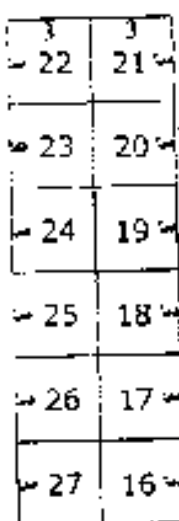


KHASRA NO	507
PLOT NO	E.C. 010
SIZE	3 x 3
Area (In SQ.M)	9.00
Area (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.GAZ)	10.76

10 FEET PATH

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR.)

**I.C
parking**



10 FEET PATH



BANCHMARK CITY

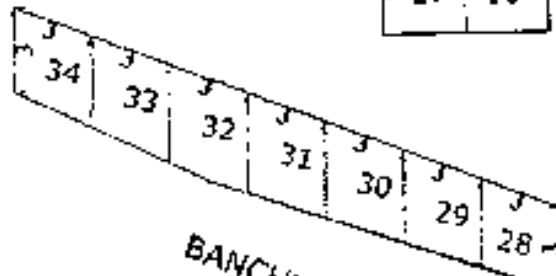
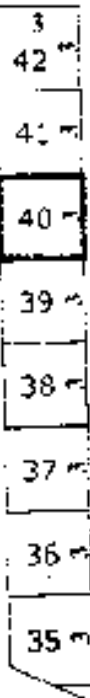
अधिकारी अ-आयुक्त द्वारा जारी किया गया है।
1. अ-आयुक्त द्वारा जारी किया गया है।
2. अ-आयुक्त द्वारा जारी किया गया है।

Nuraf

SIGNATURE OF OWNER

BANCHMARK CITY

COMM-5





श्रीमान् अशोक गहलवाल
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 743

दिनांक 10/6/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाइली प्रोजेक्ट विकास लिमिटेड जिनके अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेडल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज.

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021
जरीये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. shop-no. IC-41 क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर

राजस्थान ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैंचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Niraj
2.

उप पंजीयक, कोटा (पञ्चायत)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(पञ्चायत)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पञ्चायत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 00 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात और भूखण्ड के प्रत्येक विकस/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिसे उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित अन्य विनियम से सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना बुनिश्चित की जावे।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विकस/अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विकस/हस्तान्तरण पर कंटा के पत्र में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विज्ञापन एवं अप्रिस्मृत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा नियम/अपराधी संस्थाओं के जल कवच (मेगेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर गवन निर्माण प्रचलित गवन विनियमों के मानदण्डों के तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात विषय विरुद्ध तथा तत्पश्चात् पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में-पारस्परिक विकास पर होने वाले अन्य विकासकार/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा रहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, विनियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

12. अन्य _____

नोट :- निहित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति कल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व IC 40/41 रोड पश्चिम अ.स. 18-5

उत्तर अ.स. 18-42 दक्षिण अ.स. 18-40

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

अंगुल निशान

2.

अंगुल निशान

साक्षी :-

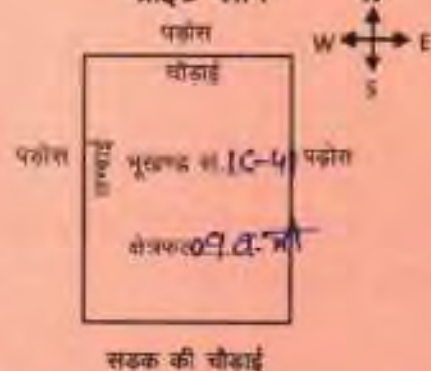
हस्ताक्षर [Signature]

नाम राजी मोहम्मद

पता अ.स. 18-40

अंगुल निशान

साइट प्लान



साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसविद)
नगर विकास न्याय, कोटा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

ROAD 40 FT.

O 100

KHASRA NO.	507
PLOT NO.	I.C. (4)
SIZE	3 x 3
Mea (In SQ.M)	9.00
Mea (In SQ.FT)	96.84
Area (In SQ.M)	10.76

COMM.-5

3
42
41
40
39
38
37
36
35

(ALL SHOP'S SIZE -
3 X 3 MTR)

**I.C
parking**

10 FEET PATH

22	21
23	20
24	19
25	18
26	17
27	16

10 FEET PATH

7
8
9
10
11
12
13
14
15

34	33	32	31	30	29	28
----	----	----	----	----	----	----

BANCHMARK CITY



BANCHMARK CITY

समस्त अधिकारों के अन्तर्गत यह प्लान I.C-44
कानून, 1974 के अन्तर्गत में बना गया है।
[Signature]
[Signature]
[Signature]

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड) व्यवसायिक



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 746

दिनांक 18.06.2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडौली पूंजी विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय न्यूटेकमेटल्स लि० कंपन्स सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

मुखण्ड सं.

shop no. 1C-42

क्षेत्रफल

9 वर्गमीटर

राजस्थान ग्राम

नयाखेड़ा

खसरा सं.

507

योजना

इंधनार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nuzar

2.

16

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थित)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा करा-यी है। अतः उक्त मूखण्ड 99 वर्षीय लीज में मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि _____ प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के चक्रांत और मूखण्ड में प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- पट्टा धारक द्वारा मूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग यही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाये।
- पट्टा धारक उक्त मूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त मूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर डेवलपर्स को प्लान में भवन परिवर्तन के लिए निकास में निर्धारित शुल्क आवेदन की साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख का सत्कार/जीवन बीमा निगम/जन्मदात्री संस्थाओं के पास कथक (मॉर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- मूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के तहत बनाना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मूखण्ड का उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से जग्गी विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख के निष्पादन की प्रस्ताव किन्तु विक्रेता तथा तब्य धुपाकर पट्टा विलेख मुफ्त किया गया है तो उक्त मूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख की योजना में जैवचक्र विकास पर होने वाले आय विभाजकता, गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा रहन किया जायेगा।
- पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, शर्तों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। अतः सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

12. अन्य _____

नोट :- निर्मित मूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प द्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मूखण्ड के पडोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व IC पार्किंग रोड पश्चिम गु. स. CP-5
उत्तर रोड दक्षिण गु. स. IC-41

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nicma

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

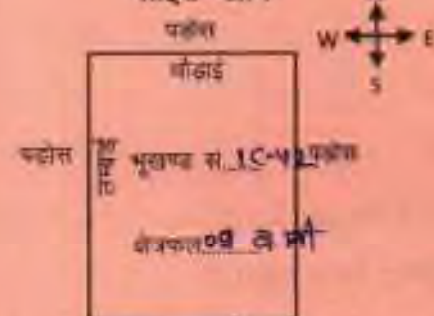
हस्ताक्षर Haji Muhammad

नाम Haji Muhammad

पता Bar Khuda, Patna

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

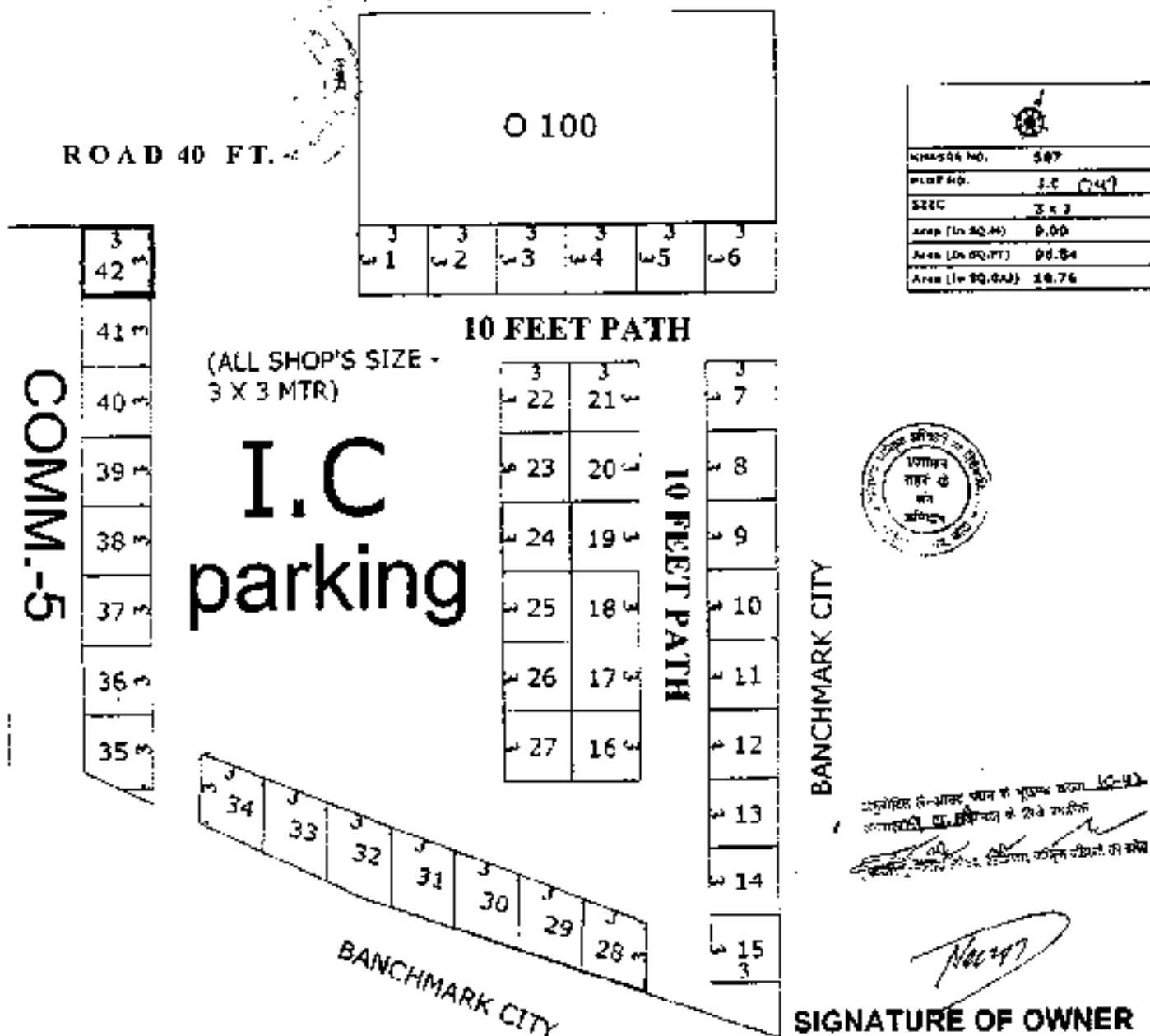
साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थिति)
नगर विकास ब्यार, कोटा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME "BENCHMARK EXTENSION" AT
KHASRA NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 VILLAGE -
NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA (RAJASTHAN)**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**





श्रीमान् अशोक राहुवाल
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 615

दिनांक 7/6/2022

नैसर्ग हाबीली पूजा विकास लिमिटेड जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय कल्टीमेन्ट्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रियंका कानूनी रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक नैसर्ग शहर कार्यालय पता 2021

जरिदे

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-1 क्षेत्रफल 194.77 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

16297

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी

(उपसचिव)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

1.

34 पंजीकृत, कोटा (नया)

2.

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर जेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में लिखारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्ति देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास केच (मॉर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय का अनापति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विकट तथा तथा भूधारक पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनकी सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प श्रृंखला हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोसों की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 215 पश्चिम 25.21 0-2
उत्तर 205 दक्षिण 25.21 0-12

Mera 7

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर Hemraj

नाम राजी मोहन

पता लोखवाडा मोहा

अनुमोदित

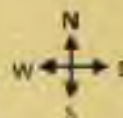
अनुमोदित

अनुमोदित

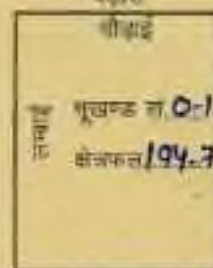
साइट प्लान

पड़ोस

सीमा



पड़ोस



पड़ोस

सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

(उपस्थित)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

9.14	9.24	9.34	9.34	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	ROAD 40 FEET WIDE	COMM.-1	COMM.-3
0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1			
9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14			

ROAD 40 FEET WIDE

7.62	7.62	13.84
0.27	0.28	0.29
		7.62

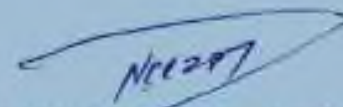
9.25	9.25	11.25
0.40	0.41	0.42
		9.25

7.62	7.62	7.62
0.32	0.31	0.30
		7.62

KHASRA NO.	509
PLOT NO.	01
SIZE	9.14 x 21.31
Area (In SQ.M)	194.77
Area (In SQ.FT)	2097
Area (In SQ.GAZ)	233

अनुमोदित ले-आउट प्लान के बलान्त संकर 0-1
क्षेत्रफल 194.77 वर्ग मीटर दिने प्रमाणित

सचिव, द. जिलाधिकारी कार्यालय, जयपुर जिला, जयपुर


SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महलोत्त
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग) की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा-विलेख

क्रमांक/ 613

दिनांक 7/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडोली पूजा विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मन्टिनेटन्स लि० कम्पस-सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

0-2

क्षेत्रफल

194.77 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

509

योजना

बैधमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

1.

2.

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विनिम्न जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नान परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुदात्री संस्थाओं के पास कोक (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरोध प्रमाण पत्र (MOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के सम्बन्धित नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाने पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकसल पर होने वाले व्यय विकसलकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनकी सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व भू. स. 0-1 पश्चिम भू. स. 0-3
उत्तर रोड दक्षिण भू. स. 0-2



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम हजी मोहम्मद

पता महाराज, मोह

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

5.14	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34
0.8	0.7	0.6	0.5	0.8	0.5	0.2	0.1	0.1
0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.30	0.31	0.32	0.33
9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34

ROAD 40 FEET WIDE

COMM.-1

COMM.-3

ROAD 40 FEET WIDE

7.62	7.62	13.94
0.47	0.38	0.29
		7.67

9.35	9.35	11.28
0.40	0.41	0.42
14.86		6.34

7.62	7.62	7.62
0.32	0.31	0.30
13.92		

KHASRA NO.	509
PLOT NO.	0 2
SIZE	9.14 x 21.31
Area (In SQ.M)	194.77
Area (In SQ.FT)	2097
Area (In SQ.GAJ)	233

अनुमोदित ले-आउट प्लान के बूझकर लॉट-0-2
संक्रमांक 194.77 के तहत जमीन का दिनांक 19/04/2017

पञ्चम, श्री-अनिल विरवार, सहायक, अधिकृत अधिकारी एवं अधिकारी

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महतात
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 612

दिनांक 7/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाजीती पूंजी विकास लिमिटेड जस्यो अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र / पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जस्यो

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-3 क्षेत्रफल 194.77 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(सिगिल)
नगर विकास न्यास कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत / पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमोदित होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक कक्षा भूखण्ड को विकसित अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेंगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेंगा।
3. कक्षा भूखण्ड के विकसित/हस्तान्तरण पर कक्षा के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ संबंधित विकसित पत्र आदि प्रस्तुत किए जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक को जलपराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/जपदाई संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के अनुरूप करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन या नु उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् निम्न विलेख तथा संबंधित पत्राचार पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो कक्षा भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले कार्य विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा तय किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान या शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प द्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व भू. सं. 0-2 परियोजना भू. सं. 0-4
उत्तर रोड दक्षिण भू. सं. 0-20

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

अंगुठा निशान

2. _____

अंगुठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर _____

नाम एली मोहन

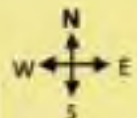
पता खैरवा, मो. 1

अंगुठा निशान

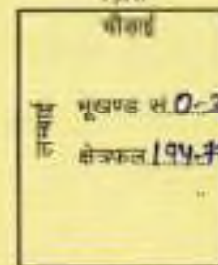
साइट प्लान

पड़ोस

बीकानेर



पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहन

नगर विकास अधिकारी, कोटा

BENCHMARK EXTENTION

KAPREN BRANCH CANAL

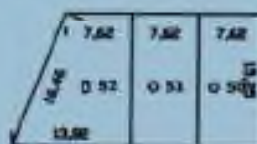
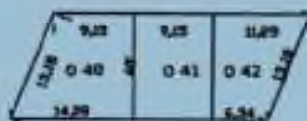
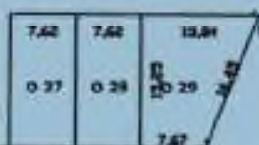
ROAD 60 FEET WIDE

40 FEET WIDE

COMM-1

COMM-3

ROAD 40 FEET WIDE



	
KHASRA NO.	509
PLOT NO.	0 3
SIZE	9.14 x 21.31
Area (In SQ.M)	194.77
Area (In SQ.FT)	2097
Area (In SQ.GAJ)	233

अनुमोदित ले-आइट प्लान के मुख्य संख्या 0-3
 दिनांक 1947-77 के लिये प्रमाणित
 पटवारी पु-जमिंदार निरीक्षण, जयपुर, राजस्थान अधिकारी उप सचिव

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग के
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 611

दिनांक 9/8/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडोती पूंजी विकास लिमिटेड जसिमे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पुत्र / पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय सल्टेमेंटर्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुआ रोड कोटा राज

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जसिमे

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री

निवासी

मुखण्ड सं 0-4 क्षेत्रफल 194.77 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

34 पंजीकृत, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास कोटा

1.

2.

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत / पृष्ठानक संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित होर का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर स्थापित भवन विनियम में सम्मिलित अनुसूची में उल्लिखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु धारक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों को पालना सुनिश्चित करेगा।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को तब-पट्टे (सब-लीज) पर दे सकेगा।
3. तब भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर कंट्रोल के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावेगा परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई रशि देव नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सत्कार/जीवन बीमा नियम/आपदावी राशियाँ के पास इका (बीमेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरोध पर (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रवृत्ति भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा धारक (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर स्थानीय पत्र से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पर्याप्त नियम विकसित तथा लघु सुधारण पट्टा विलेख प्राप्त किया जाएगा तब तक भूखण्ड को पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख पिन अधिनियमों, नियमों, शर्तों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनकी सभी प्रावधानों को पालना न करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवारा (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. अ 0-3 पश्चिम गु. अ 0-5
उत्तर 205 दक्षिण गु. अ 0-19

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

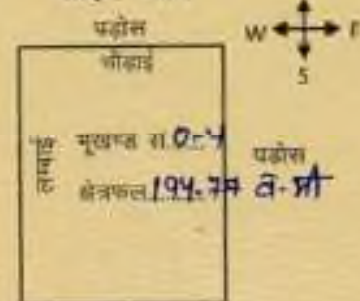
साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम राजी मोहम्मद

पता पिन 205

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी [Signature]
प्रमुख अधिकारी [Signature]
नगर विकास खास कोट

100



OWNER :-

KAPREN BRANCH CANAL

ROAD 60 FEET WIDE



This micrograph shows a cross-section of a plant stem. The vascular bundles are arranged in a distinct ring, which is a characteristic feature of many dicotyledonous plants. The bundles themselves are composed of xylem and phloem, and are separated by bundle sheaths.

Diagram 1: A trapezoid with top width 15.84 and bottom width 14.87. It is divided into three rectangles with heights 0.27, 0.28, and 0.29. The total height is 0.84.

Diagram 2: A trapezoid with top width 15.84 and bottom width 14.87. It is divided into three rectangles with heights 0.40, 0.41, and 0.42. The total height is 1.23.

Diagram 3: A trapezoid with top width 15.84 and bottom width 14.87. It is divided into three rectangles with heights 0.52, 0.51, and 0.50. The total height is 1.53.

	
KHASRA NO.	509
PLOT NO.	04
SIZE	9.14 x 21.31
Area (in SQ.M)	194.77
Area (in SQ.FT)	2097
Area (in SQ.GAJ)	233

दिनांक: २० अक्टूबर २०१८, बरकतपुर, अखिल भारतीय किसान सभा

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 736

दिनांक 10/6/2022

मैसर्स हाथेली पुंजी विकास लि० जस्य अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मुल्तीसिटीस लि० कॉम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रॉजैक्ट कन्सुमरा रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-5 क्षेत्रफल 194.77 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

NIC-97

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
सर निवास नगर क्षेत्र

ज. 1. मय, कोटा (894)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पुष्टाकृत सत्य है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा प्राप्त हुआ भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रस्तावित पट्टा विनियम में सम्बंधित अनुशूची में उल्लिखित उपयोग अनुज्ञेय होगा, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा प्राप्त उक्त भूखण्ड को विकसित अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेंगे तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लैंड) पर भी दे सकेंगे।
3. उक्त भूखण्ड को विकसित/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए विकसित में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पर्याप्त विवरण सहित प्रस्तुत किए जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शक्ति रोक नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीम नियम/कणकारी सम्बंधों के पास रोक (रोयल्ट) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय विकास के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रस्तावित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय विकास) की सेवा स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दम से अवधि विचार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निषादन के पश्चात् नियम विच्छेद तथा तथा कुमाकन पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है, तो उक्त भूखण्ड को पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/भूख निर्माण महकमों सहित द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख दिन अधिनियमों, विद्यमान नैतिक विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्राधान्य व शर्तें लागू होंगी जिसकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल शशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व जु. 25 D-4 पश्चिम जु. 25 D-6
उत्तर 205 दक्षिण जु. 25 D-18

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

सहो :-

हस्ताक्षर H. H. H.

नाम Haji Mohammad

पता Buckheda, Katk

अंगुल निशान

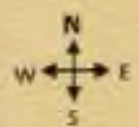
अंगुल निशान

अंगुल निशान

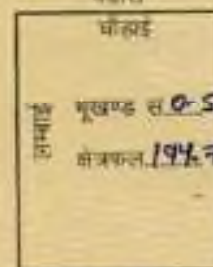
साइट प्लान

पड़ोस

पड़ोस



पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

हस्ताक्षर पत्र संकेत

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22
9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14

ROAD 40 FEET WIDE

COMM.-1

COMM.-3



ROAD 40 FEET WIDE

7.62	7.62	13.84
0.27	0.28	0.29
		7.62

9.15	9.15	11.28
0.40	0.41	0.42
14.29		5.34

7.62	7.62	7.62
0.52	0.51	0.50
13.86		

KHASRA NO.	509
PLOT NO.	05
SIZE	8.14 x 21.31
Area (In SQ.M)	194.77
Area (In SQ.FT)	2097
Area (In SQ.GAJ)	233

अनुमोदित है-आगत प्लान में सुझाव संख्या 05

शेडकल 194.77 वर्ग मीटर विधि सम्पन्नित

पटवारी नृ-अनिल निरीक्षक, तहसीलदार, प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिकारी

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान अशोक गहलोत
मुख्याधी, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड) आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुना और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 661

दिनांक 8/6/2021

मेसर्स हाइली पंजी विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोनी पुत्र श्री हनुमान पंचोनी
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय भूटैलेंट्स लि० कंपरा-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कोल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021
जसिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. 0-6 क्षेत्रफल 194.77 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509

योजना वैधमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

11/2/21

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी

(उपस्थित)
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

1

34 पंजीयक, कोटा (प्रमाण)

2

नोट - जहाँ वीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पुष्पांकन अलग है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड).

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा चारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्मिलित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा चारक उक्त भूखण्ड को विद्युत अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सर्वोपरि उक्त भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेंगा।
3. उक्त भूखण्ड को विद्युत/हस्तान्तरण पर कंटा के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निवास में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विद्युत पत्र आदि प्रस्तुत किये जावेंगे, परन्तु पट्टाचारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/अपराधी संस्थाओं के पास बैंक (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनाफलेत प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विल्टार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के विधायन के पश्चात् नियम विकन्द तथा तथा सुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकसक/सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इन्हीं सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प इयूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व जु. 29 0-5 पश्चिम जु. 29 0-7
उत्तर जोड दक्षिण जु. 29

पट्टा चारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर _____

नाम हजी मोहम्मद

पता खैरपुरा नोटा

अनुमोदित

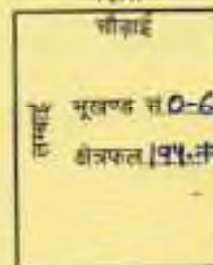
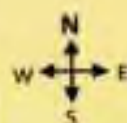
अनुमोदित

अनुमोदित

साइट प्लान

पड़ोस

सीढ़ाई



सड़क की चौड़ाई

प्राप्ति

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मुस मोहर
मुख्य विकास अधिकारी

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

9.24	9.34	9.34	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24
0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1
0.15	0.10	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23
9.24	9.34	9.34	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24

ROAD 40 FEET WIDE

COMM.-1
COMM.-3

ROAD 40 FEET WIDE

7.62	7.62	13.84
0.27	0.28	0.29
7.62	7.62	13.84

9.28	9.28	11.25
0.40	0.41	0.42
14.25	14.25	11.25

7.62	7.62	7.62
0.52	0.51	0.50
13.88	13.88	7.62

KHASRA NO.	509
PLOT NO.	0 6
SIZE	9.14 x 21.31
Area (In SQ.M)	194.77
Area (In SQ.FT)	2097
Area (In SQ.GAJ)	233

अनुमोदित है-आगत प्लान की मुख्यतः संख्या 2-6
दिनांक 19.11.2018 को के जिल्हे प्रशासक
कोटा जिल्हा प्रशासक, कोटा जिल्हा प्रशासक

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान अशोक कुमार
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग का अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

दिनांक 10/6/2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स डाबोली पुंजी विकास लिमिटेड पति/पुत्री श्री वीरज पंढरी पुत्र श्री हनुमान पंढरी
पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीप्लेक्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जस्थि

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

0-7

क्षेत्रफल

194.77 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

509

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक _____ को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी/कोटिहस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

34 पंजीयक, कोटा (प्रथम)

नोट - शर्तों पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित ढाँचा का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयोजित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित शान्तिपट्टी की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विपणन अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को लघु-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर जेता के नाम में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्रतीकृत विपणन पत्र यदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जोड़न बीधा विभाग/अन्यदायी संस्थाओं के पास रक्षक (भोर्गज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरक्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन या भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विच्छेद तथा लम्बे छुड़ाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहायक समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों को तत्वा जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्थायी द्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पट्टा की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. ख. 0-6 पश्चिम गु. ख. 0-8
उत्तर रोड दक्षिण गु. ख. 0-16

[Signature]

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर *[Signature]*

नाम Haji Mohammad

पता Bapkheda, Kalga

अंगुल निशान

अंगुल निशान

अंगुल निशान

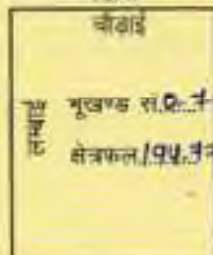
साइट प्लान

पट्टा

चौड़ाई



पट्टा



सड़क की चौड़ाई

[Signature]

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम मय मोहर

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER:- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA-324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

TO KOTA
JAIPUR ROAD

9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.1
0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22
9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14

ROAD 40 FEET WIDE

COMM.-1

COMM.-3

ROAD 40 FEET WIDE

7.62	7.62	13.84
0.27	0.28	0.28
7.62	7.62	7.62

9.15	9.15	11.29
0.40	0.41	0.42
14.89	6.24	13.13

7.62	7.62	7.62
0.52	0.51	0.51
13.80	0.51	0.51

KHASRA NO.	509
PLOT NO.	07
SIZE	9.14 x 21.31
Area (In SQ.M)	194.77
Area (In SQ.FT)	2097
Area (In SQ.SA)	233

अनुमोदित है-आवट प्लान के मुख्य रंग 07
सेक्टर 194.77 वर्ग मी के लिये उपयुक्त
है-अनुमोदित है-आवट प्लान के मुख्य रंग 07
सेक्टर 194.77 वर्ग मी के लिये उपयुक्त

Neesar
SIGNATURE OF OWNER



श्रीधर अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमिक 734

दिनांक 10/01/2022

मेसर्स हाइली प्रोजेक्ट्स लि० जलिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री अनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुजा रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021
जलिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. 0-8 क्षेत्रफल 194.77 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखंडा खसरा सं. 509, 514
योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.
2.

उप पंजीकृत कोट (पत्र)

नोट - शीट पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(सहसचिव)
नगर विकास न्यास, कोटा

- पंजीकृत/पुष्पांकन संलग्न है।
- Registered and Enforcement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

1-200 ROAD 40 FEET WIDE	9.80 O 11	9.34 O 10	9.34 O 9	9.34 O 8	9.34 O 7	9.34 O 6	9.34 O 5	9.34 O 4	9.34 O 3	9.34 O 2	9.34 O 1
	9.80 O 12	9.34 O 13	9.34 O 14	9.34 O 15	9.34 O 16	9.34 O 17	9.34 O 18	9.34 O 19	9.34 O 20	9.34 O 21	9.34 O 22

ROAD 40 FEET WIDE

9.31 O 23	9.34 O 24	9.34 O 25	7.62 O 26	7.36 O 27	7.62 O 28	13.34 O 29
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

9.31 O 40	9.31 O 41	11.29 O 42
--------------	--------------	---------------

KHASRA NO.	509,514
PLOT NO.	O 8
SIZE	9.14 x 21.31
Area (In SQ.M)	194.77
Area (In SQ.FT)	2097
Area (In SQ.GAJ)	233

अनुमोदित है-आवक स्थान के वृत्तवर्ध प्रमाण O-8

दिनांक 19.11.2017 को जारी किया गया

पट्टादार, मू-तयलज निरीक्षक, महसूलदार, मांगिकाना जमीनदार एवं सचिव

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 733

दिनांक 10/6/2022

मेसर्स हावेली पूजा विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र / पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टिमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राजा

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★
जरिये
(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. 0-9 क्षेत्रफल 194.77 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509, 514
योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1
2

डा. पंजीक, कोटा (पंचम)

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(आवृत्ति)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर संकेतित हैं।

- पंजीकृत / पृष्ठोंकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित होम का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्राथमिक स्थान विनियम में सम्मिलित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेंगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर बांट सकेंगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर कंटा के पत्र में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्रतीक प्रेषित की जायेगी। प्रमाणित किटे आदेश परन्तु पट्टाधारक के उत्तरदायित्वों के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सारसार/जीवन बीमा निगम/अगुवाकी संस्थाओं के पास कोक (सॉर्गेज) रखा जा सकेंगा, जिसमें लिए स्थायीय निकाय के अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर स्वयं निर्माण प्रवर्धित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत बनना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्वर्जन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के विभाजन के पश्चात् निम्न विकल्प तथा तथा सुझावन पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आंतरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य.....

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प द्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. सं 0-8 पश्चिम गु. सं 0-10
उत्तर रोड दक्षिण गु. सं 0-14

Muz

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

साक्षी :-

हस्ताक्षर *Muz*

नाम Haji Mohammad

पता Buchheda, Katta

अंगुल निशान

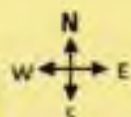
अंगुल निशान

अंगुल निशान

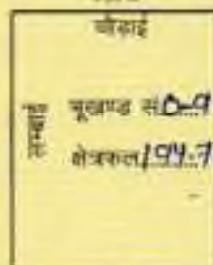
साइट प्लान

पड़ोस

पड़ोस



पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्रमाणित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
नगर विजल पंचायत कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

ROAD 40 FEET WIDE	9.08	9.34	9.14	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34
	O 11	O 10	O 9	O 8	O 7	O 6	O 5	O 4	O 3	O 2	O 1	9.34
	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34

ROAD 40 FEET WIDE

9.34	9.34	9.34	7.62	7.62	7.62	13.84
O 23	O 24	O 25	O 26	O 27	O 28	O 29
9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34

9.35	9.35	11.25
O 40	O 41	O 42
14.89	5.34	5.34

KHASRA NO.	509,514
PLOT NO.	O 9
SIZE	9.14 x 21.31
Area (In SQ.M)	194.77
Area (In SQ.FT)	2097
Area (In SQ.GAJ)	233

अनुमोदित से-वास्तु प्लान के मूल्यांक संख्या 0-9
क्षेत्रफल 194.77 के मिति के लिये प्रमाणित
मुद्रा, म-जमिनदार लिखित, लालाचकार, प्रमाणित अधिसूचना 19 संकेत

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महापात्र
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 732

दिनांक 10/6/2022

पट्टा धारक का नाम मैरुत हाडीली पूजा विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्कुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

मूखण्ड सं. 0-10 क्षेत्रफल 194.77 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509, 514

योजना बैचनार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मूखण्ड का पट्टा दिनांक _____ को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

35 रोजी 73, 02/01/2022

प्रातिष्ठित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

(प्रमाणित)

नगर विकास न्यास कोटा

1.

2.

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित होत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रवर्तित भवन विनियम में सम्मिलित अनुशूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाये।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेंगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-डीज) पर भी दे सकेंगा।
3. तथा भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर प्रेषण के पक्ष में राज परिवर्तन के लिए विक्रय में किराए पर मुक्त आवंटन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र अदि प्रस्तुत किये जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मनसे में कोई शर्ति देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकारी/जीवन बीमा निगम/अपराधी संस्थाओं के पास जमा (नॉर्गेज) रखा जा सकेंगा, जिसके लिए स्थानीय नियमों के अन्तर्गत प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रवर्तित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा धारक (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्वर्तन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से ज़मीन विस्तार किया जा सकेंगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकेंगा है।
8. पट्टा विलेख के निष्पत्ति के परकृत निषेध विलेख तथा तथ्य छुपाने पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो पक्ष भूखण्ड का पट्टा विरस्त किया जा सकेंगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में अन्तर्गत विकसल पर होने वाले अन्य विकासकर्ता/गृह निर्माण सहाकारी समिति द्वारा तयन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधानों व कर्तव्य लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प स्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पट्टे की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. स 0-9 पश्चिम गु. स 0-11
उत्तर रोड दक्षिण गु. स 0-13

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

सबो :-

उपस्थित _____

नाम Maj. Muhammad

जन्म Barkhuda, Kala

संगत निवास

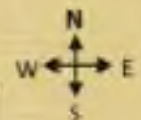
संगत निवास

संगत निवास

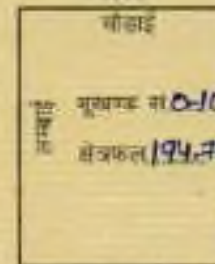
साइट प्लान

पट्टेस

बोर्ड



पट्टेस



साइट की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मेय मोहर

(उपस्थित)

नगर विकास ब्यूरो, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

ROAD 40 FEET WIDE

9.20	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
0.11	0.10	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
9.12	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14

ROAD 40 FEET WIDE

9.11	9.14	9.14	7.62	7.36	7.62	13.84
0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29

9.15	9.25	11.29
0.40	0.41	0.42

KHASRA NO.	509,514
PLOT NO.	0 10
SIZE	9.14 X 21.31
Area (In SQ.M)	194.77
Area (In SQ.FT)	2097
Area (In SQ.GAU)	213

अनुमोदित ले-आउट प्लान के मूखम्ब संख्या 0-10
मिचकल 194-77 का सी के लिए प्रमाणित
हस्ताक्षर मू-अमरेश निरंजन, उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध अमरेशी उप समिति

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 731

दिनांक 15/1/22

मेसर्स हाइली पंजी विमान लिमिटेड जलिये अधीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर और नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पट्टा धारक का नाम पुत्र / पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्लिकार्जुन लिमिटेड कॉम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इन्फ्रास्ट्रक्चर एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राजको

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स शहर कार्यालय पता 2021

जलिये

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-11 क्षेत्रफल 192.22 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509, 514

योजना बेचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
नगर विकास न्यास, कोटा

34 पंजीयक, कोटा (प्रथम)

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत / पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयोजित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुशूची में उल्लेखित उपयोग अनुमोदित होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड को विकास अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकने वाला भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) में भी विभाजित किया जा सकता है।
3. उक्त भूखण्ड के विकास/हस्तांतरण पर कंटा के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्राथमिक विकास पत्र अर्थात् प्रत्युत शिप्पे आवेदन, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्त देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जोवन बीमा निगम/अन्यदात्री संस्थाओं के पास कंटा (मार्ग) रखा जा सकता है, जिसके लिए प्राथमिक विकास पत्र अर्थात् प्रत्युत शिप्पे (PDC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों का पालन करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिनाक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित वर से अवधि विस्तार किया जा सकता अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात निम्न विस्तृत तथा लघु रूपका पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले अन्य विकासकर्ता/पूरा निर्माण साहकारी समिति द्वारा सहन किया जावेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नोटि, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकता है।
11. अन्य.....

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. अ. 0-10 पश्चिम 205
उत्तर 205 दक्षिण गु. अ. 0-12

Nuzar

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

साक्षी :-

हस्ताक्षर Haji Mohammad
नाम Haji Mohammad
पता Barhuda, Kota

अनुमोदित

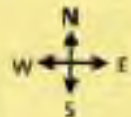
अनुमोदित

अनुमोदित

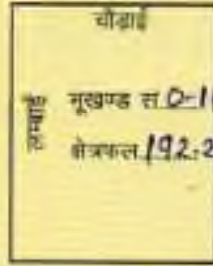
साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई



पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्याय कोट

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

OCF-1	ROAD 40 FEET WIDE	9.02 O 11	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34
		O 12	O 10	O 9	O 8	O 7	O 6	O 5	O 4	O 3	O 2	O 1	O 1	O 1	O 1	O 1
		9.02	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34



ROAD 40 FEET WIDE

9.34	9.34	9.34	7.62	7.62	7.62	13.94
O 23	O 24	O 25	O 26	O 27	O 28	O 29
						7.67

9.34	9.34	11.29
O 40	O 41	O 42
14.85		6.24

KHASRA NO.	509,514
PLOT NO.	O 11
SIZE	9.02 x 21.31
Area (In SQ.M)	192.22
Area (In SQ.FT)	2089
Area (In SQ.GAJ)	229.89

अनुमोदित ले-आउट प्लान के मुख्य संख्या 0-11
केवल 192.22 वर्ग मी के लिये प्रमाणित
प्रमाणित निदेशक, सहायक निदेशक, अधीनस्थ अधिकारी एवं अधिकारी

Nuzar
SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड) आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

दिनांक ११/१२/२२

दिनांक ११/१२/२२

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेंटल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-12 क्षेत्रफल 137.92 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 508, 509

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

पंजीकृत, कोटा (पञ्च)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

1.

2.

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकित संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रसारित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विभिन्न अवस्था अथवा प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेंगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीट) पर भी दे सकेंगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर केता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ फॉर्मल प्रिंट पर जारी प्रस्तुत किये जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक को उत्तराधिकारी के मामले में कोई सशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/रक्षणदाता संस्थाओं के पास बैंक (मोर्गेंज) रखा जा सकेंगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनिवार्य प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर स्वयं निर्माण प्रकृतिगत भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेंगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकेंगा है।
8. पट्टा विलेख को निष्पादन के पश्चात् नियम विन्ध्य तथा उक्त भूधायक पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है एवं उक्त भूखण्ड को पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
9. पट्टा विलेख को गठना में आन्तरिक विकास पर होने वाले कार्य विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा करवा किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनकी सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
11. अन्य

नोट :- आवस (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल सशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व भू.स 0-13 पश्चिम 205
उत्तर भू.स 0-11 दक्षिण 205

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

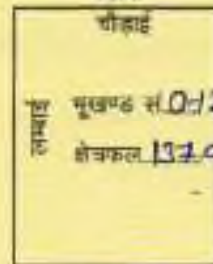
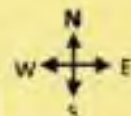
2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]
नाम हार्मी मोहम्मद
पता कोल्हाट नगर

साइट प्लान

पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मुय मोहर
पता कोल्हाट नगर, कोट

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

ROAD 40 FEET WIDE	9.02 O 11	9.04 O 10	9.11 O 9	9.24 O 8	9.34 O 7	9.14 O 6	9.14 O 5	9.24 O 4	9.04 O 3	9.04 O 2	9.14 O 1
	9.02 O 11	9.04 O 10	9.11 O 9	9.24 O 8	9.34 O 7	9.14 O 6	9.14 O 5	9.24 O 4	9.04 O 3	9.04 O 2	9.14 O 1

ROAD 40 FEET WIDE

9.01 O 23	9.14 O 24	9.14 O 25	7.62 O 26	7.26 O 27	7.62 O 28	13.04 O 29
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

9.05 O 40	9.10 O 41	11.29 O 42
--------------	--------------	---------------

KHASRA NO.	508,509
PLOT NO.	O 12
SIZE	9.02 x 15.29
Area (In SQ.M)	137.92
Area (In SQ.FT)	1485
Area (In SQ.YARD)	165

कम्प्लेट से-अप्लॉट प्लान में दूरीयक सार्वजनिक 0-12
कमलक 137.92 कांती के सिने प्रकल्पित
सिने प्रकल्पित सिनेक, कालि 01, प्रकल्पित प्रकल्पित एन सीव

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अमर्क महल्लोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 681

दिनांक 31/6/2022

मेसर्स हाजीती पूजा विकास लिमिटेड जारिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंथोली पुत्र श्री हनुमान पंथोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र / पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेंटल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुमा रोड कोटा राज

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जारिये

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री

पुत्र / पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

O-13

क्षेत्रफल

139.75 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

509

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

अप पंजीकृत, कोटा (राजस्थान)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(नगरपालिका)
नगर विकास न्यास, कोटा

1.

2.

नोट - शर्तें नीचे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत / पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित कानून विनियम में सम्बन्धित अनुपूर्वी में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होगा, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों को पट्टा धारक को पालन करना होगा।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-डिवीजन) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्रौद्योगिक विकास पत्र जारी प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुदात्री संस्थानों के पास कंधक (मोर्गज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनिवार्य प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर कानून निर्माण प्रचलित कानून विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख की निष्पादन के पर्याप्त नियम विनियम तथा अन्य छुटकार पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/नू निर्माण तकनीकी समिति द्वारा सहित किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख तिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रयोजन व शर्तें लागू होंगी जिनकी धारणा नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. 23 D-14 पश्चिम गु. 23 D-12

उत्तर गु. 21 D-10 दक्षिण 215

Nuraj

पट्टा-धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम राजी मोहम्मद

पता खेतवाड़ा, कोटा

अंगुष्ठ निशान

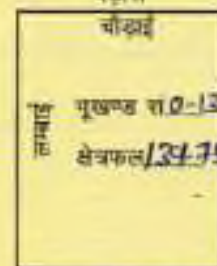
अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान

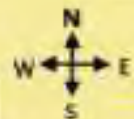
पड़ोस

चौड़ाई



पड़ोस

सड़क की चौड़ाई



प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

धनर विकास न्यास, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
LADPUR ROAD**

ROAD 40 FEET WIDE

9.82 O 11	9.34 O 10	9.34 O 9	9.34 O 8	9.34 O 7	9.34 O 6	9.34 O 5	9.34 O 4	9.34 O 3	9.34 O 2	9.34 O 1
9.82 O 12	9.34 O 13	9.34 O 14	9.34 O 15	9.34 O 16	9.34 O 17	9.34 O 18	9.34 O 19	9.34 O 20	9.34 O 21	9.34 O 22

ROAD 40 FEET WIDE

9.34 O 23	9.34 O 24	9.34 O 25	7.62 O 26	7.56 O 27	7.62 O 28	13.84 O 29
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

9.34 O 30	9.34 O 31	11.29 O 32
--------------	--------------	---------------

	
KHASRA NO.	S09
PLOT NO.	O 13
SIZE	9.14 x 15.29
Area (In SQ.M)	139.75
Area (In SQ.FT)	1504
Area (In SQ.GAJ)	167.11

अनुमोदित मे-कास्ट प्लान श्री हदोती विकास लि. O-13
अक्षरानु 139.75 वर्ग मीटर में है।



SIGNATURE OF OWNER



मीनार अमरेंद्र महल्लत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक /

93

दिनांक 9/6/2022

पट्टा धारक का नाम _____ पुत्र/पुत्री _____

पत्नी _____

पति _____

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्लिकार्जुन लि.0 कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 साउथ स्केल इन्फेस्टिगेशन एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज.

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जस्थि

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

0-14

क्षेत्रफल

139.75 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

509

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक _____ को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

3A इंजीयर्स, कोटा (प्रकाश)

नोट - शीट पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकित संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर निर्धारित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञा होगा, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाये।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विजय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विजय/हस्तान्तरण पर ज़िला की पट में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क अर्पण के साथ परसूचक विजय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई खर्च देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन सेवा निगम/जगन्नाथी संस्थाओं के पास कब्जा (भौगोल) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रकृति भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्वर्जन या नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विकट तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास या होने वाले व्यय विकासकर्ता/मूल निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ज्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु.ख. 0-15 पश्चिम गु.ख. 0-13
उत्तर गु.ख. 0-9 दक्षिण 205

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर _____

नाम हाजी मोहम्मद

पता मोहम्मद मोहम्मद

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

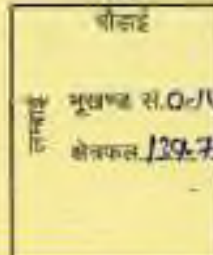
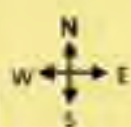
पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर
(प्रमाणित)
नगर विकास बोर्ड

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

OCF-1

ROAD 40 FEET WIDE

9.08	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
0 11	0 10	0 9	0 8	0 7	0 6	0 5	0 4	0 3	0 2	0 1	0 10
0 12	0 13	0 14	0 15	0 16	0 17	0 18	0 19	0 20	0 21	0 22	0 23
9.08	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14

ROAD 40 FEET WIDE

9.11	9.14	9.14	7.62	7.26	7.62	13.84
0 23	0 24	0 25	0 26	0 27	0 28	0 29
13.84						7.62

9.15	9.15	11.29
0 40	0 41	0 42
11.29		9.14

KHASRA NO.	509
PLOT NO.	0 14
SIZE	9.14 x 15.29
Area (In SQ.M)	139.75
Area (In SQ.FT)	1504
Area (In SQ.GA)	167.111

अनुमति ले-काट्ट पास से गुजरने वाले प्लॉट 0-14

क्षेत्रफल 139.75 वर्ग मीटर है जिसे प्रमाणित

प्राप्त किया गया है।

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 694

दिनांक 9/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीली पंजी विकास लि० जयिद अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नौरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मस्तीमेटल्स लि० कैम्पस-सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जयिद

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

O-15

क्षेत्रफल

139.75 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

509

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास कोटा

1.

2.

नोट - सही वीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन बालग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
2. पट्टा धारक नक्का भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देव नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा नियम/अगदात्री संस्थाओं के पास कबज (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अल्पलि प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथा सुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण/सड़ककारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनको सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फाल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु.स 0-16 पश्चिम गु.स 0-14
उत्तर गु.स 0-8 दक्षिण 205

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम राजीव चौधरी

पता बोसकेडा कोटा

अंगुष्ठ निशान

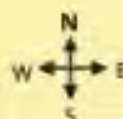
अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान

पड़ोस

पड़ोस



पड़ोस

भूखण्ड सं. 0-15
क्षेत्रफल 129.35 वर्ग मी

पड़ोस

सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास ब्यूरो, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

ROAD 40 FEET WIDE

9.02	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
0.11	0.10	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
9.02	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24

ROAD 40 FEET WIDE

9.11	9.14	9.14	7.62	7.56	7.62	12.84
0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29

9.05	9.15	11.29
0.40	0.41	0.42



KHASRA NO.	509
PLOT NO.	0 15
SIZE	9.14 x 15.29
Area (In SQ.M)	139.75
Area (In SQ.FT)	1504
Area (In SQ.GAT)	167.11

अनुमोदित ले-आउट प्लान के मुताबिक प्लॉट 015
केसल 139.75 SQ.M में स्थित है
हस्ताक्षर: [Signature]
पदनाम: [Title]

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 691

दिनांक 9/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीरी भूजी विकास लि० जस्वि अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय गहलोत लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 जार्ज स्कोल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिगे

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

O-16

क्षेत्रफल

139.75 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेड़ा

खसरा सं.

509

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1

2

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

अप. पंजीकृत, कोटा (प्रमाण)

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा वास्तु द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का सम्पोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित सव्य विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु ज्ञेयक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा वास्तु उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर जेता की पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आवे प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टावास्तु के उल्लेखिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/जमदाजी संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिससे लिए स्थानीय निकाय को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर सव्य निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कला (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्वर्तन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक के निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य भूखण्ड पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, शर्तों विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य...

नोट :- आवेदन (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु.स 0-17 पश्चिम गु.स 0-15

उत्तर गु.स 0-7 दक्षिण रोड

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

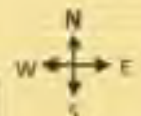
नाम राजीव मोहन

पता कोरवेडा मो.4

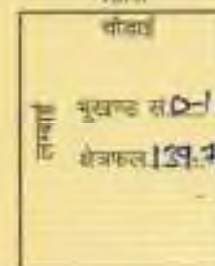
साइट प्लान

पड़ोस

वीडार्ड



पड़ोस



राडक की वीडार्ड

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी (अतिरिक्त) मय मोहर

मयर विकास स्यास, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

ROAD 40 FEET WIDE

9.08 0.11	9.14 0.10	9.14 0.9	9.14 0.8	9.14 0.7	9.14 0.6	9.14 0.5	9.14 0.4	9.14 0.3	9.14 0.2	9.14 0.1
9.12 0.12	9.14 0.13	9.14 0.14	9.14 0.15	9.14 0.16	9.14 0.17	9.14 0.18	9.14 0.19	9.14 0.20	9.14 0.21	9.14 0.22

ROAD 40 FEET WIDE

9.11 0.21	9.14 0.24	9.14 0.25	7.62 0.25	7.56 0.27	7.62 0.28	12.84 0.29
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

9.15 0.40	9.15 0.41	11.25 0.42
--------------	--------------	---------------

KHASRA NO.	509
PLOT NO.	0 16
SIZE	9.14 x 15.29
Area (In SQ.M)	139.75
Area (In SQ.FT)	1504
Area (In SQ.GAJ)	167.11

अनुमोदित है-असल प्लान के अनुसार बंका 0-16

वेकसल 139.75 के भी में दिखे अनुसार

हस्ताक्षर, मू-अनुमोदित निदेशक, लैडपूरा, जिला-कोटा

SIGNATURE OF OWNER



भीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 616

दिनांक 7/01/2021

मैसर्स हाइटी पूजा विकास लिमिटेड जलिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री गीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राजा

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

0-17

क्षेत्रफल

139.75 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

509

योजना

बैद्यमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

1.

अप पंचायक, कोटा (प्रथम)

2.

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग घड़ी किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर केता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत शिखर पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुदात्री संस्थाओं के पास कंध (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विक्रय तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले खर्च विकास कर्ता/गृह निर्माण संस्थानीय समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके किसी प्रावधान व शर्त लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य.....

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 95 अ 0-18 पश्चिम 95 अ 0-16
उत्तर 95 अ 0-6 दक्षिण 205

[Signature]

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

अंगुठा निशान

2.

अंगुठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर *[Signature]*

नाम राजी मोहन

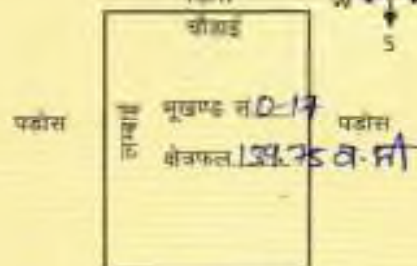
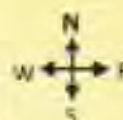
पता बोरदेडा 004

अंगुठा निशान

साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

(उपस्थिति)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहन

कार पिन कोड 125, कोट

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

ROAD 40 FEET WIDE

9.32	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
0.11	0.10	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1
9.32	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23

ROAD 40 FEET WIDE

9.31	9.14	9.14	7.62	7.56	7.52	13.84
0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29

9.35	9.15	11.29
0.40	0.41	0.42

	
KHASRA NO.	509
PLOT NO.	0.17
SIZE	9.14 x 15.29
Area (In SQ.M)	139.75
Area (In SQ.FT)	1504
Area (In SQ.GA)	167.11

139.75 SQ. FT
0.17
[Signatures]

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 692

दिनांक 9/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीती पूजा विकास लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नाराज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मुल्तीमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 सार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-18 क्षेत्रफल 139.75 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509

योजना वैधमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नगर विकास न्यास, कोटा

४६ जूनीयर, कोटा (पुनः)

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा विलेख द्वारा भूखण्ड/निर्मित ब्लॉक का उपयोग नहीं किया जाएगा जिसे उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयोजित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुशूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्राथमिक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर उक्त के तहत से नाम परिवर्तन के लिए विक्रय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र प्राप्ति प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारों के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जोवन बीमा नियम/अगस्त्यी सम्बन्धों के पास बंधक (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत बनाने होंगे।
6. पट्टा धारता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि के निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा अन्य धुराकान पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में अव्यक्त विकास पर होने वाले अन्य विकासकार्य/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा करने किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पूर्ति नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व भू. अ. 0-19 पश्चिम भू. अ. 0-17
उत्तर भू. अ. 0-5 दक्षिण गेड

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

सहो :-

हस्ताक्षर

नाम

पता

अंगुठा निशान

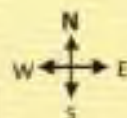
अंगुठा निशान

अंगुठा निशान

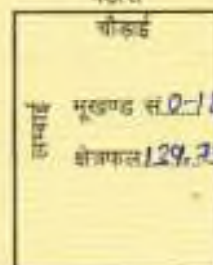
साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई



पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नगर विकास ब्यूरो, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

OCF-1	ROAD 40 FEET WIDE	9.22	9.14	9.14	9.18	9.18	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
		0 11	0 10	0 9	0 8	0 7	0 6	0 5	0 4	0 3	0 2	0 1	0 1
		9.22	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
		0 12	0 13	0 14	0 15	0 16	0 17	0 18	0 19	0 20	0 21	0 22	0 23

ROAD 40 FEET WIDE

9.21	9.14	9.14	7.62	7.56	7.62	13.04
0 23	0 24	0 25	0 26	0 27	0 28	0 29
9.21	9.14	9.14	7.62	7.56	7.62	13.04

9.21	9.14	11.29
0 40	0 41	0 42
9.21	9.14	11.29

KHASRA NO.	509
PLOT NO.	0 18
SIZE	9.14 x 15.29
Area (In SQ.M)	139.75
Area (In SQ.FT)	1504
Area (In SQ.YAJ)	167.11

अनुमोदित है-आइए प्लॉट नं. 0-18
क्षेत्रफल 119.35 वर्ग मी. में विभाजित

(Signature)
सहसंचालक, जिलाधिकारी, जयपुर

(Signature)
SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् भिम सिंह महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड) आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 728

दिनांक 10/6/2022

मैसर्स हाडोती पूजा विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय इन्फोमेटिक्स लि० कंपस-बी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता 2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

मुखण्ड स. 0-19 क्षेत्रफल 139.75 वर्गमीटर

राजस्थ ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

Niraj

पट्टा-धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

30 पंजीकृत, कोटा (प्रथम)

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा मूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त मूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मूखण्ड को उभ-पट्टे (तब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त मूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर कंता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जावेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुदात्री संस्थाओं के पास बंधक (पोरैज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. मूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि क्षित्त किया जा सकेगा। अन्ततः पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा कृषि सुपाकन पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले अन्य विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, त्रैनियम के तहत जारी किया गया है। इसके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवक (निर्मित मूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्युटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मूखण्ड के पट्टे की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व अ. स. 0-20 पश्चिम अ. स. 0-18

उत्तर अ. स. 0-4 दक्षिण अ. स. 0-5

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर Haji Mohammad

नाम Haji Mohammad

पता Banpheda, Kota

अंगुष्ठ निशान

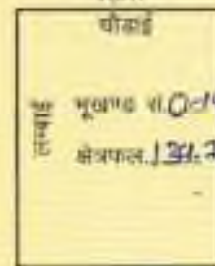
अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान

पट्टे की सीमा

पट्टे की सीमा



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नगर विकास ब्यार डोय

BENCHMARK EXTENSION

KAPREN BRANCH CANAL

TO KOTA
JAIPUR ROAD

ROAD 40 FEET WIDE

	
KHASTRA NO.	509
PLOT NO.	O 19
SIZE	9.14 x 15.29
Area (In SQ.M)	139.75
Area (In SQ.FT)	1504
Area (In SQ.GAJ)	167.11

अनुमोदित है—आगत धन के भुगतान तिथि: 0-19
 दिनांक 139-75 के सी के दिने जारी किया

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक पटेल
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 697

दिनांक 9/6/2022

मेसर्स हजोती पूजा विकास लि० जसिये कधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मकटीभट्टस लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★
जसिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. O-20 क्षेत्रफल 139.75 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509
योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

1. _____
2. _____

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पुष्पांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विद्युत अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विद्युत/हस्तान्तरण पर कंता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय ने निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विद्युत पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राजी देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुदात्री संस्थानों के पास कब्जा (लोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनायास प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्वितरण व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के वक्तात् नियम विकसित तथा तथा सुलाकन पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. स 0-21 पश्चिम गु. स 0-19
उत्तर गु. स 0-3 दक्षिण रोड



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर 

नाम राजी जोहन्ना

पता कोरसेडा, कोटा

अंगुठा निशान

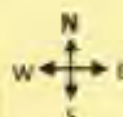
अंगुठा निशान

अंगुठा निशान

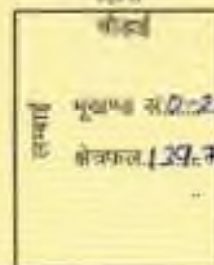
साइट प्लान

पड़ोस

कोटा



पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
भारत विकास न्याय, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

**TO KOTA
JAIPUR ROAD**

O.C.F-1	ROAD 40 FEET WIDE	9.02	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
		0 11	0 10	0 9	0 8	0 7	0 6	0 5	0 4	0 3	0 2	0 1	0 1
		9.02	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14

ROAD 40 FEET WIDE

9.11	9.14	9.14	7.62	7.56	7.62	13.84
0 23	0 24	0 25	0 26	0 27	0 28	0 29
9.11	9.14	9.14	7.62	7.56	7.62	13.84

9.15	9.15	11.29
0 40	0 41	0 42
9.15	9.15	11.29

KHASRA NO.	509
PLOT NO.	0 20
SIZE	9.14 x 15.29
Area (In SQ.M)	139.75
Area (In SQ.FT)	1504
Area (In SQ.GAJ)	167.11

अनुमोदित है-अवर प्लान में प्रामाण्य संख्या 0-20
दिनांक 13.07.2014 को जारी किया गया है
[Signature]
[Signature]

[Signature]
SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महारोल
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 729

दिनांक 10/6/2022

मेसर्स हाडोली पूजा विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंथोली पुत्र श्री हनुमान पंथोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र / पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय न्यूमेडल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री

पुत्र / पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं

O-21

क्षेत्रफल

139.75 वर्गमीटर

राजस्व ग्राह

नयाखेडा

खसरा सं.

509

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

34 पंजीकृत, कोटा (इयुम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
नगर विकास न्यास, कोटा

1. _____

2. _____

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पुष्टांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित नवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होने, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेंगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेंगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर जेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय एवं आवेद प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई रजि देश नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीएम बीमा नियम/अपदावी संस्थानों के धार कर्ता (नॉर्नर) तथा जा सकेंगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय को अनुरोधित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर नवन निर्माण प्रचलित नवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व व उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विलेख किया जा सकेंगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकेंगा है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् निरम विकसित तथा उक्त भूखण्ड पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है ही उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नोति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्त लागू होगी तिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प स्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. अ 0-22 पश्चिम गु. अ 0-20
उत्तर गु. अ 0-2 दक्षिण 205

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

साक्षी :-

हस्ताक्षर

नाम राजी मोहन

पता असफा, मोटा

अंगुष्ठ निशान

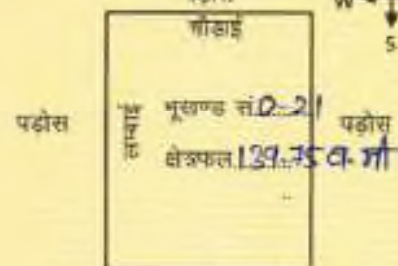
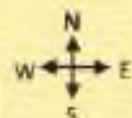
अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी/सहायक निरीक्षक मय मोहन
नगर विकास न्याय, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
(VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

KAPREN BRANCH CANAL

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

TO KOTA
JAIPUR ROAD

ROAD 40 FEET WIDE

9.32	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34
0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00
9.32	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34

ROAD 40 FEET WIDE

9.31	9.34	9.34	7.62	7.36	7.62	13.84
0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29

9.35	9.35	11.29
0.40	0.41	0.42

KHASRA NO.	509
PLOT NO.	0 21
SIZE	9.14 x 15.29
Area (In SQ.M)	139.75
Area (In SQ.FT)	1504
Area (In SQ.GAJ)	167.11

अनुमति है-सर्वे माप के द्वारा प्लॉट नं. 0-21
एकड़ 139.75 वर्ग मीटर का है।
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यांकी, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 730

दिनांक 10-06-2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाथीजी पूजा विकास लि० जयि अर्धकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्हीमेटल्स लि० कंपरा-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कोल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुभा रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जयि

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं 0-22 क्षेत्रफल 139.75 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं 509

योजना वैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1

2

अप पंजीकृत, कोटा प्रम

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(विपरीत)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पुष्टांकन अलग है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा मूखण्ड/निर्मित ईंट का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मूखण्ड पर प्रदर्शित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में प्रलेखित उपयोग अनुज्ञा होगी, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पाबन्दी सुनिश्चित की जाये।
2. पट्टा धारक उक्त मूखण्ड को विभिन्न अवकाश वक्त प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेंगा तथा मूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेंगा।
3. उक्त मूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर लेन के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ मंजीकृत विज्ञापन पत्र अर्थात् प्रस्तुत किने जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/अन्यकारी संस्थाओं के द्वारा कब्जा (सेज्ज) रखा जा सकेंगा, जिसके लिए लाञ्छित निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. मूखण्ड पर भवन निर्माण प्रदर्शित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्वामीय निकाय) को बिना स्वीकृति के मूखण्ड का उपनिर्माण/पुनर्गठन व वा. उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित पर से अवधि विस्तार किया जा सकेंगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकेंगा है।
8. पट्टा विलेख के निष्काशन के पश्चात् निम्न विरुद्ध तथा तथ्य चुभाकर पट्टा विलेख प्रस्ता किया गया है तो उक्त मूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहायक समिति द्वारा वहन किया जायेंगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिसकी पाबन्दी नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
11. अन्य:-

नोट :- आवास (निर्मित मूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प डब्लूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 205 पश्चिम 95 स 0-2)
उत्तर 95 स 0-1 दक्षिण 205

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

साक्षी :-

हस्ताक्षर

नाम धर्मा मोहन

पता बंजरगा कोटा

अनुमोदन

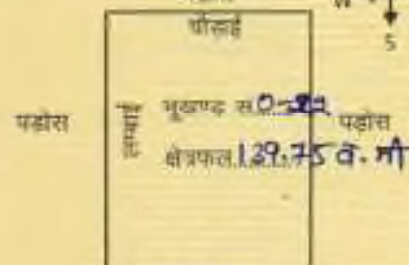
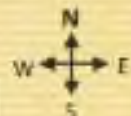
अनुमोदन

अनुमोदन

साइट प्लान

पड़ोस

पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्रमाणित अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मेघ मोहर
(उपस्थिति)
नगर विकास न्याय कोटा

BENCHMARK EXTENTION

KAPREN BRANCH CANAL

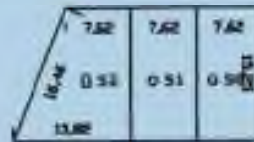
ROAD 60 FEET WIDE

[illegible]

ROAD 40 FEET WIDE

COMM.-3

ROAD 40 FEET WIDE



KHASEA NO.	509
PLDT NO.	O 22
SIZE	9,14 x 15,29
Area (In SQ.M)	139,75
Area (In SQ.FT)	1504
Area (In SQ.MAJ)	167,11

अनुमोदित है—आवक प्रमाण की शुद्धता संख्या D-22
दिनांक 18.75 किलो से मिले उपरिष्ठ

प्रमाण: [Signature] [Signature] [Signature]
प्रमाण: [Signature] [Signature] [Signature]

SIGNATURE OF OWNER



भ्रीमान् अशोक महानोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 669

दिनांक 8/6/2022

मैसर्स हाडौली पूजा विकास लिमिटेड जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय माल्टीमेटल्स लिमिटेड कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा जिला

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-52 क्षेत्रफल 169.89 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

उप पंजीयक, कोटा (पुनः)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(अपसविग)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होगा, परन्तु प्राथमिक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर कंटा के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापलित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा राज्य सरकार पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फाल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. स. 0-51 पश्चिम रोड
उत्तर रोड दक्षिण गु. स. 0-53

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर Harish

नाम एजी मोहम्मद

पता खोखड़ा कोटा

संयुक्त निकाय

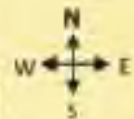
अनुज्ञा निकाय

संयुक्त निकाय

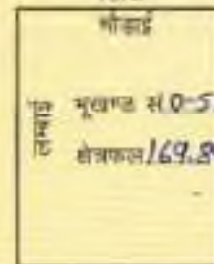
साइट प्लान

पड़ोस

मोहम्मद



पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्रमाणित अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नगर विकास न्याय कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

TO KOTA
JAIPUR ROAD

9.14	9.08	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
0.0	0.7	0.5	0.5	0.4	0.7	0.2	0.1	0.1
9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
0.15	0.15	0.17	0.18	0.10	0.20	0.21	0.22	0.22
9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14

ROAD 40 FEET WIDE

COMM.-1

COMM.-3

ROAD 40 FEET WIDE



KHASRA NO.	509
PLOT NO.	0 52
SIZE	10.715 x 15.855
Area (In SQ.M)	169.89
Area (In SQ.FT)	1829
Area (In SQ.GAJ)	201.222

SIGNATURE OF OWNER

अनुमोदित ले-आवक प्लान के मुताबिक संख्या 0-52
फैलाव 119.399 मीटर के निम्न प्रमाणित

अ.क.प. - अ.क.प. प्रमाणित, अ.क.प. प्रमाणित, अ.क.प. प्रमाणित



श्रीमान् अशोक गहलोट
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा-विलेख

क्रमांक/749

दिनांक 10.06.2022

मैसर्स हाइली प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जयपुर अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय फुटीमेटल्स लिमिटेड कंपरा-सी ब्लॉक 0-7 तारा स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स शहर कार्यालय पता 2021

जयपुर

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-53 क्षेत्रफल 121.32 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

श्री नीरज पंचोली

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(सहसचिव)
नगर विकास न्यास कोटा

1

2

नोट - शर्तों के पूरा पर अधिकृत है।

- पंजीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा मूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मूखण्ड पर प्रस्तावित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमति होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पात्रता सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त मूखण्ड को विकसित करना अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकता तथा मूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीट) पर तो दे सकता।
3. उक्त मूखण्ड को विकसित/हस्तांतरण पर होता है प्लान में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ प्रयोजित विकसित पत्र अदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्त देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सारकार/जीवन बीमा विभाग/कानूनी संस्थाओं के द्वारा बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकता, जिसके लिए स्थानीय निकाय का अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. मूखण्ड पर भवन निर्माण प्रस्तावित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकता। अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथा गुराकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकता।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले खर्च विकासकर्ता/गृह निर्माण सहायता समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी व्यवधान व शर्त लागू होंगे जिसकी पात्रता नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकता।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित मूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प दफ्तरी छद्म पट्टे की प्रति फल राशि।

मूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 93.4 0-54 पश्चिम 205
उत्तर 93.4 0-52 दक्षिण 205

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर

नाम Haji Mohammad

पता Parkhida, Kota

अंगुष्ठ निशान

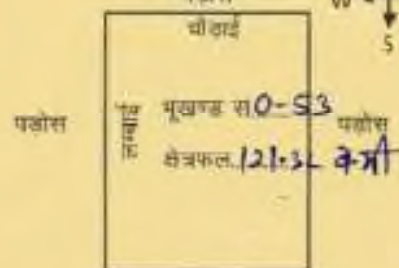
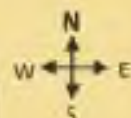
अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई



सड़क की चौड़ाई

प्रमाणित अधिकारी
प्रमाणित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(अपसोधि)
नगर विकास न्यास कोट

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

TO KOTA
JAIPUR ROAD

9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24
0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.21
0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23
9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24

ROAD 40 FEET WIDE

COMM.-1	
COMM.-3	

ROAD 40 FEET WIDE



KHASRA NO.	505
PLOT NO.	0.53
SIZE	10.445 x 11.615
Area (In SQ.M)	121.32
Area (In SQ.FT)	1306
Area (In SQ.GA)	145.111

PARK-1
नयुनादित के लिये
मकान के लिये
मकान के लिये
मकान के लिये

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) निधम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा-विलेख

क्रमांक/750

दिनांक 10.06.2022

मेसर्स हाडोती पुष्पी विकास लिमिटेड जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लिमिटेड कैंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर ★ कार्यालय पता 2021 ★

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

मूखण्ड सं. 0-54 क्षेत्रफल 299.86 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 509

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

Noc 297

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

अथवा

अ.पंजीकृत, कोटा (प्रमाण)

अधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
नगर विकास न्यास कोटा

1.

2.

नोट - सभी पक्षों पर अंकित है।

- पंजीकृत/पुष्पांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रंता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाश में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र ज़ादि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक की उत्तराधिकारों के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का उत्तराधिकार/जीवन बीमा निगम/अगुवाही संस्थाओं की राशि बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसकी लिए स्थानीय निकाय या अनामजित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्व्यवस्थापन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरोध तथा तथा भ्रष्टाचार पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकसयकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व अन्य आवासीय पड़ोस गु. अ. 0-53
उत्तर गु. अ. 0-49-052 दक्षिण रोड

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर Hussain

नाम Maji Mohammad

पता Bachkuda, Kala

अंगुल निशान

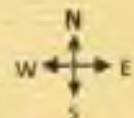
अंगुल निशान

अंगुल निशान

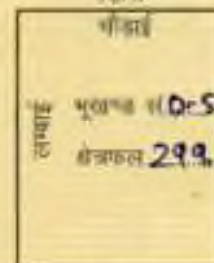
साइट प्लान

पड़ोस

पड़ोस



पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी/हस्ताक्षर मय मोहं

नगर विकास न्यास, कोट

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**

TO LMC

ROAD 60 FEET WIDE

TO KOTA
JAIPUR ROAD

9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34
0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22
9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34

ROAD 40 FEET WIDE

COMM-1
COMM-3



ROAD 40 FEET WIDE

9.15	9.15	9.29
0.40	0.41	0.42
0.39	0.43	0.44
0.38	0.45	0.46
0.37	0.46	0.47
0.36	0.47	0.48
0.35	0.48	0.49

7.62	7.62	7.62	12.23	12.23
0.52	0.51	0.50	0.49	0.48
0.53	0.52	0.51	0.50	0.49
0.54	0.53	0.52	0.51	0.50

BENCHMARK CITY

KHASRA NO.	509
PLOT NO.	0 54
SIZE	14.42 x 20.795
Area (In Sq.M)	299.86
Area (In Sq.Ft)	3228
Area (In Sq.M)	358.666

PARK-1

ROAD 40 FEET WIDE

ROAD 30 FT.

ROAD 30 FT.

SIGNATURE OF OWNER

अनुमोदित है-आदर पत्र के द्वारा प्लॉट नं. 0-54
का क्षेत्रफल 299.86 वर्ग मीटर के तहत प्रमाणित
है।
प्रमुख, नगरपालिका निरीक्षण, काठमाडौं, नगरपालिका क्षेत्र



नगर विकास न्यास, काठमाडौं
पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)
आवासीय

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग के अज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा वितर



क्रमांक / 614

दिनांक 7/6/2012

मेमर्स हाजीरी पूजा के लिए जोयुक्त हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंधोली पुत्र श्री हनुमान पंधोली
पट्टाधारक का नाम _____ पद/पदवी _____

पत्नी

प्राति

निवासी पंजीकृत कार्यालय पल्टीमेडला लि० कंपन-सी ब्लॉक ८-१ लार्ज स्कैल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्कुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

शहर

कार्यालय पत्ता

2021

जंरिये

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री

...पुत्र / पुत्री

निवासी

भारतस्य स

0-55

क्षेत्रफल

198.29 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा नं.

805, 807

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मूखण्ड का पट्टा दिनांक.....को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा घास्क के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी
हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्याय कोठ

गए पंजीयक, छाया (प्रथम)

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- **Registered and Endorsement Attached**



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा मूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
2. पट्टा धारक उक्त मूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लैंड) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त मूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रोता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र ज़ादि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देव नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय व अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. मूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के मूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरोध तथा तथ्य चुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गण निर्माण सहायक समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके समीक्षा/प्रत्यक्षन व शर्त लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित मूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मूखण्ड के पट्टास की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. 24 0-78 पश्चिम 205
उत्तर 205 दक्षिण गु. 24 0-56

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम राजी मोहम्मद

पता असरवा नोय

अंगुला निशान

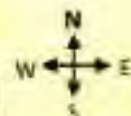
अंगुला निशान

अंगुला निशान

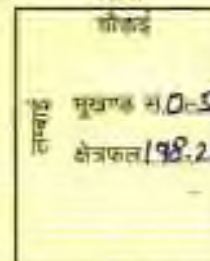
साइट प्लान

पट्टास

कोड



पट्टास



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

(पासविव)
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



अनुमोदित से-आउट प्लान के मुख्य संख्या
संख्या 198.78 का नमूने के लिए प्रमाणित
[Signature]
[Signature]



श्रीमान अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग, कृषि अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा-विलेख



क्रमांक / 630

दिनांक 01/11/2022

मेसर्स हाइली पृथ्वी विकास लिमिटेड जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीपेटल्स लिमिटेड कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज

अथवा
पट्टा धारक मेसर्स शहर कार्यालय पता जसिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

मूखण्ड सं. 0-56 क्षेत्रफल 139.57 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507, 508
योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.
2.

अ प्रबंधक, कोटा (पुनः)

अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पूष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयोजित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुशूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्तता सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर होता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आवेदित किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख की सरकार/जीवन बीमा निगम/अपराधी संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरोध पर (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर सदन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य चुसाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी प्राप्ति नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व पु.स 0-77 पश्चिम 205
उत्तर पु.स 0-55 दक्षिण पु.स 0-57

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम राजी मोहन

पता खेमनडा ओल

अंगुष्ठ निशान

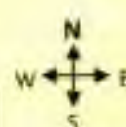
अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

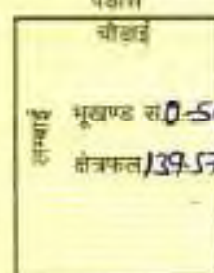
साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई



पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
[Signature]
[Seal]
[Text]

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



SIGNATURE OF OWNER

अनुमोदित है-आपट प्लान के मुकन्द लाल
रोडक/29.53.8.91 के तहत प्रमाणित

प्लान, दु-जिमीन प्लिक, लार्जिटर, प्रमाणित अधिकारी का तहसील



श्रीमान अशोक पहलवान
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग) की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/672

दिनांक 9/8/2022

मैसर्स हाडीटी पूजा विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीपेटल्स लि० कैंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★
जरिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

मूखण्ड सं० 0-57 क्षेत्रफल 139.57 वर्गमीटर
राजस्व ग्राह्य नयाखेडा खसरा सं० 507, 508
योजना वैद्यमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मूखण्ड का पट्टा दिनांक को
निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

अधीनस्थ, कोटा (प्रथम)

नोट - ऊर्त दोनो पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठभूमि संग्रहण है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग बही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयुक्त भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रय के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्रतीकृत प्लान पत्र आदि प्रस्तुत किये जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक की उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/अपराधी संस्थाओं के पास खजाने (मोर्च) तथा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा धारता (स्थानीय निकाय) की शिनाख्ती के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के नियामन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा राज्य जुगाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा विरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवस (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ख़रीद हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व भू.सं. 0-76 पश्चिम 205
उत्तर भू.सं. 0-56 दक्षिण भू.सं. 0-58

Nura7
पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____
2. _____

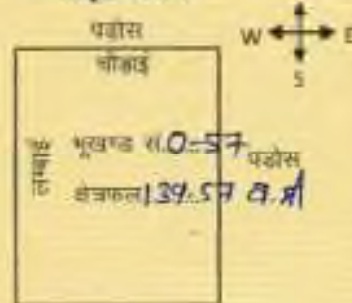
साक्षी :-

हस्ताक्षर
नाम राजी मोहन
पता सोनपुरा मोहा

अंगुष्ठ निशान
अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी
(हस्ताक्षर)
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर राजा मोहन

BENCHMARK EXTENTION

OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003



अनुमोदित है-आरुत पान के मुख्य संख्या 0-57
 गैरकाल 139.57 (काल) के लिए समझिए

पञ्चमः विभागः तद्विषयान्तरं, प्रथमिका जगत्परी उय सन्निध



श्रीमान् अशोक महल्लोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 673

दिनांक 39.06.2022

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाइली प्रोजेक्ट विकास लि० जयपुर अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पुत्र / पुत्री
पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेंटल्स लि० कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इन्फ्रस्ट्रक्चर एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

जयपुर

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री

पुत्र / पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

O-58

क्षेत्रफल

139.57 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507, 508

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

1.

2.

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत / पृष्ठांकित संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा मूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त मूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मूखण्ड को उप-पट्टे (सब-प्लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त मूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर जेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारों के मामले में कोई शर्ति देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जोएन बीएम निगम/अन्यदायी संस्थाओं के पास खजाने (नॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. मूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत किया जायेगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मूखण्ड का उपविभाजन/सुरंगलन व नु उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से करीब विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निर्माण के पश्चात् नियम विरोध तथा अन्य घुसाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्त लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित मूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व पु.स. 0-75 पश्चिम 215
उत्तर पु.स. 0-59 दक्षिण पु.स. 0-59

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

वासी :-

हस्ताक्षर महेश
नाम दाजी मोहन
पता पौखेड़ा, पौवा

अंगुठा निशान

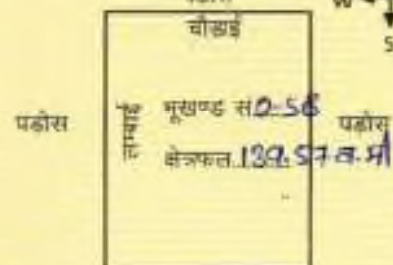
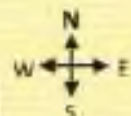
अंगुठा निशान

अंगुठा निशान

साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी
(उपस्थित)
नगर विकास खात, जोरा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



SIGNATURE OF OWNER

अनुमोदित है-आपत वन के भूखण्ड नं. 507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 के लिए प्रस्तावित

अनुमोदित है-आपत वन के भूखण्ड नं. 507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523 के लिए प्रस्तावित



श्रीमान् अशोक महलोन
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आपंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 876

दिनांक 9/6/2022

मेसर्स द्वाबोली पुत्री विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नौरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीफेडल्स लि० कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-59 क्षेत्रफल 139.57 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बेघमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

अप पंचायत, कोटा (प्रथम)

नोट - शर्तें सीधे पृष्ठ पर अंकित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी/हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास कोटा

- पंजीकृत/पुष्टीकृत प्रमाण है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और अपटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित बीज का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रस्तुत मकान विनियम में लघुवित्त अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमोदित होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को राग-पट्टे (राग-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तांतरण पर बीज के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ प्रयोजन विलेख/पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/अन्यदात्री संस्थाओं के पास रख (नॉन-ज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरोध प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर मकान निर्माण प्रस्तुत मकान विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा। अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के विधायन के पश्चात् निम्न विवाद तथा अन्य सुझावर पट्टा विलेख जारी किया गया है जो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिसकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फाल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. ख 0-74 पश्चिम 205
उत्तर गु. ख 0-58 दक्षिण गु. ख 0-60

पट्टा धारक के उत्तराधिकार

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम हजी मोहम्मद

पता 614931, मोहा

अंगुल निशान

अंगुल निशान

अंगुल निशान

साइट प्लान

पड़ोस

बीड़ई

0-59

भूखण्ड से

क्षेत्रफल

139.57

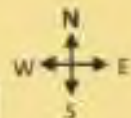
व.मी

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

सड़क की चौड़ाई



प्राधिकृत अधिकारी
(उपसचिव)
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, मोहा
भार विकास

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O 59
SIZE	9.14 x 16.17
Area (Sq.M)	139.57
Area (Sq.Ft)	1502
Area (Sq.Gm)	166.89

अनुमोदित से-आउट प्लान के बुरुज से-आउट
शेड्यूल 139.57 वर्ग मी. के तहत प्रमाणित

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक राजलोट
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

कम्पाउंड/ 674

दिनांक 9/6/2022

मैसर्स हाडीली पुंजी विकास लि० जस्यो अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंधोली पुत्र श्री हनुमान पंधोली

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021

जस्यो

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-60 क्षेत्रफल 139.57 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

(दस्तखत)

कला विकास न्यास, कोटा

1.

2.

नोट - कर्त पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पुष्टाकृत कागज है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्मिलित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रय के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुदात्री संस्थाओं के पास कब्जा (मोर्चेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनामलि प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के विधायन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य रूपान्तर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवृत्त (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व भू.स 0-73 पश्चिम 205
उत्तर भू.स 0-59 दक्षिण भू.स 0-61

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

अंगूठा निशान

2. _____

अंगूठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Hameed

नाम हामीद ओएलएन

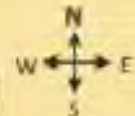
पता खैरखेड़ा, 0061

अंगूठा निशान

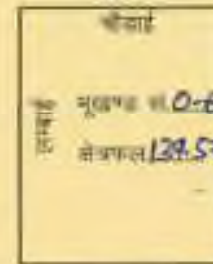
साइट प्लान

पड़ोस

सीमाई



पड़ोस



सड़क की सीमाई

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास विभाग, रोहताख

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	0 60
SIZE	0.14 x 15.27
Area (In SQ.M)	139.57
Area (In SQ.FT)	1502
Area (In SQ.GAT)	166.89

SIGNATURE OF OWNER

अनुमोदित है-आगत प्लान को मूलभूत संरक्षण
केकल 139.57 वर्गमी के हिस्से प्रमाणित
पटल, म-जलवेद (प्लान), च-सालार, प्राविष्ट गलिलो जय सविन



श्रीमान् अशोक महपात्र
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 677

दिनांक 03-06-2022

मेसर्स हाडोती पूजी विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति
पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०
निवासी

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शब्द कार्यालय पता 2021 ★

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-61 क्षेत्रफल 139.57 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.
2.

34 पंचायत, कोटा (प्रमुख)

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी (कोटा) हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग यही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में वर्णित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विभिन्न अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेंगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेंगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर जाता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय से निर्धारित शुल्क जमादेन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र जारी प्रस्तुत किये जावेंगे, परन्तु पट्टाधारक की उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/अन्य प्राधिकारी संस्थाओं के पास बंधक (मॉर्गेज) रखा जा सकेंगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरक्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयत्नित भवन विनियमों के मानदण्डों ताला करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व वा उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अंश विस्तार किया जा सकेंगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य चुपकारे पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले कार्य विकासकर्ता/भूत निर्माण सहायक समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
11. अन्य

नोट :- आवस (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 70.28 0-72 पश्चिम 205
उत्तर 70.28 0-60 दक्षिण 70.28 0-62

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

सहो :-

हस्ताक्षर _____
नाम राजी मोहन
जन्म 01/01/1971, 01/01/1971

अंगुठा निशान

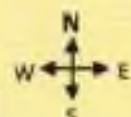
अंगुठा निशान

अंगुठा निशान

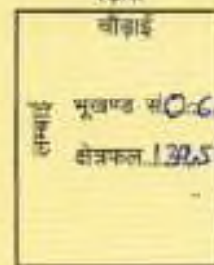
साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई



पड़ोस



पड़ोस

सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थिति)
नगर विकास न्यास कोट

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



SIGNATURE OF OWNER

अनुमोदित है-
कोटा-324003 के तहसील में स्थित
कोटा-324003 के तहसील में स्थित
कोटा-324003 के तहसील में स्थित



श्रीमान् अशोक पटेल
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख



दिनांक 09-06-2022

कंपाई 78

मैसर्स हाइड्रो पंजी विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेडल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-62 क्षेत्रफल 178.79 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना वैधमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

1.

2.

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पुष्टांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड) (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा मूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होगा, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पाठना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त मूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मूखण्ड को उप-पट्टे (सब-प्लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त मूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ फंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जावेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीएन बीमा निगम/अणुदायी संस्थाओं के पास बचक (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. मूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व मू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् मूखण्ड विक्रेता तथा तत्पश्चात् पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकसत पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहायरी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पाठना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

अन्य _____

नोट - आवास (निर्मित मूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति कल राशि।

मूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. ख. 0-71 पश्चिम 215
उत्तर गु. ख. 0-61 दक्षिण गु. ख. 0-63, 0-64

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर H. H. H.

नाम राजीव चौधरी

पता लोहरावा 0101

अंगुठा निशान

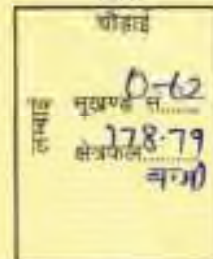
अंगुठा निशान

अंगुठा निशान

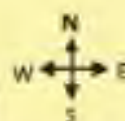
साइट प्लान

पड़ोस

पड़ोस



सड़क की चौड़ाई



प्राप्ति प्रमाणित

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास ब्यास कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



अनुमोदित ले-आउट प्लान के मुख्यक नक्शा 178.79 वर्ग मी के तहत प्रमाणित

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड) आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 617

दिनांक 7/6/2022

मैसर्स हाडीती पूजी विकास लिमिटेड जस्टिस अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंधोली पुत्र श्री हनुमान पंधोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
नितासी पंजीकृत कार्यालय न्यायिमेटर्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कोर इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★
जस्टिस

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. O-63 क्षेत्रफल 148.72 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 607/523

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

पंजीकृत, कोटा (1/1/2022)



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा वारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा वारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकता तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकता।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर केता के पक्ष में नम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाव्यवस्था की उदाहरणिकारी की भाषा में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऊर्जादात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेंज) रखा जा सकता, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अभावपरित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व मू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकता अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा कृषि धुसाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकता।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकता।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. 21 0-64 पश्चिम 205
उत्तर गु. 21 0-62 दक्षिण 205

पट्टा वारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर Himmat

नाम दाजी मोहर

पता बेसवडा कोटा

अनुमोदित

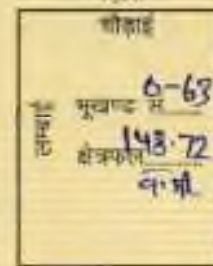
अनुमोदित

अनुमोदित

साइट प्लान

पड़ोस

पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

(अपसवि)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



अनुमोदित है-आज काय हो गुलाम...
संख्या 148.72...
...



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 675

दिनांक 09.06.2022

मेसर्स हाइवेटी पूंजी विकास लिमिटेड जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मुल्तीमेटल्स लिमिटेड कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर ★ कार्यालय पता 2021 ★
जरिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. 0-64 क्षेत्रफल 90.08 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 607/523
योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

उप पंचायक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

1
2

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित होव का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लिखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. तत्काल भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर होना के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए विक्रय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पर्यवेक्षित विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुदाजी संस्थाओं के पास कंधक (मॉर्गज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का संप्रविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के परवत् नियम विस्तृत तथा तथ्य सुपावत् पट्टा विलेख द्वारा किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विज्ञान पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

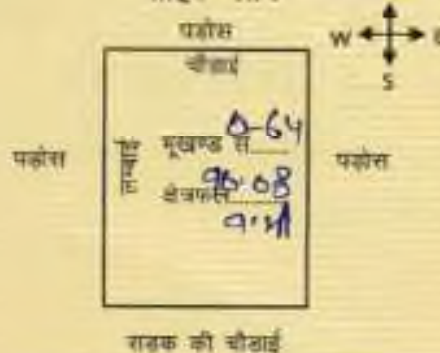
नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु.स 0-65 पश्चिम गु.स 0-63
उत्तर गु.स 0-62 दक्षिण 215

साइट प्लान



राइक की चौड़ाई

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर Hawatch

नाम हजी मोहम्मद

पता बोरखेडा चौक

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर महेश मोहं

(उपसचिव)
भारत विकास न्याय को

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENSION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**





श्रीमान् अमलोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/758

दिनांक 10/06/2022

मैसर्स हाइड्रोपैप्टी पूजा विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कंपस-ती ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्जुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स कार्यालय पता

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. O-65 क्षेत्रफल 90.08 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 607/523

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
नगर विकास न्यास, कोटा

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित इंस का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित मकान विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमोदित होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाये।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को बिक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के ड्रिग/इस्तानसरा पर कंसा के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ प्रयोजित निकाय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का अस्वातंत्र्य/जीवन बीमा नियम/अपराधी सम्बन्धों के पास बंधक (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर मकान निर्माण प्रचलित पवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की दिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्वसन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनाक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में अन्तर्गत विकास पर होने वाले मूल्य विकासकर्ता/मूल निर्माण सहकारी समिति द्वारा वसूल किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्त लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प द्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु.स. 0-66 पश्चिम गु.स. 0-64

उत्तर गु.स. 0-70 दक्षिण रोड

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम Ujjaini Mohan

पता Barkhada, Kota

अंगुल निशान

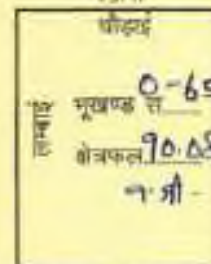
अंगुल निशान

अंगुल निशान

साइट प्लान

पड़ोस

पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी की हस्ताक्षर नय मोहर

(-तस्वित)

नगर विकास न्यास, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



अनुमोदित ले-आउट प्लान को धारा 23 के तहत
लेजिस्लेशन 16-08-2011 को तहत प्रमाणित
किया गया है।
जिला पंचायत, लडपुरा, जिला कोटा



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक/ 679

दिनांक 09-06-2022

मैसर्स हाइड्रोटी पूंजी विकास लि० जसिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कंपस-ती ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुजा रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-66 क्षेत्रफल 122.02 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 667/523

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
मय मोहर न्यास कोटा

1.

2.

नोट - शर्तों पीछे पृष्ठ पर उल्लिखित है।

- पंजीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग यही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लिखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर जाता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क जमादेन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र अदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकात/नौबत बीमा निगम/रहमदारी संस्थाओं के पास रखा (नॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् निम्न विरुद्ध तथा तथ्य सुपावन पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में शान्ति विकास पर होने वाले उच्च विकासकर्ता/गृह निर्माण संरक्षणी समिति द्वारा बहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नैति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्त लागू होंगी जिनकी पालना नहीं केवल पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य.....

नोट - आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु.स. 0-67 पश्चिम गु.स. 0-65

उत्तर गु.स. 0-70 दक्षिण 255

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी -

हस्ताक्षर मोहम्मद

नम हाजी मोहम्मद

पता अबुलक़ासिम मोहम्मद

अंगुल निशान

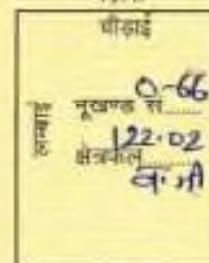
अंगुल निशान

अंगुल निशान

साइट प्लान

पड़ोस

पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी, के. जवाहर मय मोहर

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**





श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग) की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक

दिनांक

मैसर्स हाडोती पूजा विकास लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पट्टा धारक का नाम

पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी

पंजीकृत कार्यालय माल्टीमेडल्स लि० कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021 ★

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं

0-67

क्षेत्रफल

99.84 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं

607 / 523

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

N/1292

2.

UP पंजीकृत, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर लेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों की मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दंड से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकेगा।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य धुँवाँकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले कार्य विकासकर्ता/मूल निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

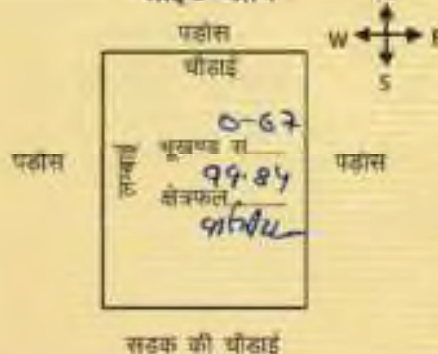
नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व P.M.-0-68 पश्चिम P.M.-0-66
उत्तर रोड दक्षिण रोड

साइट प्लान



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nuraz

अंगूठा निशान

2. _____

अंगूठा निशान

साथी :-

हस्ताक्षर Hasan

नाम Raji Mohammed

पता Bootheda, Kota

अंगूठा निशान

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी मय मोहर
नगर विकास अधिकारी, कोटा

BENCHMARK EXTENTION

OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003





श्रीमान् अशोक पहलवाल
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड) आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 643

दिनांक 7/6/2022

मैसर्स हाइली पृथ्वी विकास लिमिटेड जस्य अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय एन्टीमेटल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कोल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स शंहर कार्यालय पता 2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

मूखण्ड सं. 0-68 क्षेत्रफल 51.95 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 607/523

गोजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

11/6/22

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

1.

31 जून तक, छेय (पट्टा)

2.

नोट - हर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पुष्पांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा मुख्यण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मुख्यण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्तता सुनिश्चित की जाये।
2. पट्टा धारक उक्त मुख्यण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मुख्यण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त मुख्यण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नग्न परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ फंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जावेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्ति देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सत्कार/जीवन बीमा निगम/जलदाजी संस्थाओं की पास बचत (सोरीज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. मुख्यण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मुख्यण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्तथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख की निष्पादन की पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य चुनकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मुख्यण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकास/गृह निर्माण सहायता समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख पिन अधिनियमों, नियमों, नौति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पाबन्दी नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित मुख्यण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मुख्यण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व रोड पश्चिम गु. स. 0-67
उत्तर गु. स. 0-69 दक्षिण रोड

पट्टाधारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

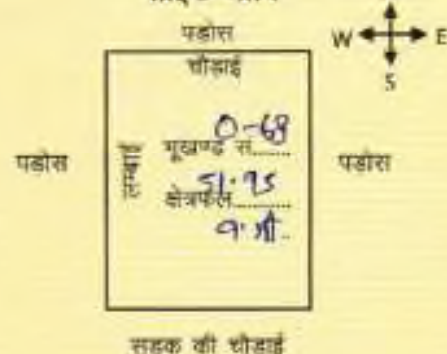
हस्ताक्षर [Signature]
नाम हजी मोहम्मद
पता बोस्लेडा कोटा

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी की हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्याय, कोटा

BENCHMARK EXTENTION

[illegible]

	
EXHAUST INQ.	807/523
PLUG WD.	0 66
SIZE	5,725 x 9,075
Area (In SQ. IN.)	51.66
Area (In SQ. FT.)	3.59
Area (In SQ. YD.)	63.111

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 662

दिनांक 8/6/2022

मेसर्स हाइड्रो प्लूमि विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय नगर विकास लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लाज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुआ रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

O-69

क्षेत्रफल

102.48 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

Nee 2021

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

उप निरीक्षक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

1

2

नोट - हार्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुवृत्ति में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्राथमिक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाये।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण धन लेता के पक्ष में नग्न परिवर्तन के लिए निषेध में निर्धारित शुल्क असेशन के साथ वजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देन नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/बचत बैंक (सिप्लेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निषेध के अन्तर्गत प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निषेध) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् निम्न विवरण तथा तथ्य सुपाकन पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा विरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/भू निर्माण सहायक समिति द्वारा करन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों नियमों नीति विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प खयूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 215 पश्चिम 76.21 0-66
उत्तर 215 दक्षिण 76.21 0-68

पट्टा-धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

सहो :-

हस्ताक्षर _____

नम एजी मोहम्मद

पता 1000001 0101

अनुमोदित

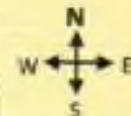
अनुमोदित

अनुमोदित

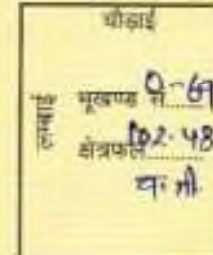
साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई



पड़ोस



सड़क की चौड़ाई

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहम्मद
नगर विकास न्याय को

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 604

दिनांक 08-01-2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडोती पूजा विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेंटल्स लि० कैम्पस-सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

मुखण्ड सं.

O-70

क्षेत्रफल

180.20 वर्गमीटर

राजस्थान ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

उप-पंजीयक, कोटा (ग्राम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(निर्वाहक)
नगर विकास न्यास, कोटा

1.

2.

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेंगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेंगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर प्रस्ताव को पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जावेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुदायी संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेंगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्व्यंजन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेंगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् निम्न विकल्प तथा तथ्य चुनाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नोटों, दिनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प द्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फलत राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 205 परिधम गु. सं. 0-62
उत्तर गु. सं. 0-71 दक्षिण गु. सं. 065, 066

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम हार्दी मोहम्मद

पता बोसवेडा मोटा

अंगुठा निशान

अंगुठा निशान

अंगुठा निशान

साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई

0-70

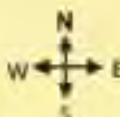
भूखण्ड सं.

180-20

क्षेत्रफल

वर्ग मी.

सड़क की चौड़ाई



पड़ोस

पड़ोस

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(प्रामाणिक)
नाम विमला नाथ कोठी

BENCHMARK EXTENTION

[illegible]

	
KFASRA NO.	587
PLOT NO.	G 70
SIZE	10.895 x 16.54
Area (In SQ.M)	180.20
Area (In SQ.FT)	1940
Area (In SQ.MA)	215.555

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गडकरी
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 663

दिनांक 8/6/2022

मेसर्स हाइली प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जयपुर अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम _____ पुत्र/पुत्री _____
पत्नी _____ पति _____
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीपेटल्स लिमिटेड-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★
जयपुर
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

मुखण्ड सं. 0-71 क्षेत्रफल 139.57 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507
योजना बेचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक _____ को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

1. _____
2. _____

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिसे उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होगा, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विविध अवकाश अन्य प्रकार से इस्तेमाल/रूप संशोधन तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-प्लॉट) पर भी दे सकेंगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर हस्ता के पत्र में नाम परिवर्तन के लिए विक्रेता ने निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र जमा प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई तस्वीर देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा नियम/जन्मदात्री संस्थाओं के पास कंज (पोपेज) रखा जा सकेंगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापलित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर सवन निर्माण प्रचलित पवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्वहन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि के निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दण से अवधि विस्तार किया जा सकेंगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य सुझाकर पट्टा विलेख जमा किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विचार पर होने वाले व्यय विकलाकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके 20वीं संशोधन व फॉर्म लागू होगी जिसकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 205 पश्चिम 35.25 0-62
उत्तर 35.25 0-72 दक्षिण 35.25 0-70

पट्टा-धारक के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर Harish

नाम Haji Muhammad

पता Barkheda, Kota

संयुक्त निवास

संयुक्त निवास

संयुक्त निवास

साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई

0-71

139.57

व. मी.

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

पड़ोस

प्रमाणित अधिकारी

प्रमाणित अधिकारी (कै. इन्सपेक्टर मय मोहर)

नगर विकास मंत्रालय, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O 71
SIZE	9.18 x 15.27
Area (In SQ.M)	139.57
Area (In SQ.FT)	1502
Area (In SQ.GAJ)	166.888

अनुसूचित से-काउट प्लान के मुताबिक संख्या O-71

क्षेत्रफल 139.57 वर्गमी के सिद्ध है।

हस्ताक्षर के-सहित, तहसीलदार प्रमाणित करेंगे।

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक /

दिनांक

पट्टा धारक का नाम मैसर्स हाइटी पंजी विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पचौली पुत्र श्री हनुमान पचौली

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मन्दीपेटल्स लि० कैम्पस-सी ब्लॉक ६-७ लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल् एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-72 क्षेत्रफल 139.57 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. NH282

2. _____

उप पंजीयक, कोटा (राज०)

प्रमाणित अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

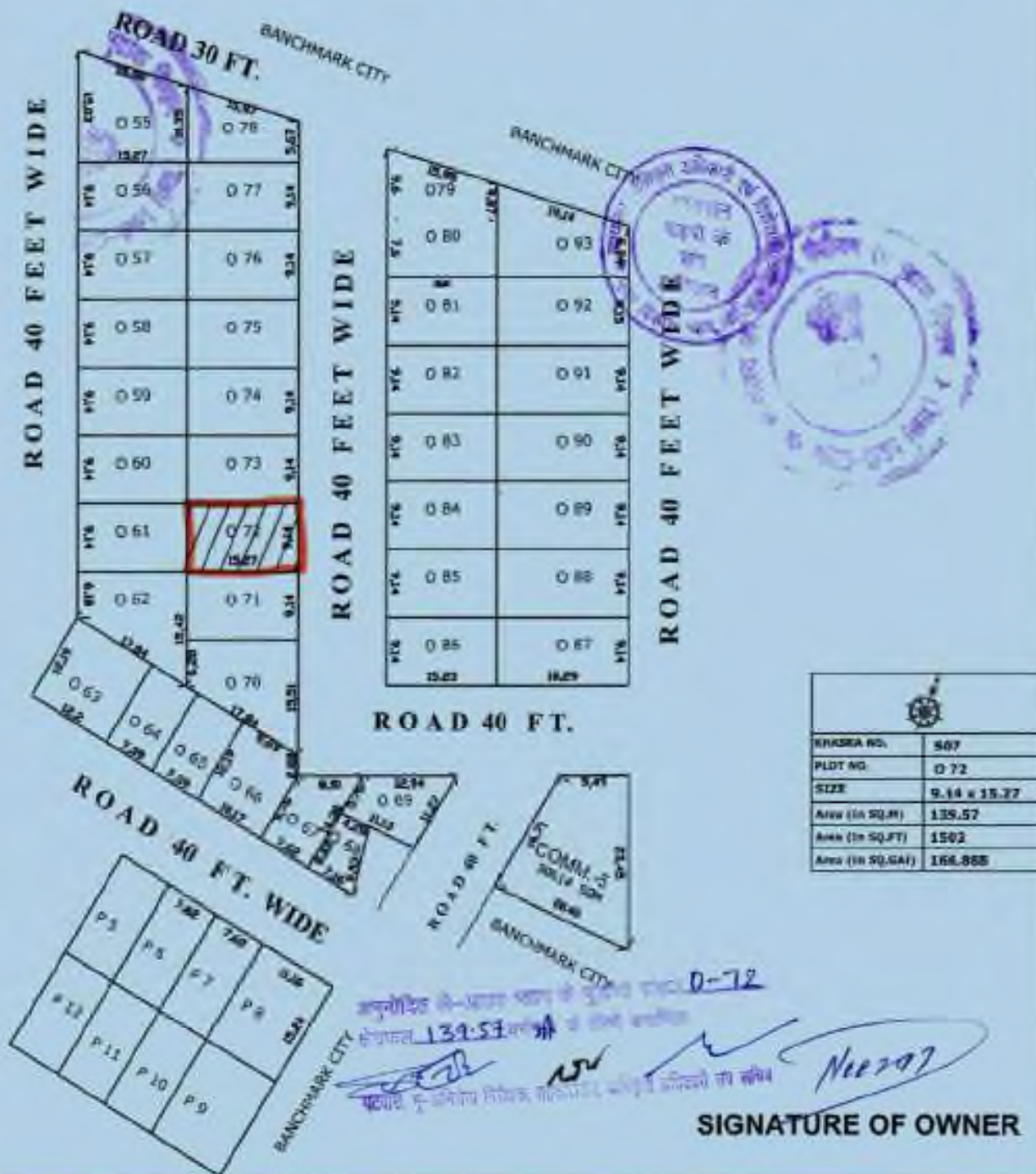
नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पुष्पांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**





श्रीमान् अशोक महलोत्त
मुख्याधीन, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 666

दिनांक 8/6/2022

मैसर्स हाइड्रो प्लान विकास लि० जारिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोनी पुत्र श्री हनुमान पंचोनी
पट्टा धारक का नाम पुत्र / पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटर्स लि० कॉम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लाज स्कॉल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा
पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★
जारिये
(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. 0-73 क्षेत्रफल 139.57 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507
योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Neehar
2. _____

अ प्रकीयक, काटा (हस्ताक्षर)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(अधिकारी)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत / पृष्ठांकित संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा किन्तु उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्मिलित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर कंटा के प्ला में नम परिवर्तन के लिए निष्काश में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ जमा किया जायेगा, परन्तु पट्टाधारक की उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सन्धार/जोड़न बीना नियम/जगदाली संस्थाओं के पास जमा (पोस्ट) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनामत प्रमाण पत्र (NAC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपभोग/पुनर्वसन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि निष्काश किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्काशन के पश्चात् नियम विक्रय तथा लाभ भुगतान पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है जो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में प्राथमिक विकास पर होने वाले व्यय विकसक/पट्टा धारक/उत्तराधिकारी/सन्धार द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है, इनमें कोई प्रावधान नहीं है, तब भी जारी होगी जिनकी पूर्ति नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य.....

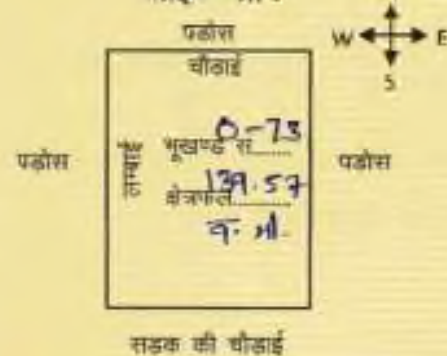
नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व..... 205 पश्चिम..... 95.24 0-60
उत्तर..... 95.24 0-74 दक्षिण..... 95.24 0-72

साइट प्लान



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. NCC 2021
2.

अनुमति मिलान
अनुमति मिलान

साक्षी :-

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

अनुमति मिलान

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्याया, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O 73
SIZE	9.14 x 15.27
Area (In SQ.M)	139.57
Area (In SQ.FT)	1502
Area (In SQ.MA)	166.888

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महल्लोठ
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 661

दिनांक 31/6/2022

मैसर्स हाइड्रोटी प्रोजेक्ट विकास लि० जारिगे अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स शहर कार्यालय पता 2021

जारिगे

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

मुखण्ड सं. 0-74 क्षेत्रफल 139.57 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मुखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2. _____

उप पंचायक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी को हस्ताक्षर मय मोहर
(प्रमाणित)
नगर विकास न्यास कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुशूची में उल्लेखित उपयोग अनुमोदित होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेंगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (स्लैब-लैंड) पर भी दे सकेंगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पास में नाम परिवर्तन के लिए भिन्नता में निर्धारित शुल्क अर्पण के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई प्रति देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को हस्तान्तरण/जीवन बीमा नियम/अपघाती लक्षणाओं के पास क्रेता (नॉर्पेज) रखा जा सकेंगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करण होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्वर्तन इ नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से जबकि विक्रय किंवा जा सकेंगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकेंगा।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् निम्न बिन्दु तथा तथा धारक पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 205 पश्चिम 78.50 0-51
उत्तर 78.50 0-75 दक्षिण 78.50 0-75



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Narain

2. _____

अनुमति

अनुमति

साक्षी :-

हस्ताक्षर Harinder
नाम हार्दी ओहवाल
पता ओहवाल कोटा

अनुमति

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्याय, कोटा

BENCHMARK EXTENTION

ROAD 30 FT.

BANCHARH CITY

ROAD 40 FT. WIDE

ROAD 40 FT.

ROAD 40 FT. WIDE

ROAD 40 FT. WIDE

BANCHARH CITY

SIGN

	
STANDARD NO.	907
PLANT NO.	Q 74
SIZE	5.14 x 15.27
Area (In Sq. In)	129.57
Area (In Sq. Ft)	1302
Area (In Sq. Gals)	166.889

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अवधान् पट्टनयन
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 668

दिनांक 8/6/2022

मैसर्स हादीती पूजा विकास लिमिटेड जस्टिस अधीन हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मन्टीमेंटल्स लिमिटेड कैंपस-सी ब्लॉक 4-7 लार्ज स्केल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स शहर कार्यालय पता 2021

जस्टिस

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं O-75 क्षेत्रफल 139.57 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2. _____

अप पंजीकृत, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - सर्वे सीट प्लान पर अंकित है।

- पंजीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

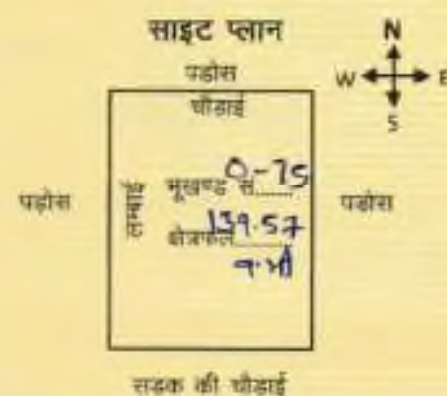
1. पट्टा धारक द्वारा मूखण्ड/निर्मित ढांच का उपयोग वहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मूखण्ड पर प्रयोजित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त मूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट्स) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त मूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर लेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क अर्पण के साथ प्रतीकृत विक्रय पत्र जारी प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उल्लेखिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जोवन सेवा निगम/कायदा के संस्थाओं के पास बचक (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरोधित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. मूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा धारता (स्थानीय निकाय) को बिना संवेदित के मूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि के दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरोध तथा अन्य छुवाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आवधिक विकास पर होने वाले अन्य विकास/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा करना किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित मूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्थायी इयूटी हेतु पट्टे की प्रति कल राशि।

मूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 205 पश्चिम 30 स 0-58
उत्तर 30 स 0-76 दक्षिण 30 स 0-74



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

अंगूठा निशान

2. _____

अंगूठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम राजीव चौधरी

पता खेसरोडा रोड

अंगूठा निशान

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर खेसरोडा रोड

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**





श्रीमान् आशांक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (क्वि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयुक्त की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 659

दिनांक 08.10.2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीली पूजी प्रिवेट लि० जसिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नोरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय न्यूटेकमेटल्स लि० कैंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा (राज.)

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-76 क्षेत्रफल 139.57 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना वैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

गप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पुष्पांकित दर्ज़न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निमित्त क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित नवन विनियम से सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होने, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्तता सुनिश्चित की जाए।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विद्युत अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर लेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पर्याप्त विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देव नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का लाका/जीवन बीमा गिगम/अपराध संस्थाओं के पास बंध (गैरज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर स्वयं निर्माण प्रचलित नवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा जारी (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के तत्पश्चात् निम्न विरुद्ध तथा तथा भुवाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आपातकालीन विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहायकी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रभावों व शर्तें लागू होंगी जिनकी पूर्तता नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य.....

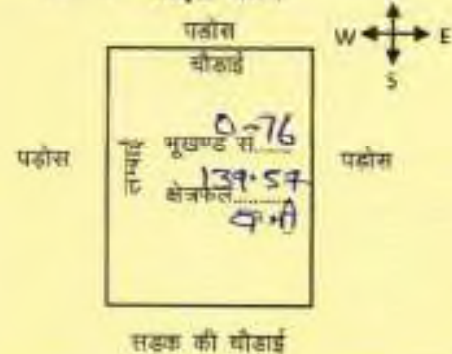
नोट :- आवास (निमित्त भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 203 पश्चिम 95 से 0-57
उत्तर 95 से 0-77 दक्षिण 95 से 0-75

साइट प्लान



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nurag

अंगुठा निशान

2. _____

अंगुठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Harjit

नाम हजी मोहम्मद

पता खेतवाड़ा, मोह

अंगुठा निशान

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास खास कोट

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**





भीमान् अशोक महपात्र
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 657

दिनांक 08-06-2022

मैसर्स हाडोती पूजा विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इम्प्रेसिडियल एरिया, कन्वुआ रोड कोटा राज्वा

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★
जसिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. 0-77 क्षेत्रफल 139.57 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना वैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.
2.

अर पंचोलीक, कोटा (प्रमुख)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
उक्त पट्टा धारक कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर कंटा के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्त देव नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/कृषिदायी संस्थाओं के पास कब्जा (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन या नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निषादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथा चुपचाक पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख छिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों का तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

11. कुल

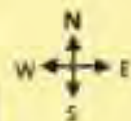
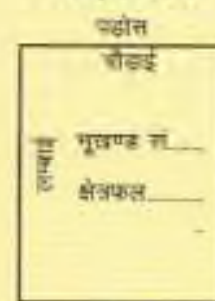
नोट :- आवकत (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ज्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड की पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व जोड़ पश्चिम गु. स. 0-56
उत्तर गु. स. 0-78 दक्षिण गु. स. 0-76

साइट प्लान



पड़ोस

पड़ोस

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. N/A

अंगुल निशान

2. _____

अंगुल निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर _____

नाम राजीव मोहता

पता जैसलमेर, जैसलमेर

अंगुल निशान

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर _____

कमल निशान . 6 कोट

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महाराज
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग के
अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 658

दिनांक 08-06-2021

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीतो पृजी विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेडल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 8-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुजा रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

O-78

क्षेत्रफल

125.12 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैद्यमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. *[Signature]*

2. _____

[Signature]

अध्यापक, कोटा (राजस्थान)

प्राधिकृत (अधिकारी)

(सुपरीविस)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा मूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सन्निहित अनुसूची में उल्लिखित उपयोग अनुमति होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त मूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मूखण्ड को उच्च-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त मूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर लेन के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क अधेदन के साथ प्रतीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्त देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीएन सीएम नियम/अनुदानों सम्बन्धों के पालन बंधन (बोर्नज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. मूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्कारण के तत्पश्चात् निम्न विकल्प तथा तथा धुपाकर पट्टा विलेख प्रान्त किया गया है तो उक्त मूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में जागतिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित मूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 215 पश्चिम 31.5 0-55

उत्तर 214 दक्षिण 31.5 0-77



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Niraj

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Harish

नम राजो मोहन

पता बेस्मिता लोरा

अंगुष्ठ निशान

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
मय विकास नगर, _____

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENSION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O-78
SIZE	8.01 x 15.63
Area (In SQ.M)	125.12
Area (In SQ.FT)	1347
Area (In SQ.YD)	145.665

O-78
N11297
SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग) की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा-विलेख

क्रमांक / 635

दिनांक 7/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीती पूंजी विकास लिमिटेड जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री गीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र / पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021 ★

जरिये

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री

पुत्र / पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

O-79

क्षेत्रफल

112.83 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैद्यमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

Nu-97

2.

88 पूंजीयक, कोटा (पंचायत)

प्राधिकृत अधिकारी
अधिकारी
(निपटारी)
नगर विकास न्यास कोटा

नोट - ऊर्ध्व पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत / वृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित ढाँचा का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकता तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकता।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रंता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन की सहाय्य प्रयोजित विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक को उत्तराधिकारी के मामले में कोई शक्ति देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जोड़न बीमा निगम/जपदावी संस्थाओं के पास कवक (मॉर्गेज) रखा जा सकता, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों सहित करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकता अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख को निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य विरुद्ध पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकता।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकसित पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के सहित जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकता।
11. अन्य _____

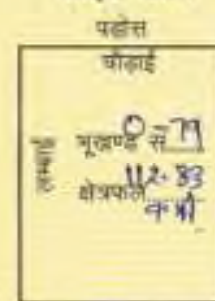
नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 95 मी 0-93 पश्चिम 205
उत्तर 300 मी 0-80 दक्षिण 95 मी 0-80

साइट प्लान



सबक की चौड़ाई

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nuraj
2. _____

अंगुठा निशान

अंगुठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Hemahde
नाम हजी मोहम्मद
पता बोस्केट कोटा

अंगुठा निशान

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी (कोटा) नय मोहर
बनार विकास न्याया कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महलोन
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 636

दिनांक 7/6/2022

मैसर्स हजोती पुंजी विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोनी पुत्र श्री हनुमान पंचोनी

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय भूटीपेटल्स लि० कॉम्पस-सी ब्लॉक B-7 लार्ज स्कैल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स शहर कार्यालय पता 2021

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. O-80 क्षेत्रफल 115.82 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में सक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2. _____

34 पंजीकृत, कोटा (भूमि)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(जपसहित)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

- पंजीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित बीज का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमति होगी, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर कंता के पक्ष में लाभ परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/जगदात्री संस्थाओं के पास कब्जा (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करेता होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/प्रयोजन से नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से ज़ब्त विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निधारन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में अनधिकृत विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इसके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

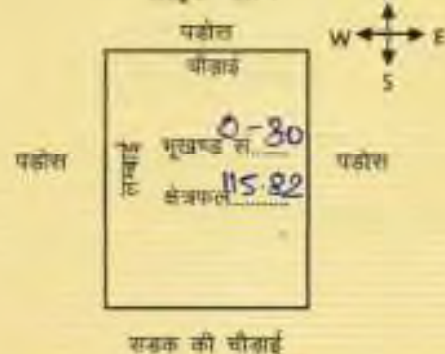
नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पट्टे की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व ख. अ. 0-93 पश्चिम ख. अ. 205
उत्तर ख. अ. 0-79 दक्षिण ख. अ. 0-81

साइट प्लान



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nazim

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Harish

नाम हार्जी मोहन

पता वेस्टवार्ड, कोटा

अंगुष्ठ निशान

प्रमाणित अधिकारी
प्रमाणित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(सिख)
नगर विकास कोटा

BENCHMARK EXTENTION

[illegible]

	
KRASSA NO.	507
PLOT NO.	O 50
SIZE	7.50 x 15.34
Area (In Sq.M)	115.82
Area (In Sq.Ft)	1247
Area (In Sq.Yd)	138.955

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 637

दिनांक 7/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाबोती पूंजी विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंथोली पुत्र श्री हनुमान पंथोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय ग्लोबलटेल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 तारु स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं

0-81

क्षेत्रफल

139.29 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैधमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

NH297

2.

अर पंजीकृत, कोटा (पुनः)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

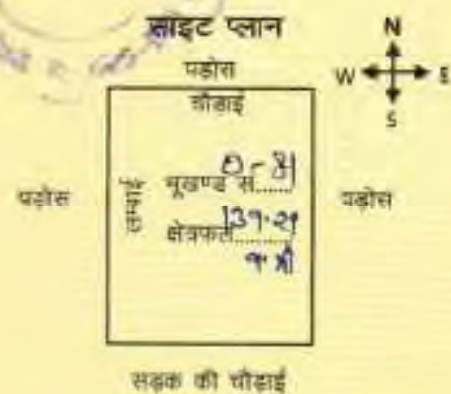
1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुमति होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन की साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीएन सीआर निगम/ग्रामवासी समूहों के पास रखकर (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों की मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् निम्न विरुद्ध तथा उक्त छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/ग्रह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति दिशिकाओं के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होती हिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. अ 0-92 पश्चिम खेड
उत्तर गु. अ 0-80 दक्षिण गु. अ 0-82



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nuraz

अंगुल निशान

2. _____

अंगुल निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Harshad

नाम एजी मोहम्मद

पता खेतवाड़ा, कोटा

अंगुल निशान

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी/हस्ताक्षर मय मोहर
ग्राम विकास न्यास, कोटा

BENCHMARK EXTENTION

[illegible]

	
KHASRA NO.	507
PLOT NO.	D 61
SIZE	9.14 x 15.24
Area (2x SQ.M)	139.28
Area (2x SQ.FT)	1499
Area (2x SQ.YARD)	166.355

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गजब्राह्मण
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक 638

दिनांक 16/10/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाबोती पूंजी विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नौरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

O-82

क्षेत्रफल

139.29 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

NH-97

2.

प्राधिकृत अधिकारी
(निर्देशिका)
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

अर एजीकट, कोटा (प्रमुख)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पुष्टीकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

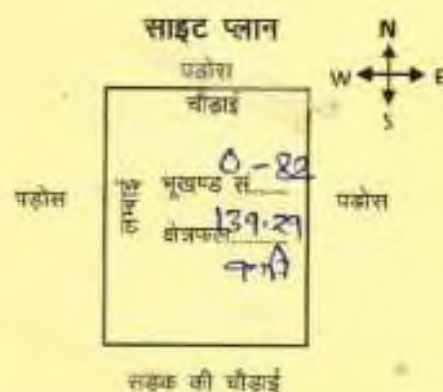
1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड की विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को तप-पट्टे (सब-जीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर होता है यहाँ में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शक्ति देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीकन बीमा निगम/अन्यदात्री संस्थाओं के पास रक्क (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरोध प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विलेख किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथा सुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/भूत निर्माण सहायक समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अतिविधियों, नियमों, नीति विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 75 अ 0-91 पश्चिम 205
उत्तर 71 अ 0-81 दक्षिण 71 अ 0-83



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nicra
2. _____

अपना निशान

अपना निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]
नाम राजीव मोहंता
पता बेल्वाडा, मोटा

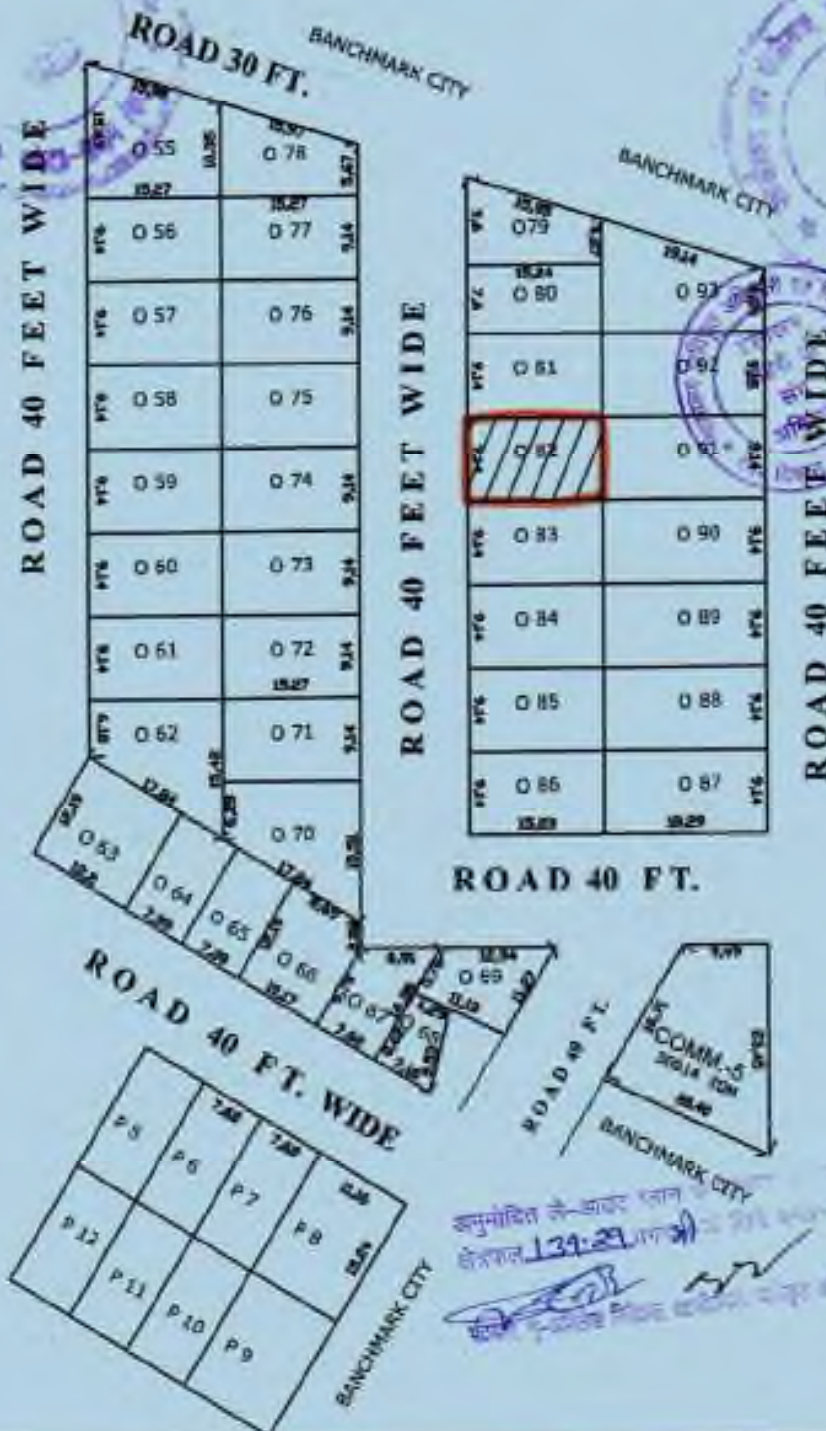
अपना निशान

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मध्य मोहर
(उपस्थित)
नगर विभाग न्यास, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O-82
SIZE	9.14 x 15.24
Area (In SQ.M)	139.29
Area (In SQ.FT)	1499
Area (In SQ.GAJ)	166.555

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग का अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 639

दिनांक 7/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाइडोली पूजा विकास लिमिटेड जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मालीमदस्त लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कनकडा रोड कोटा राज्या

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स शहर कार्यालय पता 2021

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-83 क्षेत्रफल 139.29 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेड़ा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में दिखत है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1

2

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

अर पंजीकृत, कोटा (प्रथम)

नोट - शर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित होउ का उपयोग वहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रात्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तांतरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित मूल्य आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्ति देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/कृषिदात्री संस्थाओं के पास बंधक (नॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/भुलगाउन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख को निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य धुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय दिक्कतकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

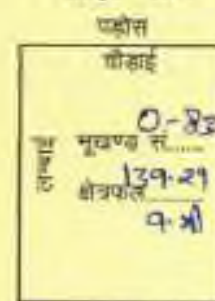
नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड की पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 96 अ 0-90 पश्चिम 205
उत्तर 71 अ 0-82 दक्षिण 75 अ 0-84

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nicoraj

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Harjit

नाम राजी मोहम्मद

पता कैलाश नगर, कोटा

अंगुष्ठ निशान

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहपर
नगर विधायक नगर, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O 83
SIZE	9.14 x 15.34
Area (In SQ.M)	139.25
Area (In SQ.FT)	1499
Area (In SQ.GAJ)	166.555

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड) आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा-विलेख

क्रमांक/640

दिनांक 7/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाजीती पूंजी विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नौरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय सहायक पट्टा लि० कंपस सी ब्लॉक 6-7 लाज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुआ रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स शहर कार्यालय पता 2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-84 क्षेत्रफल 139.20 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के प्लॉ में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. *Nauraj*

2. _____

34 पंजीकृत, कोटा (प्रमाण)

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(निस्तमित)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड) (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयोजित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्राथमिक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (राब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर खेता के पत्र में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ संबंधित विषय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी को नापते में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुदात्री संस्थाओं के पास जमा करके (मोर्गल) रखा जा सकेगा, जिसकी लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों सहित करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन या भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि बिलाल किया जा सकेगा अन्तर्गत पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा लब्ध छूटकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

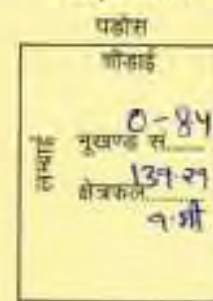
नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व गु. स. 0-89 पश्चिम गो. स. 0-85
उत्तर गु. स. 0-83 दक्षिण गु. स. 0-85

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Milraj
2. _____

अंगूठा निशान

अंगूठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम Kaji Mohandas
पता Barkhedar Koty

अंगूठा निशान

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
ग्राम विकास न्यास, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	0 84
SIZE	8.34 x 15.24
Area (In SQ.M)	126.29
Area (In SQ.FT)	1488
Area (In SQ.MA)	156.595

O-84

139-29

Nu297

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 641

दिनांक 21/6/2021

मैसर्स हाइड्रो प्लूम विकास लि० जारिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पट्टा धारक का नाम पुत्र / पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० के पास-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021

जारिये

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. O-85 क्षेत्रफल 139.29 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2. _____

37 पंचोली, कोटा (रा०)

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट - शर्तों पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत / पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयोजित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय (बिक्री) अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लैंड) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाल में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ परीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जावेंगे, परन्तु पट्टाधारक के हस्तान्तरण के मामले में कोई बलि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सफल/जोइन बीमा निगम/अपराधी संस्थाओं के पास कब्जा (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निगम के अनामलि प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर कानून निर्माण प्रवर्धित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निगम) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्काशन के पश्चात नियम विरोध तथा लब्ध छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विवाद पर होने वाले लब्ध विकासकर्ता/गृह निर्माण कृतियों समिति द्वारा कानून किया जावेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नोटि, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके कानून-प्रमाणित व-कर्त लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

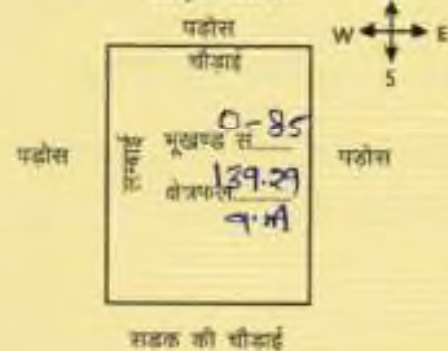
नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व जु. अ. 0-88 पश्चिम 205
उत्तर जु. अ. 0-84 दक्षिण जु. अ. 0-86

साइट प्लान



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

सहोदर :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम हजी मोहम्मद

पता बोहरा, मोह

अंगुष्ठ निशान

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मुय मोहर
नगर विकास न्याय, कट

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENSION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	1/ 85
SIZE	9.14 x 15.24
Area (In SQ.M)	139.29
Area (In SQ.FT)	1499
Area (In SQ.GA)	166.565

SIGNATURE OF OWNER



भीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 723

दिनांक 10.06.2022

मेसर्स हाइवेटी पूंजी विकास लिमिटेड जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीपेटल्स लिमिटेड कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लाज स्कैट इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

O-86

क्षेत्रफल

139.29 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2. _____

उप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थिति)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित ढाँचा का उपयोग वही किया जाएगा जिन उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियमन में सम्मिलित अनुधुनी में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को दिव्य अवस्था अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) में भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड की दिव्य/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत दिव्य पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारों के मामले में कोई शक्ति देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुशक्ती संस्थाओं के पास बंधक (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कारी (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् विधम विच्छेद तथा लघु छुड़कर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नोति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके साथ प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य...

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प दफ्तरी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

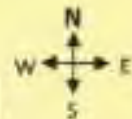
भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व पु. अ. 0-87 पश्चिम 205
उत्तर पु. अ. 0-85 दक्षिण 205

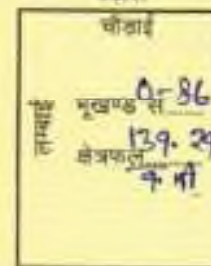
साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई



पड़ोस



पड़ोस

सड़क की चौड़ाई

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

सहो :-

हस्ताक्षर [Signature]
नाम Mr. Mahamud
पता Kotla, Kotla

अंगुष्ठ निशान

प्राधिकृत अधिकारी
(उपनिर्वाह)
नगर विकास न्याय, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**





श्रीमान अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 722

दिनांक 10/6/2022

मेसर्स हाइड्रो पंजी विकास लिमिटेड जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र / पुत्री

पत्नी

पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्लिकार्जुन लिमिटेड कार्यालय-ती ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्जुआ रोड कोटा राज्

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021 ★

जसिये

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री

पुत्र / पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

O-87

क्षेत्रफल

167.17 वर्गमीटर

राजस्व याम.

नयाखेडा

खसरा सं.

507

योजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

(Signature)

उप पंजीकृत, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत / पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

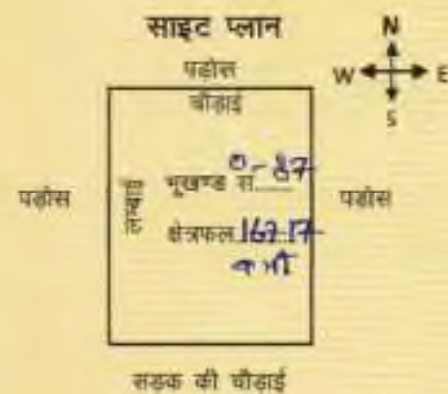
1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रायिक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से इस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/इस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक की उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/त्राणदात्री संस्थाओं की वारा बचक (भौमज) रक्षा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय की अनापूर्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का संपादित/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथा भूधायक पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में अनन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व रोड पश्चिम गु. स 0-86
उत्तर गु. स 0-88 दक्षिण रोड



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]
2. _____

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]
नाम Majid Mohammad
पता Barabuda, Kota

अंगुष्ठ निशान

[Signature]
प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपस्थित)
नगर विकास न्याय, कोटा

BENCHMARK EXTENTION

INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003



KWADRA PNC.	507
PLAT NO.	C 57
SIZE	9.14 x 18.29
Area (in SQ.M)	167.17
Area (in SQ.FT)	1799
Area (in SQ.GAJ)	195.888



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 721

दिनांक 10/6/2022

मेसर्स हाडीती पूजी विकास लि० जसिने अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय पण्टीगटल लि० इन्धन-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा
पट्टा धारक मेसर्स शहर कार्यालय पता 2021
जसिने
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. 0-88 क्षेत्रफल 167.17 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507
योजना वैचमार्क एक्सटेंशन ने स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जित्त उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रयोजित भवन-विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता को प्लॉट में मान परिवर्तन के लिए निम्नलिखित शुल्क आवेदन के साथ प्रंतीयीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीएन बीआर निगम/त्राणदात्री संस्थाओं के फल बंधक (मोर्गेंज) एखा जा सकेगा जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरोधित प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रयोजित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख को निष्पादन के परमाणु नियम विरुद्ध तथा तथ्य खुराक पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जटन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवसत (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प दफ्टी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 205 पश्चिम शु. स 0-85
उत्तर शु. स 0-89 दक्षिण शु. स 0-87



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nu 297

अनुमोदित

2. _____

अनुमोदित

साथी :-

हस्ताक्षर Haq Mohammad

नाम Haq Mohammad

पता Baukheda, Bete

अनुमोदित

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
जान विज्ञापन कार्यालय

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O 88
SIZE	9.14 x 38.29
Area (In SQ.M)	167.17
Area (In SQ.FT)	1799
Area (In SQ.YD)	199.888

अनुमति :- 167.17 मी. 0-88

167.17 मी. 0-88

Nell 297
SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 720

दिनांक 10/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हजारीत पंजी विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र / पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीपेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021

जसिये

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-89 क्षेत्रफल 167.17 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. NCC 202

2.

प्राधिकृत अधिकारी
(उपस्थिति)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

अप पंजीक, कोटा (प्रथम)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत / पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

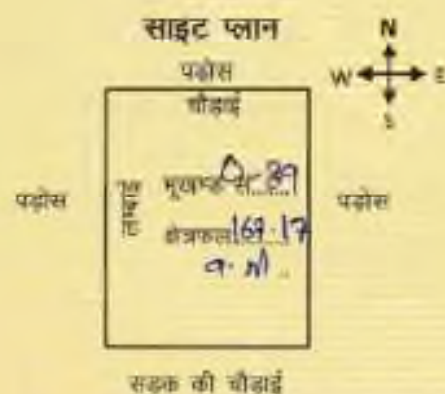
1. पट्टा धारक द्वारा मूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त मूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा मूखण्ड को उप-पट्टे (सब-प्लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त मूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रय से एक नौ नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/अपराधी संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. मूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अपशिष्ट भिन्न किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथा धुपकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले खर्च विकासकर्ता/गृह निर्माण सहायक समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवेदन (निर्मित मूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प दायूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व शेड पश्चिम शु. स. 0-84
उत्तर शु. स. 0-90 दक्षिण शु. स. 0-88



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम राजीव शर्मा

पता बोरबोडा, नो. 1

अंगुष्ठ निशान

प्रमाणित अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी/प्रमाणित अधिकारी मय मोहन
नगर विकास

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O 89
SIZE	9.14 x 18.29
Area (In SQ.M)	167.17
Area (In SQ.FT)	1799
Area (In SQ.GAZ)	199.886

अनुमोदित है-अर्थात् प्लान को मान्यता प्राप्त है **O-89**

क्षेत्रफल **167.17** वर्गमीटर का बोध प्रदान किया

प्रकारी भू-संवेदक विभाग, जयपुर सरकार, अधिकृत अधिकारी का सचिव

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 719

दिनांक

10/01/2022

मैसर्स हाइड्रो प्लांटी विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंधोली पुत्र श्री हनुमान पंधोली

पट्टा धारक का नाम

पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी

पंजीकृत कार्यालय भारतीय पेटेंट्स लि० कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुभा रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं

O-90

क्षेत्रफल

167.17 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं

507

योजना

बैधमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. N11197

2.

अथवा पंजीयक, कोटा (प्रमाण)

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - ऊर्त पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विविध अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर प्रेषण के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ फंतीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जावेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा नियम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बैंक (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथा घुणाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है जो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले नग्न विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा रहन किया जावेगा।
10. पट्टा विलेख फिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवस (निर्मित भूखण्ड) में शर्तें नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड की पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 203 पश्चिम 95.3 0-83
उत्तर 95.3 0-91 दक्षिण 95.3 0-89

साइट प्लान



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम ए.पी. मोहम्मद

पता बेसुपडा कोटा

अंगुष्ठ निशान

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मगरा विकास मय मोहर

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENSION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O 90
SIZE	9.14 x 18.29
Area (In SQ.M)	167.17
Area (In SQ.FT)	1799
Area (In SQ.YAZ)	199.888

अनुमोदित ले आउट प्लान के मुताबिक प्लॉट नं. 0-90

क्षेत्रफल 167.17 वर्गमीटर का निर्दिष्ट प्रमाणित

प्लॉट नं. 0-90 के विवरण, प्लॉट नं. 0-90 के विवरण का विवरण

SIGNATURE OF OWNER



भीमान् अशोक गजमाल
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा-विलेख

क्रमांक / 683

दिनांक 09-06-2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाइड्रो पंजी विकास लि० जयपुर अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पत्नी पुत्र/पुत्री
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कैल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★
जयपुर
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं० 0-91 क्षेत्रफल 167.17 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं० 507
योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1

2

अ. पुंजीक, कोटा (प्रमुख)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(अपराधित)
नगर विकास न्यास कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तांतरण पर कंटा के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जाएंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख को निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य सुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले नग्न विकासकर्ता/गृह निर्माण शहकारी समिति द्वारा नष्ट किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनकी सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

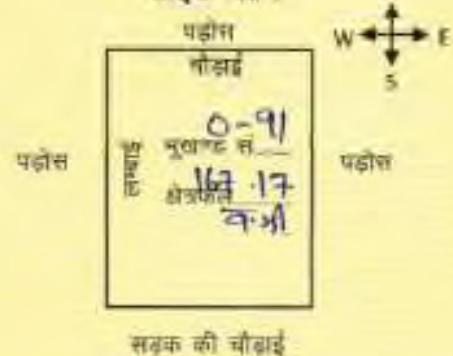
नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 205 पश्चिम 95.5 0-82
उत्तर 95.5 0-92 दक्षिण 95.5 0-90

साइट प्लान



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]
2. _____

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर [Signature]
नाम राजी मोहन
पता दोसरेडा गाँव

अंगुष्ठ निशान

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास भाग, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O 91
SIZE	9.14 x 18.29
Area (In SQ.M)	167.17
Area (In SQ.FT)	1798
Area (In SQ.M)	199.888

अनुमोदित है-आपत सतत है कलकल गलकल ०-११

लकलकल १६७.१७ लकलकल १७९८

लकलकल १६७.१७ लकलकल १७९८ लकलकल १७९८

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक

717

दिनांक 10/6/2022

मैसर्स हाइटी पंजी विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पट्टा धारक का नाम

पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी

पंजीकृत कार्यालय माल्टीमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्केल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं

O-92

क्षेत्रफल

167.35 वर्गमीटर

राजरव ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

गोचना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1

NH227

2

अ. पंचायत, कोटा (राज०)

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर जाता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जावेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी को मामले में कोई राशि देस नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकारी/पब्लिक बीमा निगम/आगदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापरीत प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टे के कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्वहन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निषादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय शिफ्ट/कर्ता/गृह निर्माण सहायक समिति द्वारा व्यय किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

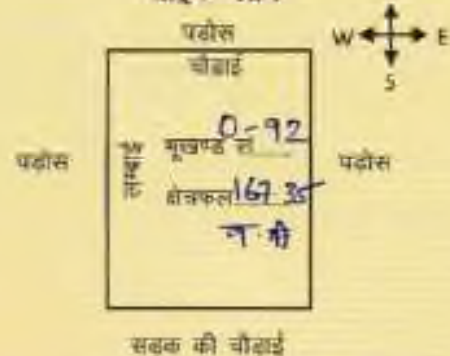
नोट - आपात (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व 25 पश्चिम 25 स 0-81
उत्तर 25 स 0-93 दक्षिण 25 स 0-91

साइट प्लान



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nuroz

अंगूठा निशान

2. _____

अंगूठा निशान

साथी :-

हस्ताक्षर Harinder

नाम हरी मोहन

पता जलवेडा, काटा

अंगूठा निशान

प्रधिकृत अधिकारी

प्रधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहन
नगर विकास अधिकारी

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO. 507, 508, 509, 511, 514, 522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O 92
SIZE	9.15 x 18.29
Area (In SQ.M)	167.35
Area (In SQ.FT)	1801
Area (In SQ.M)	200.111

अनुमोदित है-आवक प्लान के मूल्यांकन के लिए
क्षेत्रफल 167.35 वर्गमी के लिए मंजूर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक महारण
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड) आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 718

दिनांक 10/6/2022

मैसर्स छडौती पूजी विकास लि० जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० डेम्पस-सी ब्लॉक ६-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स

कार्यालय पता

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

मूखण्ड सं. 0-93 क्षेत्रफल 180.88 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. *Neeraj*

2.

उप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पूछांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लैंड) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता को प्लॉट में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्ति देव नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास कंधक (मॉर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथा धुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले लागत विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है, इनके समन्वयपूर्ण व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

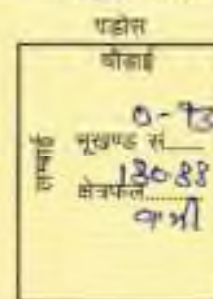
नोट :- आवास निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व रोड पश्चिम शु. 28 0-79-0-30
उत्तर आवासीय दक्षिण शु. 21 0-92

साइट प्लान



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nuraz

अंगूठा निशान

2. _____

अंगूठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Harish

नाम हार्श मोहं

पता 1015551 कोटा

अंगूठा निशान

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहं
(उपस्थिति)
नगर विकास न्याय कोर्ट

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	0 93
SIZE	9.565 x
Area (In SQ.M)	180.88
Area (In SQ.FT)	1947
Area (In SQ.GAJ)	216.333

अनुमोदित है- जयपुर जिले के मुख्य अधिकारी
हस्ताक्षर- 13.08.2014
जयपुर, मृ. जयदेव सिंह, जयपुर, जयपुर जिले के मुख्य अधिकारी के समक्ष

NCC 297
SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 716

दिनांक 10/6/2022

मैसर्स हाइड्रो एजी विकास लि० जरिये अर्वाकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंथीसी पुत्र श्री हनुमान पंथीसी
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मार्टिमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कोल इन्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. O-94 क्षेत्रफल 258.07 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैधमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. *Naraj*

2. _____

31 पंजीकृत, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित षेज का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु कृषिक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेंगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेंगा।
3. उक्त भूखण्ड की विक्रय/हस्तांतरण पर क्रंता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्ति देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जोवन सेवा निगम/ऊपदायी संस्थाओं के पास रक्षक (गैरिज) रखा जा सकेंगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुरक्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेंगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य धुपान्क पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले खर्च विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनमें कोई प्रत्यक्ष व शर्त लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
11. अन्य

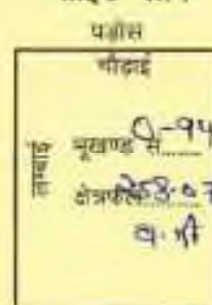
नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल शशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व अन्य आवासीय पश्चिम वेस्ट
उत्तर अन्य आवासीय दक्षिण अन्य 0-95

साइट प्लान



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nureh

अंगुठा निशान

2. _____

अंगुठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Harish

नाम राजी मोहन

पता बोसवडा नो. 1

अंगुठा निशान

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
नगर विकास चार कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD, - KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O 94
SIZE	14.11 x 18.39
Area (In SQ.M)	258.07
Area (In SQ.FT)	2778
Area (In SQ.SA)	308.866

अनुसंधान से-आवर प्लान में सुझाव दिया 0-94

संयोजक 258.07 मी. के लिए कागज

निर्माण में आवश्यक कामकाज, अधिकृत अधिकारी रूप से

(Signature)

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 660

दिनांक 08.06.2022

मेसर्स हाडोती पूजा विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय फ्लैटमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा तालुका

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स शहर कार्यालय पता 2021
जसिये
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

मूखण्ड सं. 0-95 क्षेत्रफल 167.17 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507
योजना बैचमार्क एक्सटेंशन ने स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त मूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Neeraj
2. _____

उप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

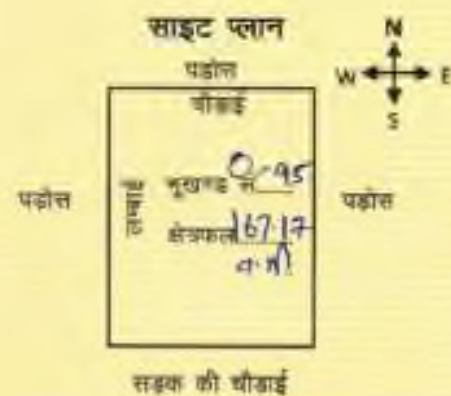
1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्मिलित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकते हैं तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-प्लॉट) पर भी दे सकते हैं।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर जाता की पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारी के उत्तराधिकारी के मामले में कोई रशि देव नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/राज्यदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मॉर्गेज) रखा जा सकता है, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकता है अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथा सुपांकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/पूरा निर्माण सङ्कारी संयोजिता द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकता है।
11. अन्य-

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व उत्तर आवासीय पश्चिम रोड
उत्तर गु. स. ०-१५ दक्षिण गु. स. ०-१६



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nur
2. _____

अंगुष्ठ निशान

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Sham
नाम सज्जी मोहम्मद
पता बोरसडा, कोटा

अंगुष्ठ निशान

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहंर
नगर विकास बोर्ड, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	0 95
SIZE	9.14 x 18.29
Area (In SQ.M)	167.17
Area (In SQ.FT)	1798
Area (In SQ.MA)	199.888

अनुमोदित है-आज प्लान को मुद्रांक कराया गया है-0-95
क्षेत्रफल 167.17 वर्ग मी के लिये प्रमाणित
हस्ताक्षर [Signature] अधिकारी, जिलाधिकारी, जिला न्यायिक अधिकारी, जिला न्यायिक अधिकारी

[Signature]
SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 725

दिनांक 10/6/2024

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडीती पूजा विकास लिमिटेड जरिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी

पति

निवासी परजीकृत कार्यालय मल्टीमेडिया लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 4-7 लार्ज स्कैल इण्डस्ट्रियल ग्रिया, कन्सुआ रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

★ शहर

कार्यालय पता

2021

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं.

O-96

क्षेत्रफल

167.17 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम

नयाखेडा

खसरा सं.

507

गोजना

बैचमार्क एक्सटेंशन

में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कती) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

34 तंजीरफ, कोटा (भूमि)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- परजीकृत/पूराकृत संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड) (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

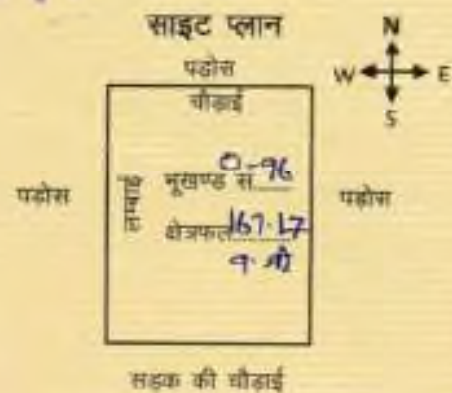
1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित ढाँचा का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम ने सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होने, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति आवश्यक होगी।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को जग-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तांतरण पर केवल के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निम्नलिखित शुल्क आवंटन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीएन डीएम नियम/आयदाके संस्थाओं के पास रक्षक (गैरज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करवा होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की कितनी स्वीकृति के भूखण्ड का उपयोग/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अग्रिम विलेख किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के विनाश के कारण नियम विरुद्ध तथा कानून विरुद्ध पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आधिकारिक विक्रय पर होने वाले अन्य विकारकर्ता/गृह निर्माण रखरखाव समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीतियों, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी आदेशन व कार्य लागू होंगे जिनकी पाबंदी नहीं करने से पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व आवा आराजी पश्चिम रोड
उत्तर ज.म. 0-95 दक्षिण ज.म. 0-97



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Mohd

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Mohd

नाम Muhammad

पता Dar Khuda, Rati

अंगुष्ठ निशान

प्रमाणित अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर भय मोहर
नगर विकास न्याय, कोट

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



	
CHASSIS NO.	507
PLOT NO.	O 96
SIZE	2.14 x 10.29
Area (In SQ.M)	187.17
Area (In SQ.FT)	1796
Area (In SQ.GA.)	199.888

अनुसंधान ले-आउट प्लान के अद्यतन संस्करण... 0-96

विषयसंख्या 16712-अ/अ. वि. वि. अनुसंधान

सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा, जयपुर

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 726

दिनांक 10/6/2022

मैसर्स हाइली पंजी विकास लिमिटेड जयिब अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री गीरजा पंघोली पुत्र श्री हनुमान पंघोली
पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लिमिटेड कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स शहर कार्यालय पता 2021 जयिब
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री
निवासी

भूखण्ड सं. 0-97 क्षेत्रफल 167.17 वर्गमीटर
राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507
योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. N4297

34 पंजीकृत, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास कोटा

नोट - शर्त बीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पुच्छकन कंमप है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा मुखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। मुखण्ड पर अवलंबित भवन विनियम में सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञित होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त मुखण्ड को विकसित अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेंगा तथा मुखण्ड को उप-पट्टे (सब-प्लॉट) पर भी दे सकेंगा।
3. उक्त मुखण्ड के विकास/हस्तांतरण पर होता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ परीक्षित विज्ञापन पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के हस्ताक्षरों के मामले में कोई राशि देव नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकात/जीवन बीमा लिगन/आपदावी संस्थाओं के पास बचक (मॉर्गेंट) रख जा सकेंगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनायात प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. मुखण्ड पर भवन निर्माण प्रवर्तित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के मुखण्ड का आविष्कारन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेंगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विन्मुक्त तथा सभी सुधारण पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त मुखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण आकांक्षी व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रवधान व शर्तें लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेंगा।
11. अन्य _____

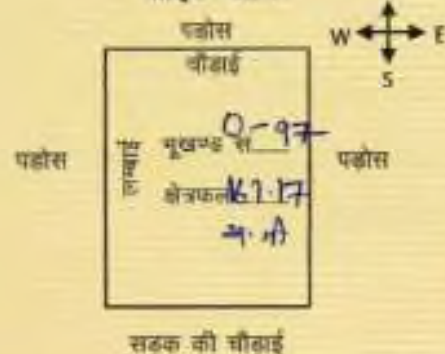
नोट - आवास (निर्मित मुखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति कल राशि।

मुखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व राज्य आराजी पश्चिम 205
उत्तर गु. 24. 0-96 दक्षिण गु. 24. 0-98

साइट प्लान



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [Signature]

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

सप्ली :-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम श्री नैरनाथ

पता जैसवाल कोटा

अंगुष्ठ निशान

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(उपसचिव)
नगर विकास न्याय कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)
BENCHMARK EXTENTION**

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



KHASRA NO.	587
PLOT NO.	097
SIZE	9.14 x 18.29
Area (In SQ.M)	167.17
Area (In SQ.FT)	1799
Area (In SQ.GAZ)	199.888

अनुमोदित है-डाक्टर प्लान के मुताबिक बंदा 0-97
की कतल 162.17 वर्ग मी के सिविल इन्फ्रस्ट्रक्चर
के लिए नूतन निर्माण, लाइसन्स, प्रमोशन अधिकारी का सचिव

N10297
SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए समायोजन की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 682

दिनांक 09.06.2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडौली पूजा विकास लि० जसिये अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र / पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय मल्टीमेटल्स लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज रकल इण्डस्ट्रियल एरिया कन्वुआ रोड कोटा राजा

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स

कार्यालय पता

जसिये

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री

पुत्र / पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-98 क्षेत्रफल 167.17 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. *Niraj*

2. _____

उप पंजीयक, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
(सिपायिग)
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत / पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित ढाँचा का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रवर्तित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु क्रयक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाये।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर केता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ प्रतीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/जगदाजी संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रवर्तित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विक्रय तथा तथा छुटकार पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियमों के तहत जारी किया गया है। इनके सम्बन्धित कानून व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य _____

नोट :- आवस (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प द्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

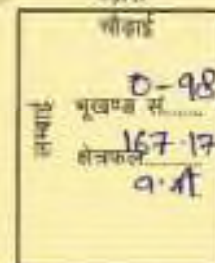
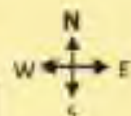
पूर्व आवासीय आवासीय पश्चिम ओड
उत्तर गु. सं. 0-97 दक्षिण गु. सं. 0-99



साइट प्लान

पड़ोस

चौड़ाई



सड़क की चौड़ाई

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Narinder

अंगुष्ठ निशान

2. _____

अंगुष्ठ निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Harinder

नाम राजी मोहन

पता खेतवाड़ा, गा. 1

अंगुष्ठ निशान

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

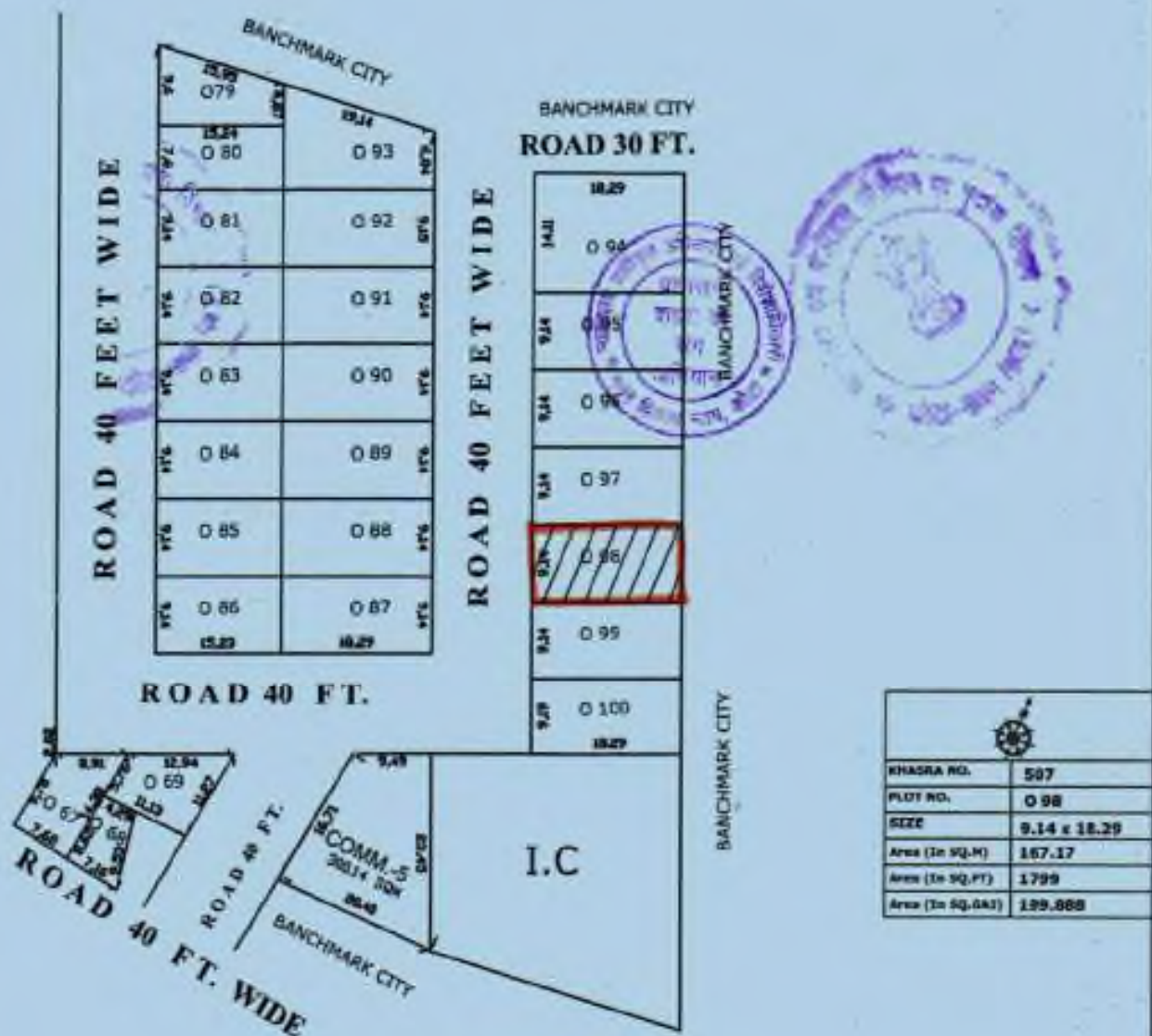
(प्रस्तावित)

भारत विकास न्यास, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD.,REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



KHASRA NO.	507
PLOT NO.	O 98
SIZE	9.14 x 18.29
Area (In SQ.M)	167.17
Area (In SQ.FT)	1799
Area (In SQ.GAZ)	199.888

अनुसंधित से-हाउस प्लान के मुताबिक माफ 098
167.17 वर्ग मी. के प्लॉट अस्ति

(Signature)
समिति के अध्यक्ष मित्रा तारामोहन अर्जुन मोहनो का संकेत

(Signature)
SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 727

दिनांक 10/6/2022

मैसर्स हाइली पूजा विकास लिमिटेड जलिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय भूटीमेटल्स लिमिटेड कैम्पस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्कुआ रोड कोटा राजस्थान

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स कार्यालय पता 2021

जलिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-99 क्षेत्रफल 167.17 वर्गमीटर

राजस्व प्राप्ति नयाखेडा खसरा सं. 507

गोचना बेचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. 11/7/22
2.

अ. एजीयक, कोटा (राजस्थान)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी (वे) हस्ताक्षर मय मोहर
सा विना नया, कोटा

नोट - शर्तों पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



आवासीय पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड) (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

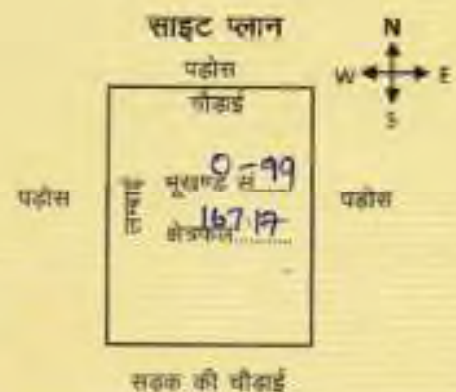
1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित ढाँचा का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्राथमिक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-सीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तांतरण पर रजिस्ट्रार के पास में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवंटन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि बस्तुतः किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/अणुवासी संस्थाओं के पास रक्षक (मोर्गज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथा धुआंकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अखिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 1 लागू नहीं होगी।

हस्ताक्षर कपट्टे हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व अन्य-आवासीय पश्चिम शेड
उत्तर गु.सं. 0-98 दक्षिण गु.सं. 0-99



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Nur207
2. _____

अंगुठा निशान

अंगुठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर Majid
नाम Majid Mohammad
पता Barkheda, Kota

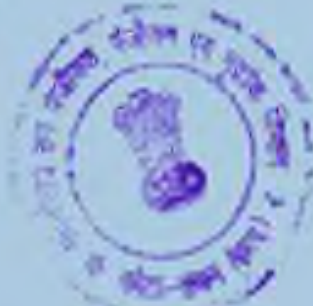
अंगुठा निशान

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी/सेविशोहर मय मोहर
नगर विकास च्याब, कोटा

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT KHASRA
NO.507,508,509,511,514,522, 522/563, 523/1, 607/523
VILLAGE - NAYAKHERA, TEHSIL-LADPURA, DISTRICT-KOTA
(RAJASTHAN)**

BENCHMARK EXTENTION

**OWNER :- M/S HADOTI PUNJI VIKAS LTD., REGISTERED OFFICE AT
MULTIMETALS LTD. CAMPUS, C- BLOCK, 6-7 LARGE SCALE
INDUSTRIAL AREA, KANSUA ROAD,- KOTA- 324003**



KHASRA NO.	587
PLOT NO.	O 99
SIZE	9.14 x 18.29
Area (In SQ.M)	167.17
Area (In SQ.FT)	1799
Area (In SQ.GAJ)	199.888

अनुमोदित हो-आवट प्रान को प्रमाणित रूप 0-99
 वाक्यन 167.17 वर्गमी को दिन प्रमाणित
 [Signatures]

SIGNATURE OF OWNER



श्रीमान अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



नगर विकास न्यास, कोटा

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 724

दिनांक 10/6/2022

पट्टा धारक का नाम मेसर्स हाडोती पूंजी विकास लि० जरिये जमीन हस्तांतरकर्ता श्री नीरज पंचोली पुत्र श्री हनुमान पंचोली पुत्र/पुत्री

पत्नी पति

निवासी पंजीकृत कार्यालय प्रोटेक्स्ट लि० कंपस-सी ब्लॉक 6-7 लार्ज स्कूल इण्डस्ट्रियल एरिया, कन्सुआ रोड कोटा राज०

अथवा

पट्टा धारक मेसर्स ★ शहर कार्यालय पता 2021 ★

जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

निवासी

भूखण्ड सं. 0-100 क्षेत्रफल 168.09 वर्गमीटर

राजस्व ग्राम नयाखेडा खसरा सं. 507

योजना बैचमार्क एक्सटेंशन में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के फल में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2. _____

अप पंजीकृत, कोटा (प्रथम)

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास कोटा

नोट - शर्तों वीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन अलग है।
- Registered and Endorsement Attached

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पढ़ते की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रस्तावित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुशुची में उल्लेखित उपयोग अनुमति होगा, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विभिन्न अवकाश अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लॉट) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड को विक्रय/हस्तान्तरण पर लेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए विकास में निर्धारित मूल्य आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई शर्ति देन नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख का सरकार/जीवन बीमा निगम/आपदाप्रीति संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रस्तावित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व नू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य धुंधलकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

मुखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूरे अन्न आराजी शक्ति ७५
उत्तर ७५ से ०-११ दक्षिण ७५ से IC-1-6

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

Nov 297

2. _____

साक्षी :-

हस्ताक्षर Arnold
नाम Majid Muhammad
पता Barkheda, Kota

अथर्ववेदः

अगुण्डा विभाग

अनुसूचित जाति



પ્રાથિકૃત અધિકારી

प्राधिकृत अधिकारी को हस्ताक्षर मय मोहर
नगर विकास न्यास फोटो

BENCHMARK EXTENTION



CHASSA NO.	507
PLDT NO.	O 100
SEIZ	5.19 x 18.29
Area (In SQ.M)	168.08
Area (In SQ.FT)	1808
Area (In SQ.BAJ)	301

अनुसंधान के सात घण्टों के मुख्य भाग। D-100
कॉपिया 168-89 का प्रिंटिंग प्रमाणित

प्रिंटिंग प्रमाणित

SIGNATURE OF OWNER